खण्ड-183, अंक-4
शनिवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1879
(4 मई, 1957 ई0)

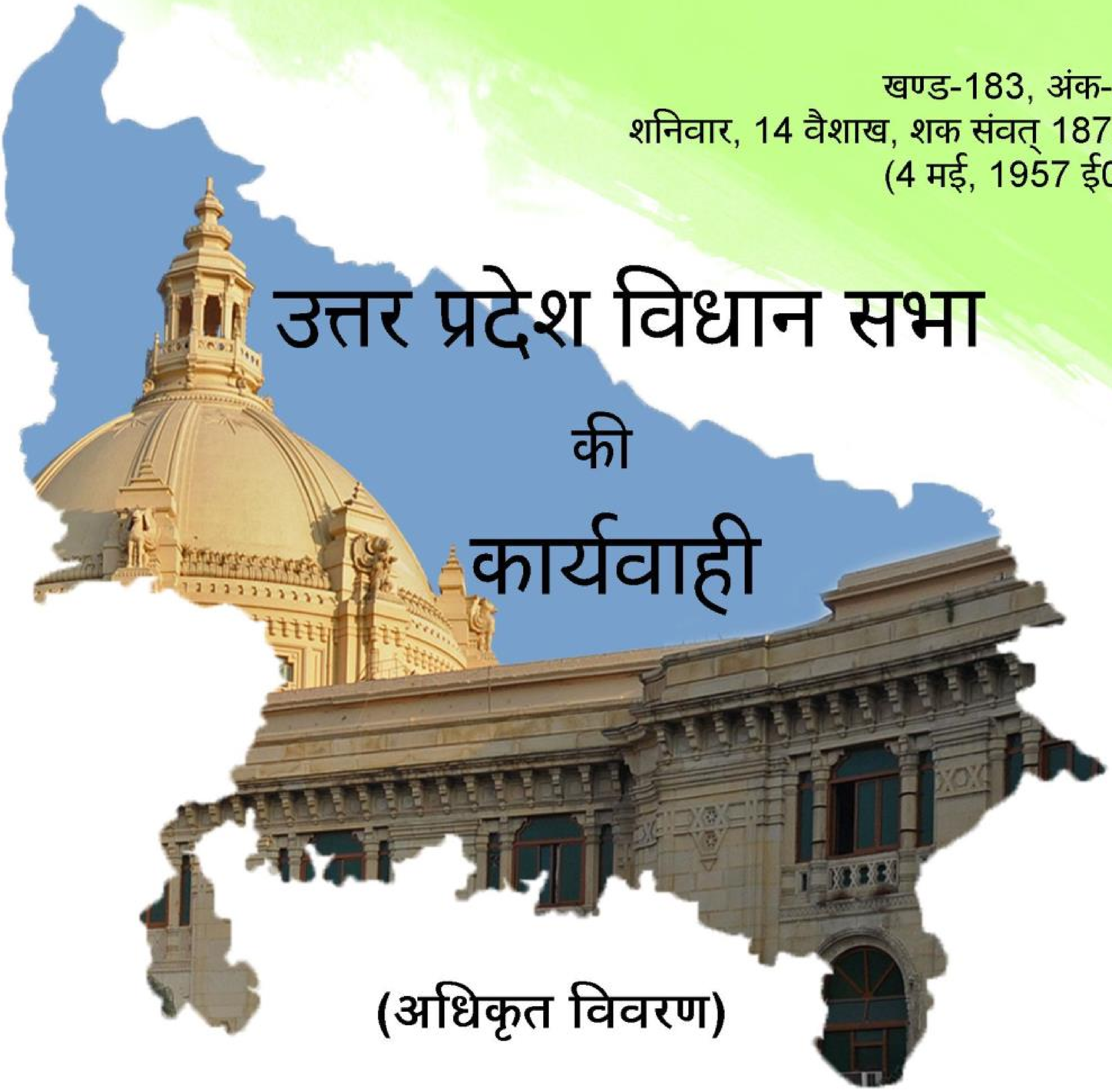

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ४ मई, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख़
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद श्री, (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री, उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायणशर्मा, श्री
वली नवाब, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री त्रिलोकीसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अधिष्ठाता—माननीय जगदीश प्रसाद ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है जिसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं—

"निवेदन है कि मैं सदन की आज की बैठक में सदन के निम्नलिखित अपमान के प्रश्न को उठाना चाहता हूं—

३० अप्रैल, १९५७ ई० को जब अधिष्ठाता, श्री द्वारकाप्रसाद जी मित्तल, ने सदन की बैठक कुछ समय के लिये निलम्बित कर दी थी और निलम्बन के समय की समाप्ति के पश्चात् जब घंटी बजायी जा रही थी जो इस बात की सूचक थी कि घंटी की समाप्ति पर श्री अधिष्ठाता सदन में आकर पीठासीन होंगे, माननीय त्रिलोकी सिंह जी, नेता विरोधी दल, स्वयं आकर अनधिकृत रूप से पीठासीन हो गये।

श्री त्रिलोकी सिंह जी ने अपने उपरोक्त कृत्य से प्रक्रिया नियमावली के नियम ७ का उल्लंघन किया है तथा सदन के कार्य में रुकावट डाली है और उनके इस कृत्य से सदन का अपमान हुआ है। अतः उपरोक्त घटना की छानबीन करके माननीय त्रिलोकीसिंह के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे सदन के मान-मर्यादा की रक्षा हो सके।"

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—मुझे अभी खत्म कर लेने दीजिये।

जिस समय माननीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उस समय माननीय त्रिलोकीसिंह ने जो भाषण दिया था उसके पोर्शन को पढ़ कर मैं सुना देता हूं :—

"और आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि जब कभी कोई ऐसा प्रश्न इस आदरणीय सदन के सामने और श्रीमन् के सामने उपस्थित होगा जिसमें कुछ कठिनाई श्रीमन् को या सदन को, उसके हल करने में मालूम हो तो आप सदैव हमें पायेंगे कि हम आपकी पूरे तौर पर सहायता करने को तैयार रहेंगे।"

तो ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर यह निर्णय दिया है कि वे स्वयं इस बात की जांच करेंगे और जांच करने के बाद इस पर कोई निर्णय देंगे और इसमें कोई टाइम बार का सवाल उपस्थित नहीं होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो आपने अभी पढ़ कर सुनाया, सम्भवतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। तो इस सम्बन्ध में आपसे मुझे निवेदन यह करना है कि अब विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाया भी नहीं जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप बैठ जाइये।

यह जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप उनसे निवेदन करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो इस पर कोई रूलिंग देने नहीं जा रहा हूं, न मैं कोई इन्क्वायरी ही करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्क्वायरी करेंगे और उस वक्त आप उनसे यह निवेदन करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण—मैं तो इसके अस्तित्व का ही विरोध करता हूं। जब आपने सदन को पढ़ कर सुना दिया तब तो यह एक तरह से सदन की प्रापर्टी (सम्पत्ति) हो गयी, क्योंकि जिस समय उन महानुभाव का आपने नाम लिया जो कि प्रिविलेज का नोटिस दिये हैं, मैं सुन नहीं सका, क्योंकि मैं कुछ लेट (देर से) आया .....।

श्री अधिष्ठाता—माननीय जगदीशप्रसाद ने प्रिविलेज का नोटिस दिया है।

श्री राजनारायण—खैर, श्रीमन्, यह चीज इन दि आइ आफ दि हाउस हुई है। जब कभी प्रिविलेज का सवाल इस सदन के सम्मुख आया है तो बराबर इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि अलिएस्ट आपोर्चुनिटी (सर्वप्रथम अवसर) शब्द जो उसके लिये लिखा है उसी के अनुसार कार्य हो। इस सदन के किसी माननीय सदस्य के मस्तिष्क में जब ऐसा मालूम हो कि इस सदन के अपमान का कोई प्रश्न है तो जब कि माननीय मित्तल साहब यहां पर अधिष्ठाता के आसन पर बैठे थे उस समय उसका कोई न कोई नोटिस देना चाहिए था। यह प्रश्न आपने उठाया है। क्योंकि माननीय अध्यक्ष यहां नहीं हैं, मुझे मालूम नहीं है कि माननीय अध्यक्ष स्वतः इस पर जांच करने वाले हैं, तो इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा इसको पढ़ कर सुनाने की क्या आवश्यकता थी? जब आपके द्वारा इसको पढ़ कर हाउस में सुनाया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वे सज्जन इसके द्वारा यह आपोर्चुनिटी गेन (मौके का लाभ) करना चाहते हैं। चूंकि यह आज ही सदन में आया है, इसलिये मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इस घटना के बाद भी सदन बैठा था और उसके बाद माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जो तकरीर की थी और उसके बाद इस सदन के जितने दूसरे लोग थे, विरोधी दलों के विभिन्न नेताओं ने अपने भाषण किये थे और सब लोग यहां से उठकर गये। जो कुछ हुआ सो हो गया अब इसकी कोई चर्चा न हो इसी मूड में माननीय हाफिज जी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि कोई वादविवाद इस सम्बन्ध में आगे हो और हम लोग अच्छे मूड (हालत) में बहस करके अब उठ रहे हैं ताकि आइन्दा कोई बात न हो। लेकिन जो कुछ श्रीमन् ने अभी पढ़ कर सुनाया उसकी भाषा और विषय को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ। जो कुछ बातें बीत चुकी हैं उनके विषय में नियमता और वैधानिक ढंग पर अब कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस तरह का प्रश्न उठा कर सदन के समय को अनावश्यक ढंग पर नष्ट करने की चेष्टा की गई है। इसलिए मैं इतना अवश्य कहूंगा और आप माननीय अध्यक्ष महोदय को भी अवगत करा दें कि इस सम्बन्ध में अलियेस्ट अपारचुनिटी अवेल नहीं की गई (सर्व प्रथम मौका नहीं उठाया गया), इसलिये अब न तो इस सदन में उसकी चर्चा हो सकती है और न यह विषय क्वैश्चन आफ प्रिविलेज बनाया जा सकता है (विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनाया जा सकता है)।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय राजनारायण जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी भावनाओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा उनको स्वयं अधिकार है कि जांच के समय वह यह सब बातें, जो उन्होंने अभी कही हैं, अध्यक्ष महोदय के सामने कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—जरूरत क्या है इन्क्वायरी की ?

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मुझे भी कुछ निवेदन करना है इस सम्बन्ध में....

श्री अधिष्ठाता—अध्यक्ष महोदय के सामने कहें तो अच्छा है। मैं इस विषय में कोई निर्णय देने नहीं जा रहा हूं। मैं इसको मंजूर कर रहा होऊं या नामंजूर कर रहा होऊं या इसके ऊपर कोई निर्णय दे रहा होऊं तो .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह कहता है कि हाउस के सामने कोई भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस स्पीकर की कनसेंट से लाया जा सकता है। अब आपने इस सदन को कम्पलेंट का नोटिस दे दिया है, इस तरह से पहला स्टेज तो आपने खुद पूरा कर दिया है, इसलिए हमारे लिए लाजमी हो जाता है, क्योंकि नोटिस आपने सदन को दे दिया है तो इस सम्बन्ध में जो आगे की कार्यवाही है नियम ४४ के अनुसार, जो कनसेंट है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं...

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कनसेंट के बारे में हम विचार नहीं कर रहे हैं। जो नोटिस आया था माननीय सदस्य का उसको मैंने पढ़ दिया। आपकी ओर से ही इसरार होता है कि एडजर्नमेंट मोशन्स को पढ़ दिया जाया करे। एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस आया, मैंने उसको पढ़ दिया। अभी तो यह प्राइमाफेसी केस प्रिविलेज का आया है, इसलिए सारा मामला स्पीकर महोदय के सामने पेश होगा। उस वक्त आप उनके सामने सब सवाल उठा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस तरह से आपने श्री राजनारायण जी को इजाजत दी है मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दें। मैं आप का ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ३६४, ३६५ की ओर दिलाना चाहता हूं। ब्रीच आफ प्रिविलेज की कनसेंट जो स्पीकर महोदय देंगे उसकी दो कन्डीशन्स हैं :

"The conditions with which a claim of privilege must comply in order to be accorded precedence are those mentioned above (1) a prima facie case of breach of privilege must be made out (2) the matter must be raised at the earliest opportunity."

जो प्रिसीडेंस आपने अभी दिया वह मेरे ख्याल से नहीं मिलना चाहिये था क्योंकि यह प्रश्न अर्लियेस्ट आपरचुनिटी में नहीं उठाया गया और इसकी मिसाल भी इसी पेज पर दी गई है :

"A matter which occurred during the recess was refused precedence as a matter of privilege because it was not raised on the first day of the session (s) :"

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त एक कठिनाई उस दिन भी हाउस के सामने थी और मैं इस सम्बन्ध में नियमावली के नियम ४४ का जो प्राविजो है, उस परन्तुक की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह प्राविजो है कि "परन्तु यदि अवहेलना सदन की वास्तविक दृष्टि में ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकता है।"

तो हमारे नियमों में भी है कि सदन की दृष्टि में घटना हुई और सदन ने उचित नहीं समझा कि उस दिन वह कोई कार्यवाही करे। उस दिन सदन की कार्यवाही भी हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और कोई नोटिस माननीय जगदीशप्रसाद या किन्हीं और व्यक्ति ने नहीं दिया। इसलिए यह जो आपने प्रिसीडेंस दिया यह भी, अगर आप क्षमा करें, तो यह औचित्यपूर्ण कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का प्रश्न है, वह जितनी कार्यवाही हुई। मेरे विचार से, मेरे व्यक्तिगत विचार से, हाउस की प्रोसीडिंग मानी नहीं जा सकती। घंटी बजने तक ग्यारह बजे तक स्पीकर या अधिष्ठाता जब तक कुर्सी पर बैठ नहीं जाते तब तक वह प्रोसीडिंग आफ दि हाउस नहीं मानी जा सकती। एक तरफ यह कहा जाता है कि यह अनधिकृत हुआ। जब अनधिकृत हुआ तो जो कुछ कार्यवाही चल रही थी मैं उसको प्रोसीडिंग आफ दि हाउस नहीं मानता; जब तक मित्तल साहब नहीं बैठे थे मैं व्यक्तिगत रूप से उसको प्रोसीडिंग नहीं मानता। इसके पुष्टिकरण के लिए मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ६१ और ६३ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि प्रोसीडिंग्ज कौन हैं और कौन नहीं हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए तीन, चार पृष्ठ लिखे गये हैं। पृष्ठ ६३ में यह दिया हुआ है—

"What is done or said by an individual Member becomes entitled to protection when it forms part of a proceeding of the House in its technical sense, i.e., the formal transaction of business with the Speaker in the Chair or in a properly constituted Committee."

इसमें प्रोसीडिंग का अर्थ दिया हुआ है। इसलिये मेरे विचार में वह प्रोसीडिंग्ज आफ दि हाउस नहीं थी। जिस समय सार्जेन्ट ऐट आर्म्स ने हैमर दिया उसके बाद प्रोसीडिंग्ज शुरू हुई। मैं समझता हूं कि इसमें न स्पीकर महोदय को प्रिसीडेंस देनी चाहिये और न कनसेंट दी जानी चाहिये कि वह पढ़ा भी जाय। मैं उस बारे में औचित्य और अनौचित्य नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है मेरा स्पष्ट विचार है कि कनसेंट भी नहीं देनी चाहिये और जो आज प्रिसीडेंस दिया गया वह भी अनौचित्यपूर्ण है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं कुछ.....

श्री अधिष्ठाता—मैं एक बात निवेदन कर दूं। सारे क्वैश्चन ओपेन हैं। जो आप मुझ से निवेदन करना चाहते हैं अधिक अच्छा होगा कि वह आप माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जितने प्रश्न उठाये जा रहे हैं मैंने कोई निर्णय इन पर नहीं दिया। मैंने खाली नोटिस पढ़ दी है और ये सारे प्रश्न अध्यक्ष महोदय के सामने आयेंगे और वही निर्णय देंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि जो कुछ आप निवेदन करना चाहते हैं उनके सामने ही करें। मुझे तो कोई निर्णय देना नहीं है। मैंने इजाजत दी नहीं, मैंने कनसेंट भी नहीं दी। मैंने खाली नोटिस पढ़ दी। तो मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं कि इन सब मामलों को आप अध्यक्ष महोदय के सामने निवेदन करें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर। मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने इस सदन को करीब दो तीन बार इस बात की सूचना दी कि आपने कंसेंट नहीं दिया। तो इस समय आप ही चेयर के अधिष्ठाता हैं। आप ही अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हैं। इस समय अध्यक्ष यहां हैं या नहीं हैं, वह विषय तो गौण है, लेकिन जो कोई भी यहां होगा, अध्यक्ष का पद भरा हुआ है। आप अध्यक्ष के सम्पूर्ण अधिकारों को लिये हुये बैठे हैं। इसलिये यह कहना कि माननीय अध्यक्ष नहीं हैं, मेरी समझ में यह बात पार्लियामेंटरी पद्धति के बिलकुल अनुकूल नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने कंसेंट दिया ही नहीं तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कंसेंट नहीं दिया। तो क्या श्री बेचनराम गुप्त को यह अधिकार है अध्यक्ष के पद से अलग होते हुये कि, अपनी निजी सदस्य की हैसियत

से उसको पढ़ दें। यह बड़ा वैधानिक प्रश्न है। जब आपने कंसेंट नहीं दी तो उसको पढ़ने वाली अथारिटी है कौन? कौन-सा अधिकारपूर्ण व्यक्ति है? जब उनकी कंसेंट प्राप्त हुई तो उसको सूचना सदन में दी जा सकती है। अगर यह बात सच है तो मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह आज की प्रोसीडिंग का विषय न माना जाय। जितना सदन का समय इसमें गया उस पर कोई विचार-विनिमय न हो, न नोटिस के रूप में उसको सदन ले।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जिसका मतलब यह न लिया जाय कि मैं आपको कोई मशविरा दे रहा हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मित्रों ने जो कुछ भी बात कही हो, वह सही हो, गलत हो, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपसे यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी कुछ भी राय हो उसे अगर आप निश्चित आदेश के तौर पर फरमा देवें तो अच्छा हो। आपने यह भी कहा "अच्छी बात यह है कि" लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि अब आप एक आदेश के तौर पर अपना निश्चित मत दे दें ताकि आगे की दूसरी कार्यवाही चले। मैं समझता हूं आप इसको मेरी गुस्ताखी नहीं समझेंगे।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रश्न इस वक्त हमारे सामने है, उसके दो पहलू हैं। एक यह कि यह क्वेश्चन प्रिविलेज का है या नहीं और दूसरा यह कि इसको स्पीकर महोदय के पास भेजा जाय या नहीं। मेरी प्रार्थना यह है कि स्पीकर महोदय के पास यह न भेजा जाय। उसकी वजह यह है कि मैं इस वक्त इस बहस में नहीं जाऊंगा कि यह प्रश्न प्रिविलेज का है या नहीं। हो सकता है कि इसमें दो रायें हों, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि जब यह प्रश्न और यह वाकया हुआ। और यह वाकया सदन में ही हुआ, सदन के सामने ही हुआ; यह राय भी मैं देने के लिये तैयार नहीं हूं कि उस वक्त सदन बैठा हुआ था या नहीं बैठा हुआ था, उस वक्त सदन की कार्यवाही में कोई रुकावट हुई या नहीं हुई, इस पर भी मैं राय नहीं देना चाहता इस वक्त। लेकिन मैं दो वजह से इसको स्पीकर साहब के पास भेजने का विरोध करता हूं। एक वजह तो यह है कि यह सब कार्यवाही, चाहे सदन बैठा था या नहीं बैठा था, हम सब मेम्बर्स के सामने हुई थी और हमने सब देखी थी। अब यह अगर स्पीकर साहब के पास जाय, इस सदन में वह मौजूद नहीं थे, और अगर कहीं गलती से किसी खास एवीडेंस पर ज्यादा जोर देकर और ज्यादा रिलाइएबिल मान कर और दूसरे को कम रिलायएबिल मान कर कोई ऐसे नतीजे पर पहुंच जायं जो इस सदन की मेजारिटी की राय में गलत हो, क्योंकि वाकया सदन के सामने हुआ और स्पीकर साहब को इस मुसीबत में डालना कि वह उस वाकये की तहकीकात करें जो सदन के सामने हुआ, जहां वह खुद मौजूद नहीं थे, उन पर एक जब्र करना है। और अगर कहीं गलती से वह इस बात पर पहुंच गये जो सदन की राय में गलत हो तो उनको परेशानी में डाल दिया जायगा। दूसरी वजह यह है कि जो बात हुई वह हम सब के सामने हुई और उसके बाद हम सब बैठे और हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, उपनेता सदन, ने बहुत ही अफसोस जाहिर किया और बड़ी फराखदिली से यह फरमाया कि अब हम इस तरह की कार्यवाही को दोबारा न होने दें, इसको भूल जायं। सदन के और दूसरे ग्रुप्स के नेताओं ने भी इसकी ताईद की और मेरी राय में यह मामला वहीं खत्म हो गया। उसी वाकये पर यह राय हो रही थी उस रोज। इसलिये वह वाकया डिस्कस हो चुका इस सदन में और यह सदन उसको दफना चुका, सही या गलत। इस अफसोस जाहिर करने के बाद हमने एक प्रस्ताव मंजूर किया, उस रोज की कार्यवाही मुल्तवी की और हमने कोशिश की कि इस चीज को भूल जायं और फिर अच्छे ताल्लुकात पैदा करें ताकि यह सदन उस तरह की गलत चीज को दोहरायें नहीं। इस तरह का ऐटमोसफीयर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

होने के बाद सब तरह की स्पीचेज सुनने के बाद, फिर दोबारा उसको कुरेदना मैं मुनासिब नहीं समझता।

इन दो वजूहात से मैं अर्ज करूंगा कि इस मामले को ड्राप कर दिया जाय और स्पीकर साहब के पास इसको न भेजा जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं श्रीमन् का कृतज्ञ हूं कि दुबारा अधिष्ठाता महोदय ने यह दुहरा दिया कि अभी इस प्रस्ताव की जो सूचना आई है उस पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। लेकिन मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन सज्जन ने यह प्रश्न उठाने की सूचना दी है उससे उन्हें कुछ सहूलियत हो जायगी और स्वयं मैंने उसी दिन जब अधिष्ठाता जी ने आकर सदन की कार्यवाही को अपनी अध्यक्षता में चलाया तो इस प्रश्न को उठा दिया था। मेरे पास वह रफ कापी है। उसका वह हिस्सा मैं श्रीमन् की और इस आदरणीय सदन की सूचना के लिये पढ़े देता हूं—

"इसी बीच में फिर यहां कुछ गरमागरमी की बातें हुईं और श्रीमन् तशरीफ लाये।" "श्रीमन्" से यहां हवाला है अधिष्ठाता से। यह तो बीच की कार्यवाही है। इस पर जो व्यवस्था आप मुनासिब समझें दें।

तो जहां तक नोटिस का सम्बन्ध है, ऐट फर्स्ट अपार्च्यूनिटी पर यह प्रश्न उठाया जाय तो जिन माननीय सदस्य ने शिकायत की है, उनके रास्ते में मैं सहूलियत पैदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं इस प्रश्न को उठा दिया था और मैं चाहूंगा कि यह सदन इस प्रश्न पर अपना निश्चित मत प्रकट करे। इसलिये मैं उनका कृतज्ञ भी हूं कि उन्होंने उसको एक दूसरे रूप में दिया यानी मेरी ताईद की। लेकिन मैं संसदीय प्रथाओं की ओर अधिष्ठाता जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सदन के अपमान का, ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसे टाला जा सके। एक नहीं अनेक ऐसी प्रथायें मिल जायेंगी जिसमें तुरन्त निर्णय देना अध्यक्ष महोदय या उस स्थान पर जो भी आसीन हो, उसके लिये जरूरी है।

मुझे एक खतरा और मालूम हुआ। अधिष्ठाता जी ने यह कहा कि अध्यक्ष महोदय कुछ इस सिलसिले में जांच-पड़ताल करेंगे। पड़ताल का लफ्ज मुमकिन है मेरा हो लेकिन जांच का लफ्ज अधिष्ठाता जी की तरफ से आया। इस प्रश्न पर कोई जांच नहीं हो सकती है, श्रीमन्। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय या अधिष्ठाता जी या सभापति जी जो कोई भी हों केवल उनको प्राइमाफेसी केस का फैसला देना है, जाहिरा सदन का यह अपमान है या सदन का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर फैसला देना है, कोई जांच नहीं हो सकती। जितनी जांच होगी वह तो जब रेफरेंस हो जायगा प्रिविलेज कमेटी के पास या सदन स्वयं उसकी नोटिस ले ले तब होगी। इस जांच के शब्द से मुझे भय मालूम होता है। अध्यक्ष महोदय बीमार हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं अधिष्ठाता जी का, उन्होंने कहा कि उनसे जाकर मिल लूं। इसके पहले भी कई बार मेरे दिल में आया, इस सदन का सदस्य चुने जाने के बाद कि मैं उनसे मिलूं। मैं समझता हूं कि हर सदस्य का यह फर्ज है कि वह अध्यक्ष के यहां जाकर मिल आये। लेकिन बीमार आदमी जिसको दिल का रोग हो जिसके बारे में समाचार यह हो कि वह अंडरग्राउन्ड चला गया है तो उससे मिलना मैंने मुनासिब नहीं समझा और मिलकर इस सदन की किसी कार्यवाही का जिक्र करना यह तो मैं और भी नामुनासिब समझता हूं। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय से, अधिष्ठाता जी या चूंकि यह बदलते रहते हैं, जो भी साहब हों, वह इस प्रश्न पर उनका निर्णय या मत अच्छे प्रकार से जान लें और जब इस सदन की बैठक ६ तारीख को हो तब इस प्रश्न पर जो निर्णय हो वह दे दिया जाय।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अधिष्ठाता महोदय, जिन घटनाओं की इस नोटिस में चर्चा है वे जिस वक्त हुईं मैं सदन में मौजूद नहीं था। उनका जिक्र कुछ अखबारों में पढ़ा और कुछ दोस्तों से सुना। जरूर मुझ को भी दुख हुआ उन बातों को सुन कर। मैं इस वक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन टेक्निकल सवालों में पड़ना नहीं चाहता कि वस्तुतः सदन उस वक्त बैठा था या नहीं, प्रिविलेज का मोशन उस पर लाया जा सकता है या नहीं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस दिन माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जो भाषण सदन में दिया था उसका उद्देश्य यही था कि जो कुछ भी हुआ वह हुआ, उन बातों पर परदा डाल दिया जाय और यह आशा की जाय कि अब सदन को इस किस्म के अनुभव का सामना नहीं करना होगा। जहां तक मैं जान सका, इस सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को हाफिज साहब की यह सलाह पसन्द आई और साधारण तौर से यही खयाल हुआ कि अब यह चीज यहां की यहीं खत्म कर दी जाय। मुझको भी ऐसा लगता है कि अब उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने से कोई खास लाभ नहीं होगा। मैं नहीं कह सकता कि टेक्निकल सूरत क्या है। अध्यक्ष महोदय ने उस कागज को अपने हाथ में ले लिया है तो क्या हो सकता है? लेकिन मेरा तो यही निवेदन है कि यह बात आगे न बढ़ाई जाय। अगर इसके लिये जरूरत हो कि वह प्रस्ताव वापस किया जाय तो जिन माननीय सदस्य ने इसको पेश किया है, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि अब इस मामले को आगे न बढ़ावें तो अच्छा है और यदि यह चीज अब उनके हाथ से निकल गई है, अध्यक्ष महोदय के हाथ में है—मैं नहीं जानता कि कायदा कानून इसमें क्या होता है—तो मेरी आपसे प्रार्थना है हम सब लोगों की तरफ से कि आप अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन कर दें कि हम चाहते हैं कि इस चीज के सम्बन्ध में अब कोई आगे जांच-पड़ताल न की जाय, यह मामला यहां का यहीं रहे और यह मान लिया जाय कि हम सब लोगों को इसका दुख है और इस बात की कोशिश करेंगे कि इस तरह की सूरत आगे इस सदन में पैदा न हो।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं, अधिष्ठाता महोदय, एक बात जानना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि "हम सब लोगों" से उनका तात्पर्य सदन के सभी माननीय सदस्यों से चाहे इस ओर के हों या उस ओर के, या केवल विरोधी पक्ष से है? अगर केवल विरोधी पक्ष से ही उनका मतलब है तो जैसा कि मैंने आग्रह भी किया है जरूर इस पर विचार किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सद्भावना व्यक्त की है उसके लिये मैं उन्हें सच्चे हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं और उनका समर्थन करता हूं। मैं भी सदन से, आपसे, अध्यक्ष महोदय से और जिन सज्जन ने सूचना भेजी है उनसे, और विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को अब खत्म समझा जाय और गड़े मुर्दे को अब न उखाड़ा जाय।

बेहतर यही है, जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, कि उस दिन जो कुछ हुआ उसको हम भूल जायं और एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। यह भी हम समझें कि हमने गल्ती नहीं की है, दूसरे ने की है तब भी हम माफ करें और आगे एक नया अध्याय प्रारम्भ हो जो सहयोग, सद्भावना का, सदन के सम्मान और प्रतिष्ठा का अध्याय हो। मेरा अनुरोध है कि मेरी प्रार्थना मानी जाय और एक बार फिर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उन सद्भावनाओं को व्यक्त करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, जो भावनायें इसके सम्बन्ध में व्यक्त की गयीं और माननीय उपनेता सदन ने उस रोज की थीं? उससे कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने को संबद्ध नहीं करेगा? मैंने सदन की मर्यादा और मान को देखते हुये ऐसा उचित समझा, मेरी भावनाओं ने कुछ जोर किया कि नेता सदन के सामने एक बार लाऊं जरूर। अब जो भावनायें इस समय पर व्यक्त की गयी हैं, मेरी समझ में एक चीज यह थी कि उसमें माननीय त्रिलोकी सिंह जी दोबारा पीठासीन हो गये थे उसकी चर्चा नहीं हुई, जो मेरा प्रस्ताव है उनके पीठासीन होने का, उसकी चर्चा नहीं हुई। अब इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद—मेरे लिये तो वह आदेश सा भी है—मैं इस प्रस्ताव को, यदि यह नियमित रूप से है कि वापस लिया जा सकता है, तो वापस लेना चाहता हूं। अब इसको सदन नियमानुसार वापस लेगा या नहीं; यह दूसरी बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुना और विरोधी दल के नेता के भाषण को भी सुना और माननीय जगदीशप्रसाद जी ने जो इस नोटिस को वापस लेने की इजाजत चाही है, वह भी सुना। यह नोटिस वापस हो सकता है या नहीं, वापस हो सकता है, इसमें जरा संदेह है। मैं इस पर विचार कर लूंगा और लंच के बाद जो निर्णय होगा, मैं आपको बता दूंगा। इस समय यह मसला खत्म हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई वाद-विवाद और जारी रहे।

सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह से संबंधित डाक्टर लोहिया की चार मांगों के सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---ये तीन कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। पहला काम रोको प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी का है। इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"गत २९ अप्रैल को डाक्टर राममनोहर लोहिया ने प्रदेश में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिये चार मांगों, या उनमें से किसी एक को सरकार द्वारा पूरा करने को तैयार रहने पर सोशलिस्ट पार्टी को सत्याग्रह बन्द करने की सलाह देने की जो घोषणा की थी, उसका तीन मई तक उत्तर मांगने के बावजूद भी सरकार ने कोई उत्तर न दिया। सरकार की जनहित की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो उपेक्षापूर्ण नीति है, उससे प्रदेश का सारा वातावरण क्षुब्ध है।

अतः सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मुझे माननीय राजनारायण जी से मालूम हुआ कि शायद कुछ उत्तर उनको मिल गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह मिला या नहीं ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं, श्रीमन्, आपके सामने बैठा हुआ था। ११ बजने में दो तीन मिनट बाकी थे कि मुख्य मंत्री जी का एक बन्द लिफाफा एक चपरासी लेकर आया। आपसे मेरी जो बातचीत हो रही थी कि पता नहीं यह क्या है, चलूं इसको खोलूं, देखूं तो पता चलेगा। मैंने यह नहीं कहा कि उत्तर मिल गया।

श्री अधिष्ठाता---मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर मिला या नहीं ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, माननीय मुख्यमंत्री जी का लिफाफा है, उसको रामनारायण जी खोल कर पढ़ रहे हैं। उसको अभी पढ़ा नहीं। अगर आप कहें तो मैं पढ़ डालूं। या माननीय मुख्यमंत्री यहां सशरीर विद्यमान हैं, उनसे दरियाफ्त कर क उन उत्तर दिया है या नहीं।

श्रीमन्, आपने हमसे यह जानकारी हासिल की है कि क्या मुख्य मंत्री जी का उत्तर हमको मिला या नहीं ? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर है, लेकिन इसको हमने अभी तक अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है। उसमें जिन बातों की ओर संकेत किया है, क्या मंत्री जी ने उनको कवर किया है या नहीं, अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं। प्राइवेट लेटर्स के पढ़ने की मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री राजनारायण---जिसका असर सारे प्रदेश पर हो वह प्राइवेट कैसे हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---यह पर्सनल मैटर है जिसको डाक्टर राममनोहर लोहिया ने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा .....

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं, डाक्टर लोहिया जी ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा।

श्री अधिष्ठाता—खैर, मैं प्रस्ताव को पुनः पढ़ देता हूं :

"गत २९ अप्रैल को डाक्टर राममनोहर लोहिया ने प्रदेश में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिये चार मांगों या उनमें से किसी एक को सरकार द्वारा पूरा करने को तैयार रहने पर सोशलिस्ट पार्टी को सत्याग्रह बन्द करने की सलाह देने की जो घोषणा की थी उसका तीन मई तक उत्तर मांगने के बावजूद भी सरकार ने कोई उत्तर न दिया। सरकार की जनहित की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जो उपेक्षापूर्ण नीति है उससे प्रदेश का सारा वातावरण क्षुब्ध है।

अतः सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रश्न जिसका जिक्र माननीय राजनारायण जी ने किया, इसमें कोई घटना नहीं घटी है। खाली एक घोषणा सी है, इस वास्ते मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

म्युनिसिपल कमिश्नर कालपी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—दूसरा कामरोको प्रस्ताव माननीय अवधेश कुमार जी का है कि "कालपी में कालपी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन द्वारा श्री नम्मीलाल अग्रवाल म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ किये गये अभद्रतापूर्ण व्यवहार के विरोध स्वरूप कल सारे शहर में हड़ताल रही और श्री नम्मीलाल अग्रवाल म्युनिसिपल कमिश्नर २ मई से भूख हड़ताल कर रहे हैं जिससे जिले का सारा वातावरण क्षुब्ध हो गया है। अतः इस आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह भी एक पर्सनल मैटर है और लोकल इम्पार्टेंस की चीज है। इस वास्ते मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा कानपुर काटन मिल्स के कुछ भागों को बन्द करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—तीसरा काम रोको प्रस्ताव श्री मोती लाल अवस्थी का है कि "गत १ मई को ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कानपुर काटन मिल्स की कताई तथा धुलाई की मशीनें गैर कानूनी ढंग पर बन्द कर दी हैं जिससे करीब एक हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। मिल मालिकों के उपर्युक्त गैर कानूनी व्यवहार से मजदूरों में बड़ा असंतोष फैला है।

अतः इस जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

जब और रेमेडीज ओपेन हों तो काम रोको प्रस्ताव का विषय इस तरह का नहीं हो सकता है। इस वास्ते मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, आपने जो रूलिंग दी है, क्या मैं उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर सकता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक तथा उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक के पारणार्थ कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—मैं यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्श दात्री समिति ने अपनी ४ मई, १९५७ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय:—

१—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७	४ मई, १९५७ को सदन के उठने तक।
२—प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, १९५७	६ मई, १९५७ को १ बजे तक।
३—उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७	७ मई, १९५७ को १ बजे तक।"

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी संशोधन, विधेयक, १९५७ प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स, (संशोधन) विधेयक, १९५७ तथा उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक १९५७ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्श दाषी समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आज जो ४ मई का एजेंडा वितरित किया गया है इसमें पहले तो चकबन्दी से संबंधित विधेयक है और इसके बाद जो विधेयक आने वाला था और जो आज के एजेंडे पर है उसमें मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव है कि मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों के (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन), विधेयक, १९५७ पर विचार जारी किया जाय। मैं ऐसा देख रहा हूं कि परामर्शदात्री समिति ने, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विषय आने वाला है उस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं दी है और कोई समय का वंटन नहीं किया है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विषय महत्व का है, क्योंकि एक बार पहले भी आ चुका था और इस समय भी आप देखते हैं कि जब तक इस संबंध में कोई कानून नहीं बनेगा और जल्दी नहीं बनेगा तब तक माननीय सदस्यगण उसी प्रकार भत्ता लेते रहेंगे। मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत गौरवान्वित समझता हूं सोशलिस्ट पार्टी को कि उसके सदस्य जिन दिनों सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते थे उन्होंने उसका भत्ता नहीं लिया है और उन्होंने यहां घोषणा कर दी थी।

श्री अधिष्ठाता—भत्ते का सवाल तो अभी यहां नहीं है।

श्री राजनारायण—उसी में यह दिया हुआ है, श्रीमन्। बिल आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं तो पढ़कर और जानबूझ कर कहने वाला व्यक्ति हूं। मैं यह कह रहा हूं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर अब भी न जाने कितने सदस्य उसका भत्ता लेते होंगे और जब कि साल भर के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे तर्कों के सामने झुके और उसको काटने का प्रस्ताव रखा है, तो उस पर पहले विचार क्यों न किया जाय?

मैं कार्य परामर्शदात्री समिति से बहुत ही नम्रता के साथ अर्ज करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करे और माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विधेयक आने वाला था उसको लाये क्योंकि जब तक ऐसा ऐक्ट नहीं बनता, तब तक जो सदस्य ९ दिन गैप वाला भत्ता लेते रहे हैं, वे लेते रहेंगे। इसलिये मेरा विचार यह है कि कार्य परामर्शदात्री समिति के पास यह पुनः विचार के लिये भेज दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय राजनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर कार्य-परामर्शदात्री समिति पुनः विचार करे, उसको वे वापस ले लें क्योंकि अगर परामर्शदात्री समिति उस पर विचार करेगी तो उसके लिये समय निर्धारित हो जायगा और समय न निर्धारित होने से सदन को स्वतंत्रता रहेगी कि जितनी देर तक चाहे उस पर विचार करे। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय राजनारायण जी अगर अपना सुझाव वापस ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र, नारायणदत्त जी का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिला दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह सदन उठ भी सकता है। अब जरा माननीय नारायणदत्त जी ख्याल करें कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर बिना विचार किये हुये यह सदन उठ जाय और क्या आजतक भी इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य के मस्तिष्क में कुछ भ्रम रह गया है—पुरानी कांग्रेस का करांची का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी का सन् ४७ का बयान कि हमारे मिनिस्टरान झोपड़ी में रहना सीखें और ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह न लें, अपने प्रदेश की बढ़ती हुई गरीबी और बेकारी और इसके ऊपर प्रदेश की ग्रामीण जनता की आर्थिक दुर्दशा, इन तमाम बातों को देखते और समझते हुये भी क्या किसी के मस्तिष्क में एक मिनट के लिये भी शक रह गया है कि मंत्रियों और सदस्यों का कितना भत्ता और तनख्वाह रहनी चाहिये? मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर शीघ्रातिशीघ्र विचार होना चाहिये और माननीय नारायणदत्त जी से मैं सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि वे हमारे इन भावों को परामर्शदात्री समिति में रख दें और ऐसा न होने दें कि इस बार भी यह सदन उठ जाय और फिर दो महीने की छुट्टी हो जाय। मुझे पता नहीं कि कितने प्रकार के भत्ते बन जाया करते हैं और मिल जाया करते हैं। मैं नहीं जानता और जो भत्ते बनाये जाते हैं न उनको देखता ही हूं।

मैं निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार जरूर होना चाहिये और इस बीच में दूसरे कामों को रोककर आज ४ तारीख है, ५ को छुट्टी है, ६,७,८, और ९ को हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं। मगर इसको दूसरे समय के लिये टालने का मतलब होगा कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा कितने ही प्रकार से चला जायगा। बस इतना ही निवेदन है। अगर सदन नहीं मानता है तो मेरी लाचारी है। सब लोगों ने ९,९ दिन का भत्ता लिया, मगर हमने उस वक्त भी कहा था कि सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी राय पर आना पड़ेगा और वही बात आज हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—मुझे सेक्रेटरी से मालूम हुआ कि जिस ओर माननीय राजनारायण जी ने ध्यान दिलाया है वह विषय भी शायद कार्य परामर्शदात्री समिति के सामने आया था और उस पर वह समझबूझ कर समय निर्धारित करेगी।

(एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, तथा उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार करने तथा

[श्री अधिष्ठाता]

उन्हें पारित करने के लिये कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी। इस बीच में निम्न कार्यवाही हुई।)

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, ये (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा की ओर इशारा करते हुये) यहां फ्लोर क्रास कर के कांग्रेस की ओर से कन्वेंसिंग करने आये हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैं कोई कन्वेंसिंग नहीं कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण जी, आप अब जरा खामोश रहिये।

श्री राजनारायण—इनको भी तो खामोश कराइये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में—२११,
विपक्ष में—१९।)

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों एवं एक ही दिन अधिष्ठाता मंडल के दो सदस्यों के सभापतित्व पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो वैधानिक प्रश्न अधिष्ठाता मंडल के निर्माण के संबंध में उठाया गया था उस संबंध में मैं अपना भाषण कर रहा था। केवल एक या दो मिनट ही बोल पाया था कि तब तक दूसरा प्रस्ताव आ गया और बीच में ही मुझे बैठा दिया गया। चूंकि उस समय यहां पर मुख्य मंत्री महोदय मौजूद नहीं थे वरना मुझे यह विश्वास था कि माननीय मुख्य मंत्री कुछ हमारी सहायता करते, क्योंकि वैधानिक प्रश्न पर जब चर्चा हो रही हो और सदन का कोई सदस्य उस पर बोल रहा हो, उस समय किसी सदस्य को बैठाकर दूसरा प्रश्न लिया जा सकता है या नहीं, यह बड़ा भारी वैधानिक प्रश्न है। मगर मैं बैठ गया और उनकी आज्ञा का पालन किया।

मैं उस समय श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद १७८ को पढ़ रहा था। यदि इस १७८ अनुच्छेद को अच्छी तरह से देखा जाय तो मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसमें बहुत सार पायेंगे। इसमें यह है कि:—

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Sepeaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

अनुच्छेद १७८ बहुत ही स्पष्ट है। वह यह कहता है कि ज्योंही विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी त्योंही विधान सभा अपने में से दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। यह श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ भ्रामक धारणाओं के बीच कार्य हो रहा था। इसका अर्थ कुछ लोगों ने यह समझ रखा था कि सदन क्रमशः चुनाव करेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ऐसा नहीं है। अगर इसकी भाषा यह होती कि सदन की बैठक जो होगी वही सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्रमशः चुनाव करेगी तो यही इसकी भाषा होती, जिसके मुताबिक कार्य हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि संविधान की भाषा साफ कहती है कि हम दो व्यक्तियों को चुनेंगे जो क्रमशः अध्यक्ष

और उपाध्यक्ष होंगे। यह नहीं है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्रमशः है। इन दोनों में बड़ा अन्तर है। मुझे अफसोस होगा जब कि कानून की बारीकी समझने वाले लोग इसे ग्रहण नहीं करेंगे।

हो सकता है कि कुछ लोग आज की नाजुक घड़ी की नजाकत में आ जावें और उनके दिमाग में यह बात आवे कि राजनारायण का इंटरप्रेटेशन (भाष्य) मानने से अब तक के सभी कार्य अवैध हो जावेंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को रास्ते से विचलित रखने के लिये यह सामयिक परिस्थिति मजबूर करे; मगर ऐसे लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जहां भी तनिक सी उंगली दबे अगर वहां पर मर्यादा भंग कर दी जायगी तब कभी भी मर्यादा बन नहीं सकती, कभी रेखा खींची नहीं जायगी। अगर खींची, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी की रेखा की तरह से खींचनी चाहिये। इस समय संविधान की रेखा प्रत्येक स्टेट असेम्बली के लिये खिंची है। यदि सरकार की उंगली दबने पर वह रेखा टूटती चली जावे तो मर्यादा बन नहीं पावेगी। इसलिये हमको मर्यादा का ख्याल करना चाहिये, ठोकरें खाकर भी करना चाहिये; चाहे इसमें कुछ जोखिम भी उठानी पड़े, मगर मर्यादा का ख्याल रखना ही होगा। यदि सब कार्य अब तक के अवैध हो जावें तब भी तैयार रहना चाहिये, वरना यह सरकार हमेशा नादान बनी रहेगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के इस सरकार के नेता होते हुये भी कोई ऐसा अनुचित कार्य होता है। उनसे कुछ आशायें थीं। जब यह देखता हूं कि वे आशायें भी बिलकुल गिरती जा रही हैं, धराशायी होती जा रहीं हैं इस कुर्सी पर बैठते ही और कांग्रेस पार्टी के नेता बनते ही, तो बड़ा अफसोस होता है।

श्री अधिष्ठाता—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर पर भाषण देते समय जरा ब्रीफ होना चाहिये।

श्री राजनारायण—बड़ा ब्रीफ हो रहा हूं, श्रीमन्! जरा अनुच्छेद १८९ को पढ़ा जाय। १७८ अनुच्छेद के संबंध में कुछ जरा और निवेदन कर दूं। अगर अध्यक्ष भी न रहे, उपाध्यक्ष भी न रहे, तो सदन का सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी सदस्य को उस कुरसी पर बैठा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—जरा फिर दोहरा दीजिये।

श्री राजनारायण—१८३ अनुच्छेद यह है कि:

A member holding office as Chairman or Deputy Chairman of a Legislative.....

श्री अधिष्ठाता—मैं आपका ध्यान अनुच्छेद १८०(१) की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—मैं पढ़ता हूं:

"(1) While the office of the Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of the Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose.

(2) During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the Rules of Procedure of the Assembly or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

मैं यही कह रहा था। मालूम होता है कि अब आप भी सारी बातों को समझ गये हैं। अन्तिम पैराग्राफ उस समय पढ़ने से रह गया था जब कि आपने हमको टोका था।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, मैं यही कह रहा था और इसी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा था कि जब स्पीकर भी न हो, डिप्टी स्पीकर भी न हो, और अधिष्ठाता भी न हो तो यह सदन को पूरा अधिकार होगा कि वह असेम्बली के किसी भी मेंम्बर को चुने और वह मेंम्बर अध्यक्ष की हैसियत से काम करेगा। अनुच्छेद १७८ में इस प्रकार लिखा हुआ है—

"So often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

यानी जब आफिस वेकेन्ट हो तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर चुना जा सकता है। सदन का कोई भी कार्य हो, हम चाहें कि सदन बैठे और महत्वपूर्ण विधेयक पास करें तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अभाव में यह सदन किसी भी माननीय सदस्य को चुन कर उससे अध्यक्ष का कार्यभार संपादित करा सकता है।

यहां पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है और इन्हीं दो शब्दों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। एक "वेकेन्सी" और दूसरा "ऐबसेन्ट"। विधान में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस समय जो वादविवाद हो रहा है उसमें इन दोनों शब्दों को अलग-अलग नहीं रखा जा रहा है। एक डिक्शनरी उधर से पेश की गयी और इधर से हमारे मित्र ने एनसाईक्लोपीडिया पेश कर दी। सरकारी पक्ष की ओर से माननीय इब्राहीम साहब ने भाष्य किया कि "ऐबसेन्स इनक्लूड्स वेकेन्सी"। वे दोनों को शामिल कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय इब्राहीम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संविधान में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है और इसीलिये प्रयोग किया गया है कि इन दोनों के अलग-अलग मानी हैं। अगर संविधान के बनाने वालों को दिमाग में यह बात रही होती जो वह कर रहे हैं, तो ये दोनों शब्द अलग-अलग न रहे होते, केवल "ऐबसेन्स" का प्रयोग किया गया होता। और "गैर हाजिर" शब्द से ही कह दिया जाता कि चाहे वह गैरहाजिरी अस्तित्व में रहते हुए हो, अथवा अस्तित्व में न रहते हुए हो। मगर संविधान बनाने वालों ने ऐसा नहीं किया और दोनों को अलहदा-अलहदा रखा। दोनों शब्द अलहदा-अलहदा प्रभाव और अर्थ रखते हैं। मैं आपसे निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह ऐसा प्रश्न है कि जिस पर केवल उत्तर प्रदेश की विधान सभा का भाग्य ही नहीं निर्धारित होगा बल्कि हमारे देश की जो सारी असेम्बली हैं उनके तमाम लोग भी इससे संबंधित होंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर अच्छी तरह निर्णय होना चाहिये, समझ कर निर्णय होना चाहिये। मैंने कोशिश की थी कि इसमें एडवोकेट जनरल साहब की भी सम्मति ली जाय, लेकिन मैं असमर्थ रहा क्योंकि मुझे गोरखपुर एक मुकदमें के सिलसिले में चले जाना पड़ा। अगर आप कभी वहां की सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा कि वहां न हमने कोई बांड लिख कर दिया, जुरमाना नहीं देंगे, ऐसा लिखकर दिया।

श्री अधिष्ठाता—आप इर्रेलेवेन्ट हो रहे हैं।

श्री राजनारायण—अब आप ही बतायें कि इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? मैं इतने ही शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दें और हमें अपनी सद्व्यवस्था से अनुग्रहीत करें।

श्री अधिष्ठाता—इस पर काफी बहस हो चुकी है, यह प्वाइन्ट आफ आर्डर का विषय है। अब इस पर मैं अपनी रूलिंग दूंगा। इस पर अब अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय राजनारायण जी ने जिन दफाओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया है, उन

पर हमने पहले ही ध्यान दे दिया है और उनका काफी अध्ययन भी किया है। अब मैं इन दोनों प्रश्नों पर अपना निर्णय देता हूं :—

३० अप्रैल, १९५७ को दो वैधानिक आपत्तियां इस सदन में श्री गोविन्द नारायण तिवारी की ओर से उठाई गयी थीं। पहली आपत्ति यह थी कि चूंकि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है और अभी तक भरा नहीं गया है, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद १८० (२) के अन्तर्गत उनको अनुपस्थित नहीं कहा जा सकता। इसलिये अधिष्ठाता मंडल का कोई भी सदस्य वैध रूप से विधान सभा का सभापतित्व नहीं कर सकता।

मैंने संविधान के अनुच्छेद १८० की उपधारा (१) तथा (२) के उपबन्धों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। उपधारा (१) राज्यपाल को यह अधिकार देती है कि जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके। उपधारा (२) में ऐसी आपातिक अवस्था का उपबन्ध किया गया है जब कि या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों ही अनुपस्थित हों। मेरे विचार से शब्द "अनुपस्थित" का यह अर्थ है "किन्हीं भी कारणों से अनुपस्थित जिनमें पद रिक्त रहना भी सम्मिलित है, पद की पूर्ति न होना भी सम्मिलित है।' विधान सभा द्वारा निर्मित नियमों में यह उपबन्ध है कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के उपरान्त उपाध्यक्ष का निर्वाचन, यदि सभा उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, अथवा यदि रिक्तता होने के समय सभा उपवेशन में न हो तो उसके आगामी अधिवेशन के ३० दिनों के भीतर होगा। यदि दुर्भाग्यवश इस अवधि के अन्दर अध्यक्ष बीमार हो जायं या सभा में उपस्थित न हो सकें तो जो आपत्ति उठाई गयी है उसके अनुसार तो सभा की बैठक हो ही नहीं सकती। इसका परिणाम पूर्णतया अयुक्ति संगत होगा और इन्टरप्रिटेशन (तशरीह) के प्रसिद्ध नियम के अनुसार ऐसा इन्टरप्रिटेशन जिसका परिणाम अयुक्ति संगत हो, स्वीकार नहीं होना चाहिये। इसलिये उचित अर्थ यही है कि अनुच्छेद १८२ में प्रयुक्त शब्द "अनुपस्थित" का तात्पर्य किसी भी कारण से होने वाली अनुपस्थिति है और इसमें वह अनुपस्थिति भी सम्मिलित है जो कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण होती हो। ऐसी अवस्था में कोई अनियमितता नहीं है और अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त सभापति विधान सभा की बैठकों में पीठासीन हो सकते हैं।

दूसरी वैधानिक आपत्ति यह उठाई गयी थी कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ७ में यह उपबन्ध है कि अधिष्ठाता मंडल का कोई सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर पीठासीन हो सकेगा। इस प्रकार एक बैठक में मंडल का केवल एक ही सदस्य पीठासीन हो सकता है। अतएव श्री बेचनराम गुप्त के बाद श्री द्वारिकाप्रसाद मित्तल का पीठासीन होना उक्त नियम के प्रतिकूल है।

मेरे विचार में नियम ७ के अनुसार मंडल के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर सभी की बैठक में पीठासीन हो। इसलिये प्रक्रिया नियमावली के नियम ८ के अन्तर्गत श्री बेचन राम गुप्त उस समय अध्यक्ष की हैसियत से कार्य कर रहे थे और उनका सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिये श्री द्वारिकाप्रसाद मित्तल से अनुरोध करना विधान के अनुकूल है। इसलिये मैं यह निर्णय देता हूं कि श्री बेचनराम गुप्त के बाद श्री द्वारिकाप्रसाद मित्तल का पीठासीन होना सर्वथा वैध और प्रक्रिया नियम के अनुसार था।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

श्री अधिष्ठाता—अब माननीय मलिखान सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं भी २९ अप्रैल को माननीय सदस्य ने सरकार की तरफ से जो भाषण में कहा था कि मैं गरीबों और परिगणित जातियों के दुख और दर्दों को जानता हूं, उसी के सम्बन्ध में कह रहा था। उस समय मैंने माननीय सदस्य का ध्यान उस तरफ दिलाया था कि वे थोड़े से हिस्से को ही जानते होंगे, किन्तु यह एक प्रान्त की बात है। इसमें पूरे प्रान्त के गरीबों और दुखियों की बात है कि जो किसान अपनी काश्त करता है वह किसान गांव के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा दबाया जाता है। जो गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके यहां सी० ओ० और ए० सी० ओज० जाकर रोटी खाते हैं, उनके यहां रहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हीं के कहने पर चलते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हो सकता है हमारे माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में उस प्रकार की व्यवस्था करा ली हो, लेकिन थोड़े से क्षेत्र की कमी दूर करने से हम पूरे प्रान्त की कमी को दूर किया हुआ नहीं समझ सकते। तो मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी कठिनाइयां प्रान्त के हर स्थान में, जहां-जहां चकबन्दी हो रही है, आती चली आयी हैं और चली जा रही हैं। गांवों में सी० ओ० या ए० सी० ओज० मौके पर जाकर इन्क्वायरी नहीं करते बल्कि वे गांव के प्रमुख व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं जो उनको अपनी पार्टी के सम्बन्ध में बताया करते हैं और खुद चक निश्चित कर देते हैं।

इस प्रकार तरह-तरह की कठिनाइयां उन गांवों में जहां कि चक बनाये जाते हैं, किसानों के सम्मुख उपस्थित होती हैं। यह देखा गया है कि प्रत्येक गांव में इन ग्राम पंचायतों के चुनाव के कारण दो-दो पार्टियां बन गयी हैं। दो पार्टी होने के कारण सी० ओ०, ए० सी० ओ० या चकबन्दी अधिकारी गांवों में जाते हैं तो एक पार्टी से नहीं मिलते हैं। स्वाभाविक बात है कि दूसरी पार्टी उनसे मिलने में उस समय संकोच करे और संकोच करने के कारण दूसरी पार्टी के लोग अपनी सही बातें उन अफसरों के सामने नहीं रख सकते और न वे आफिसर उनके पास जाकर उनकी सही बातें सुनते हैं। इस कारण से वे गांव की व्यवस्था को एकतरफा ही जानते हैं जिससे फिर दूसरे लोग बराबर शिकायत करते हैं। यदि सरकारी कर्मचारी, चकबन्दी अधिकारी, ए० सी० ओ०, सी० ओ० और दूसरे लोग मौके पर जाकर दोनों पक्ष के लोगों को एकत्रित कर, उनका मत लेकर कोई काम करें तो समस्या को बड़ी अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है।

दूसरी जो सबसे बड़ी कठिनाई चकबन्दी व्यवस्था के सम्बन्ध में गांवों में हो रही है, वह यह है कि वे गांव की जमीन को तीन भागों में बांटते हैं, ए ब्लाक, बी ब्लाक और सी ब्लाक। कहीं जमीन भूड़ होती है, कहीं दोमट होती है और कहीं धान की जमीन होती है। चकबन्दी अधिकारी मौके पर जाकर जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं उनके ए ब्लाक को बी में मिला देते हैं और यदि बी से मिला हुआ सी ब्लाक है तो उसे उसमें मिला देते हैं। इस प्रकार वे वहां के किसानों को जिनको कि लाभ पहुंचाना चाहते हैं, बराबर लाभ पहुंचा रहे हैं और इसके कारण गरीब किसानों को परेशान होकर इधर-उधर भागना होता है। साथ ही साथ मौके पर यह भी देखा गया है कि अगर एक खेत उपजाऊ होता है तो उसी की मेड़ पर जो दूसरा खेत है वह अनउपजाऊ होता है। एक खेत में कांस होता है तो दूसरे में हरा गेहूं दिखाई देता है। जिस खेत को किसान तैयार करने में दस-

*१८ अप्रैल, १९५७ को कार्यवाही में छापा गया।

†२९ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही से।

पन्द्रह साल तक लगा देते हैं, उसी को चकबन्दी अधिकारी चक बना कर दूसरे को दे देते हैं जिस को उसने इतनी मेहनत करके, खाद डाल डाल कर तैयार किया है और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया है। वह जमीन दूसरे को चली जाती है और जो खराब जमीन है वह उस व्यक्ति को मिल जाती है जो निठल्ला बैठ रहा है या जो पट्टे पर उठाकर लाभ लेता रहा है। इस तरह से इन सी० ओ० और ए० सी० ओ० की अनधिकार चेष्टा से कुछ लोगों को लाभ पहुंच रहा है और दूसरे व्यक्तियों को जो कि कानून की जानकारी नहीं रखते या जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, नुकसान पहुंच रहा है। वे वंचित रह जाते हैं और उनके चक खराब किस्म के बनते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी कठिनाई भी हुई है कि कहीं पर जहां भूड़, दुमट और धान की सब तरह की जमीन है तो वहां किसी को तो केवल भूड़ जमीन मिल जाती है और किसी को अच्छी दुमट मिल जाती है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह अपने सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के आदेश दें कि वे मौके पर जाकर जमीनों का मूल्यांकन करें। पहले वे जमीन का मूल्य १३ आना, १२ आना, १ आना या २ आना, जैसी जमीन हो, उसका मूल्य आंकें और जिसकी जमीन की जितनी मार्केट वेल्यू हो उसको उसी हिसाब से चक बनाकर दें। यह चीज कानून के द्वारा ऊपर से थोपने की नहीं है, यह तो गांवों में जाकर, वहां के काश्तकारों के पास स्वयं जाकर, उनकी वहां की स्थिति को जान कर, उनकी मनःस्थिति को समझ कर ठीक से देखने और करने की है। इसके अलावा इन चकबन्दी अधिकारियों को पार्टीबन्दी में नहीं पड़ना चाहिये और इस तरह के आदेश उनको रहने चाहिये। कभी कभी उनकी इन्क्वायरी भी होनी चाहिये।

साथ ही जो सबसे बड़ी कठिनाई चकबन्दी के सम्बन्ध में हो रही है वह इस प्रकार की है कि गांव में जो गांव के नेता होते हैं वह स्वयं आकर चकबन्दी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं और जो कागजात पब्लिश किये जाते हैं वह ठीक से पब्लिश नहीं हो पाते, पब्लिश होते हैं, लेकिन उन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं होते और वह कागजात केवल फाइल में ही रह जाते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, हम सब चाहते हैं कि चकबन्दी कानून सफलता से चले और यह व्यवस्था पनपे, इसी पर हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। यह हमारे प्रदेश के किसानों के हानि लाभ का प्रश्न है। लोग इस व्यवस्था को ठीक ढंग से समझें। तभी यह काम ठीक से चल सकता है। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न एक साथ बैठ कर गम्भीरता से सोचने का है, इसके लिये वह एक कमेटी निर्धारित कर दें और उस उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्णय करने वाली कमेटी के द्वारा इस पूरे प्रदेश के उत्थान के प्रश्न को हल करावें। यह सारे प्रदेश और राष्ट्र के उत्थान का सवाल है। वह इसे किसी आत्म सम्मान का प्रश्न न बनावें। यह कमेटी किसानों की कठिनाई और उनकी समस्याओं पर विचार करे और निर्णय दे और उसके बाद जो रिपोर्ट यहां आये उसके अनुसार यहां सदन से कानून पास हो।

अन्त में मैं आपके द्वारा, पुनः माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और उसके द्वारा फिर सदन विचार करे कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं हैं। किसान क्यों परेशान होता है, क्यों रिट दायर करता है, क्यों लखनऊ में भागा भागा आता है? यह जो समस्याएं हैं, किसी को इन समस्याओं का शौक नहीं होता। वास्तव में जब वहां कमियां होती हैं, जब उसको कठिनाइयां होती हैं तब जनता आवाज बुलन्द करती है और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहती है। अतः मैं फिर माननीय माल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता ने माल मंत्री को पुकारा।)

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं क्या आपसे कुछ निवेदन कर सकता हूं ? माल मंत्री जी की सेवा में मैं केवल दस मिनट में कह दूं तो उनको सोचने में शायद आसानी हो।

श्री अधिष्ठाता—यह शायद आप लोगों में आपस में तय हुआ था कि माननीय मलिखान सिंह की स्पीच के बाद माननीय मंत्री जी जवाब उसका देंगे। शायद क्लोजर आ गया था।

श्री गेंदासिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि अगर मेरी बात दस मिनट सुन ली जाय तो शायद कुछ आसानी हो। जैसा आप मुनासिब समझें।

श्री अधिष्ठाता—तो आप बोलिए।

श्री गेंदासिंह—महोदय, मैं चाहता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति को सुपुर्द कर देने में यह आसानी दिखायी देती है कि राजस्व मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्य बैठ करके उन सारी कठिनाइयों पर विचार कर सकते हैं जो कठिनाइयां इधर तीन चार वर्ष से लगातार जो काम हो रहा है उसके बीच उत्पन्न हुई हैं। यह कुछ मेरी राय नहीं बल्कि सदन की राय ऐसी मालूम होती है, ऐसी कुछ उसमें बहुत दिक्कत भी मुझे दिखायी नहीं देती कि प्रवर समिति में जाने से उसमें कोई बहुत झंझट पैदा हो जाय। मैं इस अवसर पर एक आध बात की ओर और संकेत कर देना चाहता हूं। यह लाखों मनुष्यों का और मेरा खयाल है कि प्रदेश के सारे किसानों का अगर सम्बन्ध है, तो करोड़ों की तादाद होगी जिनका सम्बन्ध इस कानून से होगा क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश में चकबन्दी अगले पांच वर्षों में करने का विचार है। अभी तक जिन जिलों में हम चकबन्दी कर सके हैं शायद कोई जिला ऐसा नहीं जहां कि पूरा काम हो चुका हो। बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहां पर यह सारा काम हुआ है। और यह भी देखने में आता है कि एक सेक्शन इससे असंतुष्ट हुआ है। यह सेक्शन ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आधा हो, आधे से कहीं अधिक हो सकता है और कहीं आधे से कम हो सकता है। यह काम करने वालों के ऊपर है। जैसे जिस स्थान पर काम करने वाले रहे हैं वहां पर उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। कुछ जगहें ऐसी भी मानी जा सकती हैं जहां पर आधे के करीब या आधे तक लोग इस काम से असंतुष्ट हैं।

मैं उसके भीतर, कमजोरी की तरफ एक निगाह डालने की कोशिश करूंगा। मैं यह सोचता हूं कि सरकार ने अनावश्यक रूप से बहुत भारी बोझ इस चकबन्दी के काम में अपने ऊपर ले लिया है। सरकार ऐसा समझती है कि यह काम बहुत उत्तम है इसलिए उस उत्तम काम को चाहे वह किसी तरह से काश्तकार के ऊपर डाले तो काश्तकार को खुशी-खुशी उसे कबूल करना चाहिए। अगर काश्तकार खुशी से कबूल नहीं करता है तब भी सरकार को यह अख्तियार होना चाहिए कि उसके ऊपर उस बोझ को डाले। फिर उसके लिए अगर उसको कुछ जोर जबरदस्ती भी करना पड़े तो उसको अख्तियार मिल सके कि वह जोर जबरदस्ती करे। इसका कुछ दुष्परिणाम हुआ और वह यह हुआ है कि जो शासनाधिकारी हैं उनको कुछ बेलगाम अख्तियारात मिले हुए हैं। स्वतः चकबन्दी कानून जो है वह बहुत ही समरी पावर्स शासनाधिकारियों को देता है।

शासनाधिकारियों को समरी पावर्स देने के बाद अब हम इस उसूली बात पर निगाह डालना चाहते हैं और आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहते हैं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें शासनाधिकारियों को लगाम लगाने के लिये लेजिस्लेचर और जुडिशियरी का स्थान है। हम इन अधिकारियों को ईमान का कम नहीं बताते हैं, किन्तु हर मनुष्य अपनी शक्ति का कुछ अधिक उपयोग करने के लिये लालायित रहता है। तो यह तो बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चित है कि कानून में हमने शासनाधिकारियों को जो पावर कभी नहीं दी थी वह पावर दी। ऐसी पावर दे रखी है कि जिसकी बदौलत वह किसी भी कागजात के इंदराज को समरी तरीके पर दुरुस्त कर सकते हैं, किसी भी कब्जे को जो बहुत देर तक अदालतों में फैसला होते थे उनको जल्द से जल्द का समरी तरीके पर फैसला करने अख्तियार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान पुराने जमाने में जो बंदोबस्त हुआ करता था उस ओर ले जाना चाहता हूं। जब बंदोबस्त हुआ करता था तो जो राज्य कर्मचारी होते थे उनके संबंध में यह मशहूर था कि बंदोबस्त में जो लोग काम करते थे वे बहुत धन कमाते थे, और थोड़े ही दिनों में राजकर्मचारी और उनके पास रहने वाले भी इतना धन कमाते थे, कि जितनी दौलत कमाना उनके लिये सम्भव नहीं था। मेरे सामने तो एक ही बंदोबस्त १३२३ फसली का हुआ। उस समय शायद मैं अपर प्रायमरी के दर्जा 'अ' या 'ब' में पढ़ता हूंगा। मैंने उस वक्त बंदोबस्त देखने की बचपन में कोशिश की थी, मुझे शौक था। उसी गांव में बन्दोबस्त अफसर का दफ्तर था, इसलिये मुझे देखने का अवसर मिला था। हमने देखा कि कब्जे के सिलसिले में, कागजात के दुरुस्त करने के, या मेड़ गलत हो तो उसको ठीक करने के, जो समरी तरीके पर फैसले होते थे उनकी अपील हो सकती थी और मुकदमें की पैरवी हो सकती थी और अदालत से फैसला हो सकता था। लेकिन न सिर्फ बंदोबस्त का अधिकार राजकर्मचारियों को दिया गया है चकबन्दी कानून में, बल्कि इंदराज को दुरुस्त करने का काम जो बंदोबस्त में हुआ करता था, वह तो है ही, उसके अलावा यह भी है कि अच्छी जमीन के बदले में खराब जमीन दे सकते हैं और खराब के बदले अच्छी जमीन दे सकते हैं।

यह सही है कि चकबन्दी कमेटी का निर्माण किया है। चकबन्दी कमेटी के सिलसिले में हम जितना ही न कहें उतना ही अच्छा है। इस कमेटी का किस तरह राज कर्मचारियों ने उपयोग किया है उस पर मैं समझता हूं विशेष चर्चा करना ठीक नहीं है। फिर सारी बात राजकर्मचारियों पर आ जाती है और उनको यह अख्तियार है कि एक आदमी का इंदराज दुरुस्त कर सकते हैं,। यह भी अख्तियार है कि उसकी जमीन एक जगह से तीन जगह कर सकते हैं। सारे गांव के पूरे नक्शे को उखेड़ देने का उनको अख्तियार है। अब, अधिष्ठाता महोदय, अगर इतने पर राजकर्मचारी थोड़ा गिर जाता है तो मैं उस कर्मचारी को कसूरमन्द मानने को तैयार नहीं हूं। जो कर्मचारी इतने अख्तियार के रहते हुए ईमानदारी से काम करता है वह बधाई का पात्र है। लेकिन जिस किसी भी मनुष्य को इस तरह का अख्तियार दिया जायगा वह आदमी अपने अख्तियार को एक्सीड नहीं करेगा, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वह अपने अख्तियार को ठीक तरीके से बरते, वह ठीक है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि चकबन्दी कानून में जो तीन, चार अमेंडमेंट हुए हैं जरा उन पर गौर करें तो वे देखेंगे कि जब कभी राजकर्मचारियों को असुविधा हुई इसलिए कि काश्तकारों ने रेजिस्ट किया। राजकर्मचारियों की तरफ से मान लीजिए कि कोई ज्यादती हुई। ज्यादती होने के बाद काश्तकारों ने रेजिस्ट किया तो उस वक्त राजकर्मचारियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक अमेंडमेंट किया और उसके लिए प्रमाण स्वरूप में उनकी सेवा में, अगर कहें तो यह जो नियमों की जांच करने के लिए, एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट रख दूं। हमारा ख्याल है कि उन्होंने उसको देखा जरूर होगा। अधिष्ठाता महोदय, समय बचाने के लिए मैं समझता हूं कि इसका जिक्र मैं तफसील में न करूं। यानी जो कानून हमने बनाया उस कानून को भी एक्सीड किया शासनाधिकारियों ने। शासनाधिकारियों ने उस कानून को एक्सीड किया और इसमें करीब २० आइटम हैं। जो कानून इस सदन ने बनाया था उस कानून की मंशा के खिलाफ उन्होंने नियम बनाया और कानून की मंशा के खिलाफ नियम बनाकर उससे फिर एक अजीब बखेड़ा पैदा किया और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ फैसला हुआ और दुनिया भर का कन्फयूजन पैदा हुआ।

[श्री गेंदासिंह]

इस बात को मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा था, लेकिन मैं असल में जोर इस पर दे रहा था.....।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--मैंने तय यह किया था कि मैं बिलकुल चुप रहूंगा। लेकिन एक बात तो जरूर पूछना चाहूंगा कि राजकर्मचारियों के कौन से अधिकार की अवहेलना करने की वजह से हाई कोर्ट का यह फैसला हुआ? आपने फरमाया कि उन्होंने ज्यादती की।

श्री गेंदासिंह---मैंने यह कहा और अब भी मैं साफ कर दूं कि हाई कोर्ट में जाने के लिए किसानों को जो मजबूर होना पड़ा उसका एक ही कारण नहीं। मैं एक ही कारण इसी को नहीं कहता हूं। ऐसे अनेक कारण हैं।

श्री चरणसिंह---हाई कोर्ट का फैसला हुआ, यह आप बतला रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---सही बात यह है कि हाई कोर्ट में जाने के लिए किसानों को जो विवश होना पड़ा उसको मैं समझता हूं कि उस का एक कारण नहीं है। अनेक कारण हैं और मैं इसको तो कहता हूं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी ने जो शिकायत की कि कानून बनाने के बाद भी हमने कानून की मंशा के मुताबिक नियम नहीं बनाये और नियम बनाने में एक्सीड किया, तो मैं जो कह रहा हूं, मैं चिढ़ाने के ख्याल से नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मनुष्य-मनुष्य है और अगर मनुष्य को देवता की ताकत दी जावे तो वह देवता की तरह से काम नहीं कर सकता। अब देवता अगर नहीं हैं .....

श्री चरणसिंह---आप ले आइए देवता।

श्री गेंदासिंह---देवता नहीं ला सकते। राजकर्मचारी और हम देवता नहीं हो सकते। इसलिए एक ही बात हो सकती है कि देवता न माना जाय और हम और राजस्व मन्त्री जी और पालीवाल जी और अन्य जितने लोग बैठे हुए हैं और चकबन्दी कार जो हैं, जिनके ऊपर चकबन्दी गुजरी है, उन सबको आदमी मान लिया जाय। आदमी मानकर आदमी की तरह से सुलूक किया जाय और आदमी की तरह से समझा जाय कि आदमी रुपये की गठरी देखकर के ललचा सकता है। ५०, ६० रुपये का मुलाजिम जिसकी टेम्पोरेरी सर्विस है, वह आदमी अगर हजार दो हजार रुपये एक दिन में, दो दिन में उस काम से पा सकता है तो वह दूसरे दिन बरखास्त होने के लिए न्यौता दे सकता है। और यह मजबूरी कोई एक दो जगह नहीं है, यह सैकड़ों जगह है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस अनियंत्रित अधिकार को जो हम देते चले जा रहे हैं और आज भी हम दे रहे हैं और जो संशोधन होने जा रहा है वह भी उसी के अनुरूप है। हम फिर अनियंत्रित अधिकार को देने के लिए आज भी एक विधेयक ले आये हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं कि हमको यह बात नहीं समझनी चाहिए कि किसान जो है वह अपनी भलाई की बात नहीं सोच सकता। अगर किसान अपनी भलाई की बात सोच करके माननीय राजस्व मंत्री जी को वहां बैठा सकता है तो अपनी खेती-बाड़ी की भलाई की बातनहीं सोच सकता? वह भी सोच सकता है कि हमारी खेती जो दस जगह है वह दस जगह बजाय तीन जगह हो जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन उसके ऊपर हम यह जोर-जब्र न करें। बहुत से काम सुधार के अभी बाकी हैं और मैं तो देख रहा था यू० पी० जमींदारी एबालीशन कमीशन की रिपोर्ट और चौधरी साहब को मैं इसमें गौर से देखना चाहता था कि कहीं उन्होंने कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स पर कुछ फरमाया है या नहीं। इस सारी पुस्तक में कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स पर बहुत कम बात कही गई है। रिडिस्ट्रिब्युशन आफ लैंड के बारे में इस में बहुत कुछ कहा गया जिसमें चौधरी साहब के भी दस्तखत हैं। इस

वक्त चूंकि अनाज की कमी है, उत्पादन म गड़बड़ पड़ेगी, लड़ाई के जमाने में. इसलिये मुनासिब यही है कि जब लड़ाई खत्म हो जाय उसके बाद इसकी चर्चा की जा सकती है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद से बड़े-बड़े एग्रेरियन रिफ र्म्स में जो उनको सूझा—बदकिस्मती यह है कि जब मैं बात कहता हूं तो उनको नाराजगी होती है—चकबन्दी। उस सुझाव में काफी हद तक—इसलिये कि इससे ही वह प्रसन्न हो जायं —चकबन्दी में बहुत हद तक हम उनके साथ चलते रहे।

श्री चरणसिंह—भूल गये दस्तखत ?

श्री गेंदासिंह—मैं दस्तखत भूलता नहीं हूं। अपने दस्तखतों को याद रखता हूं। मैं उनसे कहता हूं "देर आयद दुरुस्त आयद।" तजुर्बे से मालूम हुआ कि गल्ती की गई है।

श्री चरणसिंह— I believe Genda singh ji is Sober.

श्री गेंदा सिंह—मैं धन्यवाद देता हूं। मैं भी उन्हें सोबर समझता हूं अगर वह मुझे सोबर समझते हैं, यह उनकी कृपा है।

श्री चरणसिंह—जो सोबर हो, यही मतलब है।

श्री गेंदा सिंह—मैं यह कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि मैं बराबर इस बात पर उस वक्त भी जोर देता रहा कि किसानों पर जबदस्ती चकबन्दी लादने की कोशिश न की जाय। अगर सन् ५३ में मैंने यह कहा भी हो कि चकबन्दी जबरदस्ती किसानों पर लादना उनके हित में है तो वही गेंदासिंह आज खड़ा हो कर कह रहा है कि जबरदस्ती किसानों पर चकबन्दी न लादी जाय।

मुजफ्फरनगर के किसानों और दूसरे जिले के किसानों को देख कर जरूर यह भावना होती है कि हमको अख्तियार नहीं है कि हम उनके ऊपर जबरदस्ती इस काम को लादें। मैं दो एक मिनट में एक आध बात कह देना चाहता हूं। मेरे पास नक्शे पड़े हुये हैं और अगर माननीय राजस्व मंत्री जी पसन्द करेंगे तो उन नक्शों में सब उन जगहों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनके राज्य कर्मचारियों ने कैसी-कैसी हरकतें की हैं। उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और इस कदर अधिकारों का दुरुपयोग किया है कि वह किसान जो माननीय चरणसिंह जी को अपना प्राण समझता था वही किसान माननीय चरण सिंह जी के दरवाजे पर भूख हड़ताल कर रहा है।

श्री चरणसिंह—यही मश्विरा दे दिया होगा।

श्री गेंदासिंह—मश्विरा नहीं दिया। यह मैंनें सुना है। अगर मुझसे आकर कहते तो यही मश्विरा देता कि उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल करने मत जाओ। इस बात पर उन्हें विचार करने की जरूरत है और इसमें कोई इज्जत का सवाल नहीं है। तीन वर्ष तक इस स्कीम पर हमने काम किया और अगर इसके पक्ष व विपक्ष दोनों में रायें हों तो क्यों न यह किया जाय कि जहां भी जो कमजोरी हो, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिये क्यों न ५–७ आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय जिन पर पूरा भरोसा हो सके। २५–२६ जिलों में जो काम हो रहा है वह घूम-घूम कर सारी बातों की जानकारी हासिल करे और यह देखे कि जो कानून बना है उसके अमल में कहां तक सफलता मिली है और कहां तक नहीं मिली और क्या-क्या सुधार करने की जरूरत है—अगर ऐसा कर दिया जाय तो इसमें कोई इज्जत में बट्टा नहीं लगेगा।

अभी मसूरी में जो डेवलपमेंट कमिश्नर्स का, अधिष्ठाता महोदय, सम्मेलन, हुआ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहरलाल नेहरू नें उसमें कहा है कि कोआपरेटिव फार्मिंग शास्त्रार्थ का विषय नहीं है और उन्होंने जिस तरह से उसको कहा—जहां तक मैंने पढ़ा अंग्रेजी में पढ़ा था, मुमकिन है अंग्रेजी में पढ़ने में कहीं गलती हो गयी हो, लेकिन मैंने जो पढ़ा उसमें जवाहर जी का तो यह कहना है कि देश के लिए अब एक मात्र ऐग्रेरियन रिफार्म का एक ही तरीका

[श्री गेंदा सिंह]

रह गया है---कोआपरेटिव फार्मिंग---और बगैर उसके इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। उसमें झगड़ा है। मैं जवाहर लाल जी से इतना एग्री करता हूं कि यह बात मैं अभी कुछ कहने को तैयार नहीं हूं।

श्री चरण सिंह---सोच के कहना।

श्री गेंदासिंह---सोच के कहूंगा और मैं तो बिलकुल साफ हूं। कोआपरेटिव फार्मिंग जो है वह एक उल्टी बात श्री जवाहर लाल जी कहते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं, यानी प्रापर्टी राइट जो है वह तो उन्हीं लोगों के पास रहेगा जो बड़े-बड़े दौलतमन्द हैं और जमीन वाले हैं, लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग हो जायगी तो छोटी जमीन वालों की तकलीफ रफा हो जायगी, यह हमारे पंडित जी सोचते हैं और मालूम नहीं कैसे सोचते हैं। खैर, वह बात बहस में नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिनिस्टर साहब ऐसा सोचते हैं कि बगैर कोआपरेटिव फार्मिंग के काम नहीं चलने वाला है तो क्या, जरा चौधरी साहब सोचें, यह सारा काम बेकार तो नहीं हो जायगा और यह सारी मेहनत बेकार तो नहीं हो जायगी जो वह कर रहे हैं? कोआपरेटिव फार्मिंग के मने यह हैं कि जो छोटे-छोटे खेत बिखरे हुए हैं .....

श्री चरण सिंह---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात जहां तक है, वह तो माननीय दोस्त का एक फेवरिट सब्जेक्ट है, वहां तक तो मैंने बरदाश्त कर लिया, लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग की जो बात है उससे इस बिल से क्या वास्ता। १० मिनट आपने मांगे थे, अब २२ मिनट हो गये।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय गेंदा सिंह से कहूंगा कि वह जरा संक्षेप में कहें।

श्री गेंदासिंह---मैं वही कह रहा हूं। मैं यह दलील दे रहा था कि यह रुपया जो किसान और सरकार का खर्च हो रहा है चकबन्दी पर, यह सारा रुपया अकारथ जायगा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की राय के मुताबिक कोआपरेटिव फार्मिंग सारे देश में होना है। क्योंकि अगर वह हुआ तो उस वक्त सारे मेड़ तोड़ दिये जायंगे। कोआपरेटिव फार्मिंग के माने हैं लार्ज-स्केल फ़ार्मिंग, इसलिए यह मेड़ तो रह नहीं जाएंगे, बल्कि रह जायगा कागज, कि किसके पास कितनी मिल्कियत थी और उसमें जिस तरह से हम जोतना चाहें जोतेंगे। इसलिए, अगर कोआपरेटिव फार्मिंग आनी है, और मैं समझता हूं इस मामले में गेंदा सिंह कहें या चौधरी साहब कुछ कहें तो उनकी बात भले ही कुछ सुन ली जाय, मेरी तो मानी नहीं जायगी, तो भी कोआपरेटिव फार्मिंग रुक नहीं सकती। तो पहले तो यह फैसला कर लना चाहिए कि अपने मुल्क में कोआपरेटिव फार्मिंग करना है।

श्री चरण सिंह---आपकी क्या राय है?

श्री गेंदासिंह---मेरी राय लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की पहले है, उसके बाद कोआपरेटिव फार्मिंग की, लेकिन उस पर भी हम किसान खुद सोचेंगे---चौधरी साहब या जवाहरलाल जी नहीं सोचेंगे। पंडित जी दिल्ली में बैठकर कोआपरेटिव फार्मिंग की बात सोचें तो मैं मानने जाऊंगा? यह उनकी ऊपर की बात है। यह तो खेत जोतने वाला ही सोच सकता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग किस तरह से होगी।

इस वक्त मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि यह सारी स्कीम जो है वह मेल्टिंग प्वाइंट पर है। कलेक्टिव फार्मिंग की बात तो आ ही नहीं सकती। अगर कोआपरेव फार्मिंग को आना है तो चकबन्दी बेकार और फिजूल है। यह सारी मेहनत अकारथ जाती है इसलिए अन्त में मैं यह अपील करूंगा कि इस पर विचार किया जाय कि सोवियट रश्या में लेनिन साहब ने कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग हो जाय तो सारे देश का उद्धार हो जाय, और उन्होंने एक स्कीम अपनी चालू की। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें मालूम हुआ कि बात तो

बहुत अच्छी है और किसानों का भला हो सकता है। इस स्कीम को चालू किया। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, परती रख रहे हैं, अनाज की कमी पड़ रही है, दूसरे मुल्कों का मुहताज होना पड़ रहा है और काश्तकारों ने, बावजूद स्कीम अच्छी होने के, मुखालिफत की। श्री दीपंकर जी का कहना है कि कुलकों ने उनको सलाह दी थी। फिर भी उन्होंने कुलकों की सलाह को मान लिया और कहा कि इस समय कलेक्टिव फार्मिंग को बन्द करो और यदि देश में कलेक्टिव फार्मिंग को लाना है तो उसके लिये आन्दोलन करो। मैं उनसे कहता हूं, माननीय राजस्व मंत्री जी से, इससे थोड़ा सबक लें और अपने किसानों को, जो उनके बहुत ही प्रिय हैं, अपना शत्रु न बनायें। मैं समझता हूं कि चकबन्दी में सुकुक नहीं बल्कि छोटे किसानों का संबंध है और छोटे किसान नाराज हो जाते हैं और छोटे किसान बहुत ज्यादा हैं। यदि माननीय राजस्व मंत्री जी उनकी हमदर्दी चाहते हैं तो वे इस अवसर पर ऐलान करें और प्रवर समिति में तो इसको भेजें ही। हम तो तीन चौथाई के मानने वाले हैं। जिस गांव के ७५ प्रतिशत किसान राजी हों वहां चकबन्दी कर दी जाय वरना न की जाय।

एक बात, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये कह दूं कि खर्चे का मसला हमेशा उठता है। मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया का प्रमाण-पत्र देना चाहता हूं, जिसने कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स के ऊपर एक पुस्तिका लिखी है। उसने कहा है कि मध्य प्रदेश में फी एकड़ खर्चा बारह आने है। १९४९-५० में आठ आने था और अब १२ आने कर दिया है। पंजाब में कुछ खर्चा ज्यादा है, मैं उसको बतलाता नहीं हूं।

श्री चरणसिंह--उसको भी बतला दीजिये।

श्री गेंदासिंह--कुछ ज्यादा है। शायद साढ़े चार रुपया पड़ा है।

श्री चरणसिंह--चार रुपया बारह आने से कुछ ज्यादा है।

श्री गेंदासिंह--पंजाब में खर्चा ज्यादा पड़ा, लेकिन किसानों से एक रुपया फी एकड़ से ज्यादा नहीं लिया। यह खर्चे का मसला बड़ी बेचैनी पैदा करता है और पिछली मर्तबा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अधिष्ठाता महोदय, यह म्युचुअल टाक्स कहां तक एलाउड है?

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

श्री गेंदासिंह--एक बार उन्होंने स्वीकार किया था और अब भी सरकार ने कागजात की दुरुस्ती के सिलसिले में एक पैसा भी नहीं लिया। लेकिन अब आधे से ज्यादा खर्चा कागजात की दुरुस्ती में ही पड़ता है। जब २३ करोड़ रेवेन्यू आप लेते हैं तो आपके लिये यह वाजबी नहीं है कि कागजात दुरुस्त करने का खर्चा किसानों से लें। मैं सारी दलीलों को छोड़ देता हूं तब भी इस दलील का कोई उत्तर नहीं है, जबरदस्ती भले ही हो सकता हो। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था वह इस चीज को ध्यान में रखकर खर्चे पर विचार करें। असल में सारी स्कीम पर विचार करें और यह प्रवर समिति में जाय और अजसरे नौ इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुल्क के लिये और सबके लिये भलाई है। चन्द्रजीत जी ने भगवती सिंह जी के संशोधन पर एक संशोधन रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि गलतफहमी में वह संशोधन रख दिया गया है। भगवती सिंह जी का संशोधन यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय, लेकिन इसके इधर उधर भी उसको देखने का अधिकार हो। चन्द्रजीत जी का जो संशोधन है वह कहता है कि नहीं, प्रवर समिति में तो यह विधेयक चला जाय, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं बातों पर विचार करें जो सरकार ने संशोधन रखे हैं। तो मैंने जो बात की है वह तो तब की है जब विधेयक का स्कोप बढ़ा दें। जितना विधेयक है अगर उतना ही पास हो

[श्री गेंदासिंह]

जाय तो किसानों की तकलीफें रफा नहीं होगी। इसलिये चन्द्रजीत जी अपने संशोधन को वापस ले ले और राजस्व मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें। इससे उनके काम में बाधा नहीं पड़ेगी।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, यह देखकर मुझे बड़ी खुशी है कि इस चकबन्दी योजना के संशोधन के सिलसिले में जो विधेयक आया है उस पर जो वाद विवाद हुआ है उसमें कोई १८ सदस्यों ने शिरकत फरमायी है। मैं यह कहने की गुस्ताखी तो नहीं कर सकता कि उन लोगों की बहस से फायदा नहीं हुआ है और खासतौर से विरोधी दल के मित्रों की बहस से। मैं यह गुस्ताखी कैसे कर सकता हूं जबकि १२ लोग विरोधी दल के जो बोले हैं उनमें से १० उन इलाकों से आते हैं जहां चकबन्दी नहीं हो रही है। दो ही दोस्त उस इलाके को रेप्रेजेंट करते हैं जहां कि चकबन्दी हो रही है।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---अधिष्ठाता महोदय, हमारे इटावा जिले में चकबन्दी हो रही है, लेकिन मुझे अभी तक मौका नहीं दिया गया है। अगर मुझे बोलने के लिये इजाजत दी जाय तो वहां के भी आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता ---आप कृपा कर बैठ जाइये। मैं आपको फिर अवसर दूंगा।

श्री चरणसिंह---मेरे मित्र जो तकरीर करना चाहते थे उनसे मैं यह अर्ज करूंगा कि जो भी उनके सुझाव हों उनको लिपि बद्ध करने की कृपा करें और मेरे पास भेजने की मेहरबानी करें। उस पर विचार किया जायगा।

मैं यह कहा रहा था कि मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे उनसे फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि चाहे उनके इलाकों में चकबन्दी न हो रही हो लेकिन आशा यह की जाती है कि जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं वे हमारे सूबे में, जो इस वक्त बड़े-बड़े सार्वजनिक प्रश्न हैं, उनसे पूर्णतया वाकिफ़ हैं। इसलिये मैं केवल यही कहूंगा कि मुझे उनकी तकरीरों से बड़ा फायदा हुआ।

अब जहां तक चकबन्दी के उसूल का ताल्लुक है, मैं यह समझता था कि वह उसूल इस लेजिस्लेचर को मान्य है, क्योंकि जो ऐक्ट बन चुका है उसमें जब हम संशोधन विधेयक ला रहे हैं तो हम इसी बात को मान कर चल रहे हैं कि चकबन्दी का उसूल हम सब को मान्य है। परन्तु अधिष्ठाता महोदय, यही नहीं हुआ, कुछ माननीय मित्रों ने तो उसके आधारभूत सिद्धांतों पर ही अपना मतभेद प्रकट किया। यह बात ठीक है कि वे सज्जन, जिन्होंने कि इस पर शंका जाहिर की, पहले सदन के मेम्बर नहीं थे और उन्हें अधिकार था। तो क्योंकि सदन को आमतौर पर यह सिद्धांत मान्य है उसके सिलसिले में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि माननीय पालीवाल जी ने जो यह फ़रमाया कि चकबन्दी के सिलसिले में भी दो रायें टेक्स्ट बुक्स के अन्दर हैं। वह ठीक है लेकिन दुनिया में कौन सा प्रश्न है कि जिसके अन्दर दो रायें नहीं हैं। शायद ही कोई हो। तो चकबन्दी के विपक्ष में किसी-किसी ऐग्रेरियन समस्याओं के मुताल्लिक पुस्तक में कहीं भी जो कोई जिक्र है वह बहुत धीमी आवाज के साथ यह कहते हैं। जितने ऐग्रेरियन एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में उन सबकी राय है कि आन बैलेंस चकबन्दी किसान के लिये बहुत हितकर है। और जहांतक हमारे देश का ताल्लुक है यह प्रश्न तो निर्विवाद है कि यह हमारे देश के लिये बहुत हितकर है।

सन् १९५४ या ५५ में शिमला में हिन्दुस्तान भर के डेवलपमेंट कमिश्नर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें उन लोगों ने शिफारिश की थी कि जहां चकबन्दी नहीं हो रही है शुरू

की जाय। मई, सन् १९५६, में नैनीताल में एक मीटिंग डेवलपमेंट कमिश्नर्स की हुई और उसमें उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया कि डेवलपमेंट करने के लिये प्रिसिडिंग कंडीशन यही है कि पहला कदम चकबन्दी का ही उठाया जाय और यह भी सिफारिश की कि जिन सूबों में चकबन्दी नहीं चल रही है वहां की गवर्नमेंट्स को मशविरा दिया जाय कि वे पंजाब और उत्तर प्रदेश की स्कीमों का अध्ययन करें और हो सके तो उन लाइन्स पर अपनी स्कीमें बनावें। चकबन्दी के क्या फायदे हैं उनकी तफसील में मैं इससे ज्यादा और नहीं जाऊंगा सिवाय इसके डेवलपमेंट कमिश्नर्स रिजोल्युशन के मुताल्लिक माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

माननीय श्री दीपंकर जी ने जो मेरठ जिले से तशरीफ लाते हैं। एक एतराज किया कि चकबन्दी से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर खेत टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। जब किसान की मृत्यु होगी (और मृत्यु सबकी होना जरूरी है) तो उसके जो वारिश होंगे, अगर एक से ज्यादा हुये तो जमीन तकसीम होंगी और फिर यह चक टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, तो चकबन्दी से क्या फायदा? अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि माननीय मित्र शायद फ़्रैगमेंटेशन और स्कैटर्डनेस में कन्फ्यूज कर रहे हैं। किसी के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन होना तो फ़्रैगमेंटेशन हुआ और स्कैटर्डनेस के माने यह हुये कि कमोबेश जितनी जमीन हो उसका छोटे-छोटे या बड़े-बड़े टुकड़ों में बंटे रहना, फैले रहना या बिखरे रहना। अब चकबन्दी का ध्येय फ़्रैगमेंटेशन रोकना नहीं है, स्कैटर्डनेस रोकना है। यानी जितने खाते आज जिसके पास हैं वह इकट्ठे हो जायं। यह नहीं है कि उसके पास जमीन ज्यादा हो जाय। अगर फ़्रैगमेंटेशन को रोकना है तो उसके किये हमको ला आफ सक्सेशन में तरमीम करनी पड़ेगी। हमें ला आफ प्रामोजेनीचर बनाना पड़ेगा कि जब किसान मरे तो उसकी जायदाद उसके उस बेटे को, जैसे यरोप में है कि उसके बड़े लड़के या जैसे कि एकाध जगह और प्रोपोजल है कि सबसे छोटे बच्चे को मिले। यह हो जाय तब तो फ़्रैगमेंटेशन नहीं होगा और जो जायदाद विरासत में मिलती है वह इन टैक्ट वारिस के पास चलती रहेगी। तो माननीय दीपंकर जी ने जो एतराज किया उसका इलाज तो ला आफ़ सक्सेशन को चेंज करना है।

अब जो चक बने हुये हैं उनके लिए अगर मान लीजिये किसान का एक चक है और उनके तीन लड़के हैं तो उस चक के तीन टुकड़े हुये। यह ऐक्ट उसको रोक नहीं सकता, उसका यह मंशा भी नहीं है। इसका मंशा केवल इतना है कि अगर आज किसी किसान के पास १३ टुकड़े हैं तो उन्हें एक, दो या अधिक से अधिक तीन कर दिये जायं। तो जब इस किसान के मरने के बाद इसके वारिस होंगे तो उनको तीन खेतों के तीन टुकड़े ही मिल जायेंगे। इसके तीन टुकड़े ही रहे हैं और तीन से ज्यादा नहीं हुये। मैं यह समझता हूं कि इससे मेरा मंशा साफ हो गया होगा। यह विधेयक स्कैटर्डनेस को रोकने के लिये है, न कि फ़्रैगमेंटेशन को रोकने के लिये।

हां, एक बात यहां हो सकती है और वह यह कि अगर फिर भी डिकन्सोलिडेशन हो जाय तो उसका क्या इलाज हो। उसके लिये जितना भी इलाज मुमकिन हो सकता था वह हमने करने की कोशिश की है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हमने एक तरमीम की हुई है और उसके किये करीब साल भर हो गया, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी किसान का चक ५ पक्के बीघे से कम है और वह ऐसे किसान को, जिसका चक उसके चक से मिला हुआ है, तो फिर वह कितना ही छोटा हिस्सा हो उसको बेंच सकता है। उससे चकों की संख्या में अन्तर नहीं पड़ता है। जितनी चक की तादाद थी वह उतनी रह जायगी। जो ५ बीघे के मालिक का चक था उसका चक छोटा हो गया, लेकिन चक की तादाद उतनी रह जाती है। यदि ट्रांसफरी ऐसा व्यक्ति है कि जो उस बेचने वाले व्यक्ति के चक से मिला हुआ नहीं है और दूर है या गैर किसान है यानी किसान था ही नहीं और खेत लेकर खेती करना चाहता है और चक ५ बीघे से कम है, तो ऐसे आदमी को, नहीं बेचा जायगा वह पूरा चक बेंचा जायगा। इससे चक की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

[श्री चरणसिंह]

अब कहा जाता है कि ५ बीघा तो बहुत कम है, इससे बहुत कम असर इस पर पड़ेगा और बहुत जमीन डिकंसोलिडेट हो जायगी। तो इसके मुताल्लिक मेरा निवेदन यह है कि बड़े-बड़े चकों, पर प्रतिबन्ध लगाने से लोगों को कठिनाई होती।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां तीन एकड़ से कम के जो चक हैं उनकी तादाद ५० फीसदी से ज्यादा होगी, इसलिये इससे काफी रुकावट हो जायगी और ट्रांसफर से डिकंसोलिडेट होने का अन्देशा कम हो जायगा।

जहां तक फ़ैगमेन्टेशन होने का सवाल है उसके लिये ला आफ सक्सेशन को चेन्ज करना पड़ेगा। इस विधेयक का वह मन्शा नहीं है। इससे तो स्कैटर्डनेस को रोकने का प्रयास किया गया है और उसके लिये रुकावट पैदा करने में यह सफल होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय राजनारायण जी तथा दूसरे मित्रों ने यह कहा कि जब तक भूमि वितरण न हो, विशेष लाभ नहीं हो सकता है। भूमि वितरण का सिद्धांत मुनासिब है या नहीं, इस विषय पर मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इस चकबन्दी विधेयक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें किसी की राय नहीं हो सकती है। मान लीजिये कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग न करें और भूमि वितरण करना मुनासिब समझे तो इसका इन्तजार करें तो फिर कंसोलिडेशन के लिये बहुत लम्बा समय लग जायगा। इसलिये जमीन के वितरण से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो जमीन इधर उधर है उसको एक या एक से अधिक चक के अन्दर इकट्ठा कर दिया जाय।

भूमि-वितरण कुछ माननीय मित्रों का बहुत प्रिय विषय है और सिर्फ दो ही बातें उनके यहां रह गई है कि मालगुजारी माफ या कम की जाय और भूमि वितरण करो। यहां तक कि जिस विधेयक का इवैकुई प्रापर्टी से संबंध हो वहां भी भूमि वितरण का संबंध घुमा फिरा कर कुछ मित्र कर ही देते हैं। मैं उनकी इस कमजोरी को नारे के लिये समझ सकता हूं, लेकिन चकबन्दी से इसका कोई संबंध नहीं है।

चकबन्दी की स्कीम पर हम तीन नुक्ते निगाहों से गौर कर सकते हैं। एक तो यह कि इसके कानून या नियमावली में क्या नुक्स है। दूसरे यह कि राज्य कर्मचारियों को जो अधिकार दिये गये हैं वे उनका सद्उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं तो किस प्रकार उन्हें ठीक किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि किसानों की इसके लिये क्या प्रतिक्रिया है, वे इसे चाहते हैं या नहीं। मुझे मजबूरन यह कहना पड़ता है कि तकरीर करने वाले कुछ मित्रों ने शायद ए से जेड तक इस कानून को पढ़ा नहीं है, और अगर इसमें उनकी प्रतिष्ठा को हानि होती हो तो शायद इतना कहने की तो इजाजत वे देंगे ही कि अगर पढ़ा है तो वे भूल गये हैं। मैं इस स्कीम की मोटी सी बातें बताता हूं। जहां कहीं भी यह चकबन्दी की स्कीम जारी की जाती है, प्रायः पूरी तहसील में चलाई जाती है। पहला काम यह किया जाता है कि चकबन्दी समिति का चुनाव होता है।

एक सदस्य—मेरे जिले में चकबन्दी नहीं हुई.....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपाकर बैठ जावें। माननीय मंत्री जी आलोचना का उत्तर दे रहे हैं।

श्री चरणसिंह—अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो जरा सब्र से बैठें और समझने की कोशिश करें। जितनी तकरीरें हुई बावजूद मेरे प्रोटेस्ट के इस विधेयक पर बहुत कम कहा गया। अगर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं तो कम से कम मेरे विरोधी मित्रों को कोई हक़ इस समय ऐतराज का नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, पहला काम यह होता है कि चकबन्दी समिति का चुनाव होता है . . . . .

श्री गेंदासिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि .. .. ..

श्री अधिष्ठाता—माननीय गेंदासिंह जी, जब माननीय मंत्री जी आपसे बातें करते हैं तो आपको तकलीफ होती है और वही चीज अब आप दूसरे के साथ कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—इस कमेटी में ५ से ११ तक व्यक्ति होते हैं। छोटे गांवों में ५ और बड़े से बड़े गांव में ११ होंगे। ७ और ९ भी हो सकते हैं। इस कमेटी के मेंबर केवल किसान हो सकते हैं। क्योंकि गैर किसान भी गांव पंचायत के मेंबर हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वह २१ साल से बड़ी उम्र का हो। तीसरी बात यह कि संभव हो तो वह पढ़ा लिखा हो। इन तीनों बातों का लिहाज करके कंसोलिडेशन कमेटी का चुनाव होता है। जब मेम्बर्स चुन जायंगे तो वह कमेटी काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद या उसी वक्त कंसोलिडेशन आफीसर या कमिश्नर यह समझे कि उसमें सारा गांव रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, क्योंकि गांव पंचायत में मैजोरिटी व्यू को रिप्रेजेंट करते हुए भी माईनोरिटी व्यू के हो सकते हैं। केवल एक सभापति ही मैजारिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिये यह हो सकता है कि कंसोलिडेशन कमेटी में कोई दृष्टिकोण, कोई वर्ग, कोई मुहल्ला कोई खाता जिस भी तरह से आप गांव को तकसीम कर सकते हों उनका प्रतिनिधित्व न हो, तो हमने राज्य कर्मचारियों को यह अधिकार दिया है कि एक से लेकर चार किसान तक वह उसमें अपनी तरह से नौमीनेट कर सकें। यह जरूरी नहीं है कि वह नौमिनेट करें ही। हमने यह भी हिदायत दे रक्खी है कि शुरू में वह चार करें ही नहीं। अगर वे समझें कि कोई सेक्शन अनरिप्रजेंटेड है तो वह पहले केवल दो करें। मैंने इसकी कोई इंक्वायरी तो नहीं की, लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि बहुत सी ऐसी जगहें होंगी जहां नामिनेशन नहीं होगा।

इस तरह से कंसोलिडेशन कमेटी का चुनाव होता है। उसके बाद कांसोलिडेटर (कानून गो) पड़ताल करता है। पड़ताल करते वक्त वह कन्सोलिडेशन कमेटी के मेम्बर्स को इत्तला देता है और कोशिश करता है कि वे उसके साथ आये। अगर सब मेंबर्स न आ सकें तो चेयरमैन ही हो अथवा चेयरमैन जिसको कह दे, वह हो। इस प्रकार से वह एक-एक खेत पर जायगा और कांसोलिडेशन कमेटी के मेम्बरान और चेयरमैन उसके साथ होंगे। यह कानून के अन्दर लिखा हुआ है।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय दीपंकर जी की निगाह में शायद कोई आदमी चकबन्दी में या इस दुनिया में ईमानदार है ही नहीं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखायी देता है। तो यह कंसोलिडेटर, जितनी मिस्टेक्स खसरा, खतौनी आदि में हैं उसकी लिस्ट तैयार करे। चाहे वे निजाई गलतियां हों अथवा गैर निजाई गलतियां हों उनकी वह लिस्ट तैयार करेगा। अब इन गलतियों में से २० प्रतिशत असिस्टेंट कन्सोलिडेशन आफीसर चेक करेगा। उसके बाद कन्सोलिडेशन आफीसर गलतियां चेक करेगा। लेकिन उसके लिये कोई प्रतिशत हमने तय नहीं किया है। जब असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर २० परसेंट गलतियों को चेक कर ले तो कंसोलिडेशन आफिसर उनमें से कुछ को चेक करे और यह देखे कि कंसोलिडेटर और असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर ने कैसा काम किया है . . . . .

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं, आप लंच के बाद अपना भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो योजना चकबन्दी की चल रही है उसमें कदम-कदम पर कन्सालिडेशन कमेटी या गांव के नुमाइन्दों के मशवरे से काम चलता है और उसके लिये मैं यह कहा रहा था कि जब कन्सालिडेटर पड़ताल करता है तो चकबन्दी कमेटी के मेम्बरान को अपने साथ लेता है और उस पड़ताल करने के बाद २ फेहरिस्त बनती हैं। एक तो ऐसी गलतियों के बारे में होती है जिन के बारे में निजी झगड़ा या मतभेद होता है और एक ऐसी जिसमें दोनों फरीक कहते हैं कि फलां का कब्जा है और दूसरा कहता है कि मेरा नाम गलत है, जो सहबन गलतियां हैं। यह जो फेहरिस्तें बनती हैं उन में से २० फीसदी का चेकिंग, कन्सालिडेटर से ऊपर जो असिस्टेंट कन्सालिडेशन आफिसर होता है वह करता है, यह देखने के लिये कि कन्सालिडेटर ने कैसा काम किया है। उसके बाद जो सी० ओ० या कन्सालिडेशन आफिसर है उसके चेकिंग के लिये नियमों में कोई परसेंटेज मुकर्रर नहीं किया गया है लेकिन उसके लिये भी जरूरी है कि वह भी कुछ चेकिंग करे और देखे कि ए० सी० ओ० ने कैसा काम किया है। फिर इसके बाद गैरनिजाई गलतियों की दुरुस्ती ए० सी० ओ० करता है और जो निजाई गलतियां हैं, जो डिसप्युटेड मामले हैं, उनके बारे में कन्सालिडेशन कमेटी की मीटिंग बुलाकर, जिन दो किसानों में झगड़ा है उनमें रजामन्दी से कन्सीलियेशन के जरिये से फैसला कराने की कोशिश की जाती है। इस तरह से मेम्बरान, कन्सालिडेशन कमेटी ऐसी मीटिंग में मौजूद रहते हैं।

इस तरह से बहुत सी गलतियां तो बाहमी रजामन्दी से दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन जिन में रजामन्दी नहीं हो पाती उनमें ए० सी० ओ० शहादत लेते हैं और उसके बाद वह अपना फैसला देते हैं, उस फैसले पर भी सी० ओ० के यहां अपील होती है। फिर सी० ओ० के फैसले के बाद जो कागजात खसरा या खतौनी दुरुस्त होते हैं उन पर भी कन्सालिडेशन कमेटी के चेयरमैन के दस्तखत होते हैं और फिर वह गांव में पब्लिश होते हैं यानी कन्सालिडेशन कमेटी के मेम्बरान को पढ़कर सुनाये जाते हैं, मुनादी उसकी होती है, गांव के लोग उसकी मीटिंग में आना चाहें तो आ सकते हैं और वह खसरे व खतौनी की दुरुस्त शुदा नकल कहीं आम जगह पर, पंचायत घर में या जहां के लिये सभी लोग मुत्तफिक हों, वहां टांग दी जाती है। वह वहां रखी रहती है और उसके बाद आबपाशीशुदा और गैर आबपाशीशुदा या खाकी और आबी, सिंचित या असिंचित खेतों की एक फेहरिस्त बनती है और वह भी कंसालिडेशन कमेटी के मशवरे से ही तैयार होती है और उसके चेयरमैन के दस्तखत उस फेहरिस्त पर होते हैं। उसकी रजामन्दी से वह फेहरिस्त तैयार हुई और सब मेम्बरान के दस्तखत उस पर न होकर सिर्फ चेयरमैन के दस्तखत उस पर हुये। उसके बाद जमीन की किस्म जो बन्दोबस्त में दी हुई है, या अगर बन्दोबस्त के बाद जमीन की किस्म में कोई तब्दीली हुई है तो उसकी वह तब्दीलशुदा किस्म कन्सालिडेशन कमेटी की रजामन्दी से लिखी जाती है और उसके बाद वह फेहरिस्त सी०ओ० के पास भेजी जाती है। कंसालिडेशन आफिसर आकर फिर कंसालिडेशन कमेटी को बुलाता है और उसका मशविरा लेता है। यह दूसरा मशविरा हुआ कन्सालिडेशन कमेटी का। तब फिर जाकर कन्फर्म होता है, फाइनल होता है स्वायल क्लासिफिकेशन।

इसके बाद एक बड़ा इम्पार्टेंट स्टेज आता है। वह यह है कि दुरुस्तशुदा कागजात सींच और असींच की फेहरिस्त अगर बदल गयी है किस्म जमीन तो जो बन्दोबस्त में जमीन थी मय तब्दीलशुदा खेतों के, उन खेतों के जिनकी तब्दील हो गयी है किस्म जमीन रिवाइज्ड स्वायल क्लासिफिकेशन, कन्सालिडेशन कमेटी के मशविरे से हुआ। इन तीनों कामों के हो जाने के बाद हर किसान के जितने खेत होते हैं, उनकी एक फेहरिस्त, खेत का नम्बर, खेत का रकबा, किस्म जमीन, उसकी मालगुजारी, सर्किल रेट, भूमिधर है या सीरदार, उस पर कुआं बना हुआ है या नहीं, बाग लगा हुआ है या नहीं, पेड़ हैं या नहीं और हैं तो कितने और किस किस्म के पेड़, यह सब फेहरिस्त यानी इतनी सब तफसील, उसकी एक नकल फिर सर्व की जाती है हर किसान को अलहदा अलहदा। पहले जो ऐक्ट हमने बनाया था उसमें हर किसान पर

फर्दन फर्दन तामील हो, इंडिविजुअल सर्विस हो ऐसा नहीं था। चौपाल या पंचायतघर में रख दी जाती थी। लेकिन तजुर्बे ने बतलाया कि ऐसा किये बिना बहुत से किसान अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो फिर हमने इसके सेक्शन ११ में कहा कि उसकी इंडिविजुअल सर्विस होगी हर किसान पर, ताकि किसी किसान को भ्रम या धोखा या गलती अनजाने में उससे न हो जाय। इससे हमारे अफसरान का बहुत काम बढ़ गया। बहुत देर असली स्टेज के करने में हो जाती है। लेकिन यह तरमीम की गयी। इस पर काम हो रहा है और सबको इंडिविजुअल सर्विस की जाती है। इसके बाद फिर पब्लिकेशन होता है।

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा गया कि साहब उसे पता ही नहीं पड़ता है कि कब कौन सी स्टेज गुजर गयी फर्जी तामील हो जाती है या बिलकुल नहीं होती, मियाद गुजर जाती है, बेचारा अपील नहीं कर सकता। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इंडिविजुअल सर्विस लाजमी है। इसके बाद पब्लीकेशन होता है। पब्लिकेशन का मतलब गांव में मुनादी होती है। फिर सारे कागजात की नकल पंचायतघर में रखी जाती है। जिस रोज मुनादी हुई वह इंडिविजुअल सर्विस के बाद होती है। इंडिविजुअल सर्विस पहले करा दी जाती है। उसके बाद मुनादी होती है और मुनादी से लिमिटेशन चलता है। लिहाजा यह कहना कि किसानों को पता नहीं पड़ता, होने को तो हर चीज हो सकती है, दुनिया में हर चीज मुमकिन हो सकती है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या एहतियात बरता जाय? इंडिविजुअल सर्विस लिमिटेशन करने के बाद नहीं, इंडिविजुअल सर्विस सब पर हो जाय। उसके बाद गांव में पब्लीकेशन। इस तरीके से दफा १२ में ऐतराज फिर कर सकता है। एक कागजात की दुरुस्ती की स्टेज हुई। उस पर ऐतराज पेश हुआ, नहीं हुआ तो मुकदमा हुआ, अपील हुई। उसके बाद फिर मौका मिलता है किसान को ऐतराज करने का दफा १२ में कि फलां खेत का मैं भूमिधर हूं, सीरदार नहीं, फलां कुआं मेरा है। दूसरा ऐतराज करने का मौका मिला। पहले कागजात की दुरुस्ती के पहले, सेक्शन ८ में और आगे सेक्शन १२ में जाकर फिर मौका मिलता है। यह ऐतराज हुआ। यह ऐतराज करना है तो ए०सी०ओ के यहां करना है। असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर हर ऐतराज पर कंसालिडेशन कमेटी की राय लेता है कि यह इसका ऐतराज सही है या गलत। उसके बाद वह ए०सी०ओ०,सी०ओ के पास भेजता है। ०सी०ओ० देखता है कि क्वैश्चन आफ टाइटिल है तो हाथ नहीं लगाता है। सिविल जज को भेजता है। सिविल जज आर्बीट्रेटर के पास भेजता है और अनप्रोप्राइटरी क्वैश्चन है, मिल्कियत का सवाल नहीं है तो कंसालिडेशन आफिसर खुद तय करता है और मौके पर जा कर तय करता है। और उसका जो फैसला होता है। उसकी अपील ऐस०ओ०सी० के यहां होती है। ऐस०ओ०सी० के जो अपील होती है वह बेशक फाइनल होती है नान-टाइटिल क्वेश्चन्स की।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि उसके बाद फिर जिसको मैं गांव में जाकर अक्सर कहा करता हूं तक्सीम के वक्त एक अल्फाज होता है, तर्ज तक्सीम, किन उसूलों पर तक्सीम होगी। हिन्दी में उसे तर्ज चकबन्दी कह सकते हैं कि इस गांव में जो चकबन्दी होगी किन उसूलों के मुताबिक होगी। फिर ए०सी०ओ० चकबन्दी कमेटी को बुलाता है और पूछता है कि आप अपने गांव में किन उसूलों के मुताबिक चकबन्दी चाहते हैं। उसूल कानून में हैं, दो तीन उसूल कम्पलसरी हैं। ६,७ उसूल केवल उनकी गाइडेंस के लिये, केवल मश्विरे के लिये दे रखे हैं। चाहे सब को मान लें, चाहे किसी एक को न मानें और अपने नये उसूल बना लें। यह तर्ज चकबन्दी कन्सोलीडेशन कमेटी के मश्विरे से हर गांव में तैयार होता है और फिर वह सी०ओ० के पास भेजता है। अगर दोनों में, यानी ए०सी०ओ० और चकबन्दी समिति में मतभेद हो तो सी०ओ०के पास जाता है। वह गांव में आता है कमेटी को बुलाता है ए०सी०ओ० को बुलाता है और सब की बात सुनकर उनमें मतैक्य कराने की कोशिश करता है। अगर सी०ओ० और चकबन्दी कमेटी की राय में मतभेद है तो ऐस०ओ०सी० पर मामला जाता है। उसकी राय फिर फाइनल हो जाती है। फिर नक्शा चकबन्दी का बनता है, स्टेटमेंट आफ प्रोपोजल्स और यह भी कन्सोलिडेशन कमेटी की रजामन्दी से। और शुरू

[श्री चरणसिंह]

के जो प्रिलिमिनरी प्रोपोजल्स तैयार होते हैं उसमें ए०सी० ओ० और सी० सी० में कोई मतभेद है तो सी०ओ० के पास भेजा जाता है और सी०ओ० के थ्रू ए०ओ०सी० के पास। और फिर वहां से प्रोवीजनल प्रपोजल्स वह गांव को भेजता है। उसके मुताबिक चकबन्दी होती है। उसके बाद फिर अपील होती है। पहले तो ऐतराज हुआ ए० सी० ओ० के यहां, हर एतराज पर जैसे सेक्शन १२ में राय लेता है, फिर सी०ओ० के पास भेजता है। सी०ओ० के फैसले के बाद अपील होती है फिर ऐस०ओ०सी० के यहां जाता है।

इसी तरह से जब कब्जे की अदला बदली होती है तो फसल का जब कब्जा अदला बदला जाता है, वैसे ऐक्ट में यह लिखा है कि आम तौर से कब्जा फसल के वक्त न बदला जाय तो जिसके चक में खेत चला गया वह लगान पायेगा उस आदमी से जिसकी फसल खड़ी है। क्योंकि अगर फसल की कीमत लगाने की जिम्मेदारी अफसरान को दे दें, तो मान लीजिये किसी ने ईख बोयी है और वह खेत दूसरे के चक में चला गया और ईख का मालिक भी वह आदमी हो गया जिसके चक में वह खेत चला गया तो वह कहता है कि इसकी ईख की कीमत २५० रु० ही है, तो ए० सी० ओ० क्या करे। और अगर अफसर कीमत ५०० रु० मुकर्रर करता है तो दोनों को शिकायत हो सकती है। इसलिये हिदायत यह है कि फसल का मालिक वही आदमी रहेगा जिसने फसल बोई हो। जब कब्जा बदला गया तो खेत का मालिक तो वह हो गया जिसके चक में खेत गया, लेकिन फसल का मालिक चूंकि वही है इसलिये वह लगान देने का जिम्मेदार होगा जब कि फसल कटे। इसलिये अफसरान बच जाते हैं फसल के ऐप्राइजमेंट से। हां, छोटी मोटी फसल है तो बेशक मय फसल के पजेशन का ट्रांसफर हो जाता है। उस फसल की कीमत भी क्या है वह भी चकबन्दी समिति के मश्विरे से तय होगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं और ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं केवल यह कहना चाह रहा था कि जो मैं इम्प्रेस करना चाहता हूं माननीय सदस्यों के दिमाग पर वह यह कि कदम-कदम पर कंसालिडेशन कमेटी आ गई है और जबानी मशविरा मात्र नहीं है कि जिसको कह दिया जाय कि हमने मशविरा ले लिया, बल्कि कमेटी के चेयरमैन के दस्तखत होते हैं। तो यह मोटे तौर पर कंसालिडेशन की स्कीम है।

अब इसके मुताल्लिक एतराज क्या क्या हुये हैं? कुछ उससे अन्दाज लग जायगा कि कितना मेरे मित्रों ने ध्यान दिया उस स्कीम के अध्ययन करने का? यह मेरी शिकायत है। कोई साहब नुक्ताचीनी करें, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन फिर उसमें कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशन दिया जाय कि इस तरीके से यह यह चीज ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। केवल सुपरलेटिव टर्म्स में कंडेमनेशन करने से कोई फायदा नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी मैंने यह देखा कि मेरे मित्र बहुत जोर से बात कहना चाहते थे, लेकिन वह उस बात को जो कहना चाहते थे उसके लिये सुपरलेटिव टर्म पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे पांच मिनट पहले, तो और लफ्ज कहां से लाते। लफ्जों की तलाश में थे कि और कौन सा सख्त लफ्ज कहा जाय। मुझे बड़ी हमदर्दी थी उनसे कि उनको लफ्ज नहीं मिल रहे थे। तो सुपरलेटिव टर्म्स में बोलना, अनक्वालीफाइड कंडेमनेशन न हमारी हेल्प करता है, न किसानों को हेल्प करता है? न इस हाउस को हेल्प करता है और न उनको हेल्प करता है। फिर इससे फायदा क्या होता है मैंने जो स्कीम बनायी है यह बहुत मोटे तौर पर बतलायी है। ऐक्ट मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं। उनमें जो भी मेरे मित्र सुझाव देंगे, मैं हमेशा उसका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब उनके मन में कोई दोष दीखता हो, कोई अपूर्णता दीखती हो, तो जो सुझाव वह दें, उससे पहले यह सोच लें कि आया इस सुझाव पर अमल हो सकता है या नहीं और सुझाव पर अमल हुआ तो जो स्कीम आज है उससे बेहतर होती है या बदतर। यह समझकर चलना चाहिये और यह भी देख लेना चाहिये कि जो चीज आज किसी मित्र के दिमाग में आ रही है उस पर पहले ही बहस हो चुकी है और किसी कारण से उसको छोड़ा

गया है। अगर उसको सोचकर चलेंगे तो उनके सुझाव में ज्यादा गम्भीरता आ जायगी। माननीय पालीवाल जी ने फरमाया कि प्रोसीडिंग्स बुक की एक कापी कंसालिडेशन कमेटी को दे दी जाय। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज ही वह किसके पास रहती है? कंसालिडेशन कमेटी या लैंड मैनेजमेंट कमेटी या गांव पंचायत का जो सेक्रेटरी है—लेखपाल—उसके पास रहती है....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मेरी इत्तिला यह है कि नहीं रहती। उन्हीं लोगों ने मुझसे यह प्रार्थना की कि हम लोगों को मिलनी चाहिए, तब मैंने कहा।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज करता हूं कि उसके पास रहती है जो लेखपाल है। मैं तो खुद ही यह कह रहा हूं कि कंसालिडेशन कमेटी के चेयरमैन के पास नहीं रहती। यह बात बिलकुल ठीक है। लेकिन सोचना यह है कि कंसालिडेशन कमेटी के चेयरमैन तो बहुत से ऐसे होंगे जो बे पढ़े होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—प्रश्न तो यह है कि लेखपाल उनको देता नहीं, कमेटी के सदस्यों तक को नहीं देता है। किसानों को देखने के लिए वह नहीं देता है। उसका कोई प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री चरणसिंह—देने का क्या सवाल है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—देने का सवाल नहीं है, दिखाने का सवाल है कि सही लिखा गया है या नहीं लिखा गया है।

श्री चरणसिंह—हां, दिखाने का सवाल होता है। मैं इसके मुताल्लिक यही अर्ज कर सकता हूं कि माननीय पालीवाल जी की नोटिस में किसी गांव का अगर ऐसा मामला आये और वह मुझको इसके मुताल्लिक लिख कर बतायें तो मैं ऐसे शख्स को कहूंगा कि उस लेखपाल को सजा दी जाय। या कोई तरकीब और बतायी जाय। यह तो नहीं हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स बुक की एक नकल और करा ली जाय। और यह कहें कि लेखपाल के पास न रहें, उनके पास रहे, तो अगर खो गई या चोरी चली गई, तो क्या होगा? क्योंकि हमारे किसानों में कांशसनेस कितनी है? अपने अधिकारों को और कर्त्तव्यों को समझते कितने हैं? सारी चीज यही तो है कि बड़े आदमी बेईमानी करते हैं, गांव पंचायत का प्रधान और कंसालिडेशन कमेटी का प्रधान बेईमानी करता है। हर चीज इस पर रिवाल्व करती है। तो मैं एक बात उनके विचार के लिए रखना चाहता हूं कि अगर हमने प्रोसीडिंग्स बुक की कापी ओरीजनल उसके पास रख दी और उसके इंट्रेस्ट में हुआ उसको गायब कर देना।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैंने प्रतिलिपि की बात कही है।

श्री चरणसिंह—माननीय पालीवाल जी बहुत बेकरार हो रहे हैं। अभी राजस्थान के डायरेक्टर, चकबन्दी हमारे यहां आये और १५ दिन यहां रहे। उसका जिक्र बाद में करूंगा जो उनके इम्प्रेशंस थे। उन्होंने हमारी स्कीम की बड़ी तारीफ की लेकिन बात यह भी कही कि हमारा पेपरवर्क बहुत बढ़ गया है। (श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के हंसने पर) उसमें हंसने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि काबिले तारीफ है। दूसरी स्कीम्स से कम्पेयर कर लिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इसको सेल्फ काम्पलेसेंसी कहते हैं।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, इसको कापिंग क्रिटिसिज्म कहते हैं। अगर मुझे कदम-कदम पर टोका गया तो कोई फायदा नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—आप कहेंगे तो सहेंगे भी।

श्री चरणसिंह—अगर किसी माननीय मित्र को सेल्फ़ काम्पलेसेन्ट कहने का हक है तो मुझे क्या कार्पिग क्रिटिसिज्म कहने का भी नहीं है। जरूर है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—हमारा भी मौका आएगा।

श्री अधिष्ठाता—माननीय पालीवाल जी इस प्रकार बार-बार न टोकें तो अच्छा होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर कार्पिग क्रिटिसिज्म हमारे मुंह पर मारा जाता है लेकिन सेल्फ कंडेमनेशन, अनक्वालिफाइड कंडेमनेशन कहा जा रहा है और बीच-बीच में माननीय मंत्री टोकते भी हैं तब तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम प्वायंट को क्लीयर करना चाहें तो आफत आ जाती है।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, लेकिन बार-बार मदाखलत करना तो मुनासिब नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैंने सिर्फ अनक्वालिफाइड कंडेमनेशन जो हुआ उसका डिस्क्रिप्शन किया। मैंने अपनी तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं किया है। मैंने जो कंडेमनेशन सुना है उसमें सिवाय इसके कोई जिक्र नहीं है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। लिहाजा उसके मुताल्लिक मैंने जब कहा कि अनक्वालिफाइड हुआ है तो कौन सी बेजा बात कह दी।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है उसके मुताल्लिक भी मेरा कहना यह है कि मैं उसके ऊपर भी गौर करूंगा। क्या यह चाहा जाता है कि जिस प्रकार तकरीर करके गलत सुझाव दिया जाता है मैं भी तकरीर कर दूं कि मैं मंजूर कर लूंगा?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह भी आत्म प्रशंसा है।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात यह है कि कैसी ही बात कही जाय उसे सब के साथ सुना जाय। दो दिन से मैं तो सब के साथ सुनता रहा हूं। अब आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अगर वह चीज मुमकिन हुई तो मुझे इस सुझाव के एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरा पहलू सदन के सामने रख रहा था। वह यह कि बाहर से एक डायरेक्टर हमारी स्कीम को स्टडी करने के लिये आये हैं। पंजाब की स्कीम स्टडी करने के बाद आये हैं। उनकी प्रतिक्रिया यह है कि यहां पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। इतने कागजात के लिखने और उनकी नकल करने में वक्त लगता है। अगर और वर्क बढ़ जाय तो क्या होगा? इस मामले के डिसीजन करने में यह पहलू रहेगा। अगर मैंने इतना कह दिया तो इसमें गर्म होने की क्या बात है यह मेरी समझ में नहीं आया।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात यह कही गई कि खतौनी और दूसरे रेवेन्यू रेकार्ड जो हैं वे किसानों को दे दिये जाया करें। जो स्कीम मैंने बता दी है उसे माननीय मित्रों को ज्ञात हो गया होगा कि किस तरीके से वे रेकार्ड सुनाये जाते हैं, देखे जाते हैं। और इंडिविजुअल सर्विस होती है। रूल ४८ में इंडिविजुअल सर्विस के बाद पब्लिकेशन गांव में होता है। अर्थात्, उन कागजात की नकल पंचायत में रख दी जाती है, कमेटी को सुना दी जाती है, गांव में मुनादी कर दी जाती है। इन सारे पब्लिकेशंस के बाद लिमिटेशन शुरू होता है। तो यह जो सुझाव दिया गया, इस पर आलरेडी अमल होता है। तीसरी बात मियाद की थी, वह कह चुका।

अब रही चौथी बात—यादवेन्द्रदत्त जी ने कहा कि लोगों को सुझाव देने का मौका हो तो शायद इतनी शिकायत न रहे, यह उनका खयाल है। मैंने तो स्कीम सुना दी कि कितना मौका है कदम-कदम पर। इसके बाद अगर माननीय यादवेन्द्रदत्त और सुझाव दे सकते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो यह बात नहीं है कि मौका नहीं मिलता। मौका है।

फिर कहा गया कि छोटे किसानों के हकूक महफूज नहीं किये जाते हैं। कैसे महफूज किये जायं ? हमने स्टेटमेंट आफ प्रिंसिपिल्स में यह लिखा है कि छोटे किसान और बड़े किसान में अगर कंफ्लिक्ट हो कि कहां किसको चक मिले तो छोटे को चक दिया जायगा आबादी के नजदीक, चाहे बड़े किसान को चक देना पड़े आबादी से दूर। इतना ही हो सकता था।

एक सदस्य—पालन नहीं होता।

श्री चरणसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने कहा कि तीन पहलू हैं। एक तो स्कीम दूसरे परसोनैल और तीसरे पेजेंट्री का रिएक्शन। तो पालन नहीं होता, इसके लिए तो दूसरा स्थान है। पहले स्कीम की बात कह रहा हूं कि हर जगह यह हो जाय। अगर नहीं होता है तो जहां मित्र बतलायेंगे, मैं पालन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त तो स्कीम की बात है कि एक स्कीम हमने दे रखी है कि छोटे किसान का खयाल रखा जाय, लेकिन यह बात और खयाल में रखें कि उसमें यह इनएविटेबिल नहीं है, एज फार एज पासिबिल है। क्योंकि कई दूसरे ऐसे रूल हैं जिनमें परस्पर विरोध है, अगर सबको मेंडेटरी और रिजिड बना दें तो वह कार्यान्वित नहीं हो सकते। जैसा मौका हो उसके गाइडेंस के लिए प्रिंसिपिल्स हैं। अगर छोटे किसान को चक दूर देना पड़ता है तो सारे नक्शे को अगर देखें तो शायद उसकी मजबूरी रही हो। तो यह मेंडेटरी नहीं है, एज फार एज पासिबिल है। छोटे किसान की और कैसे संरक्षा हो, वह मेरी समझ में नहीं आया। आखिर जितनी जमीन है उससे ज्यादा तो जमीन नहीं दी जा सकती, उतनी ही दी जायगी। हां, उसका और बड़े का अगर कहीं कंट्रेडिक्शन हो तो उसको चकबन्दी में, एलाटमेंट आफ चक्स में प्रिफर किया जायगा।

एक मित्र ने कहा कि आबादी के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ी जाती। छोड़ी जाती है, लेकिन जितनी भी जमीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए छोड़े जाने का इसमें विधान है वह कंसालिडेशन कमेटी की रजामन्दी से है। जो ऐक्ट बनाया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि कंसालिडेशन कमेटी जितनी जमीन छोड़नी चाहे, छोड़े। अगर कंसालिडेशन कमेटी जमीन न छोड़नी चाहे तो अफसरान को यह अधिकार इसके अन्दर नहीं है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जमीन पब्लिक परपजेज के लिए रिजर्व कर दें। अगर आप यह चाहते हैं कि कंसालिडेशन कमेटी की राय न ली जाय और जैसा गवर्नमेंट चाहे, हर गांव में दो फीसदी जमीन आबादी परपजेज के लिए रिजर्व कर दी जाय। अधिष्ठाता महोदय, यह विधान सभा इस सूबे की मालिक है, ऐसा अगर सदन चाहता है तो मेरा ऐतराज हो भी तब भी वह नहीं चल सकता। ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है। और अगर कदम कदम पर आप चाहते हैं कि हर जगह, सेंट परसेंट रजामन्दी से काम हो तो हमने वह कर रखा है, लेकिन जहां सुझाव देते हैं वहां रजामन्दी नहीं रखना चाहते हैं। आबादी के लिए, खलिहान के लिए, बीज गोदाम के लिए, कन्या पाठशाला के लिए, स्कूल बनाने के लिए, रास्ते के लिए, कूड़ा और घूरा डालने के लिए, चरागाह के लिए, पाखाना वगैरा के लिए अगर कोई जमीन रिजर्व करनी है पब्लिक परपजेज के लिए तो इन सब के लिए जमीन महफूज की जा सकती है, बशर्ते कि कंसालिडेशन कमेटी राजी हो। कंसालिडेशन कमेटी बहुत सी जगह राजी नहीं होती है। हमारे अफसरान उनको फुसला कर, समझा कर बमुश्किल उनको राजी करते हैं, तब जाकर के एक फीसदी पर वह राजी होती हैं। बस, केवल एक शायद मथुरा का जिला है, जहां कंसालिडेशन कमेटी ने २ परसेंट जमीन इसके लिए रिजर्व की है। अगर कंसोलिडेशन कमेटी की रजामन्दी न ली जाय, किसानों की रजामन्दी न ली जाय और यहां से हाउस तय कर दें कि ५ प्रतिशत जमीन इस के लिये सुरक्षित कर दी जाय तो अधिष्ठाता महोदय, हाउस ऐसा करे। लेकिन जैसी कि स्कीम आज है उसमें उनके लिये लाजमी नहीं है, जबर्दस्ती नहीं है। अगर इस तरह से जमीन दी जायगी तो उसका मुआवजा भी बहुत ज्यादा होगा, वह कहां से आयगा, इस पर विचार

[श्री चरणसिंह]

करना होगा, अगर्चे जमीन आबादी के लिये दी जाती है। मैंने दो एक गांवों को देखा भी है और वहां जमीन महफूज रखी गई है। लेकिन हो सकता है कि कहीं न दी जाती हो। लेकिन उसूल यह है कि कंसोलिडेशन कमेटी की रजामंदी होनी चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात पर बड़ा जोर दिया गया। माननीय गेंदा सिंह जी इस समय नहीं हैं इसका मुझे अफसोस है। यह कहा गया कि साहब अनलिमिटेड पावर्स चकबंदी अधिकारियों को दे दी गई हैं और जुडीशियरी को कुछ अधिकार नहीं रहे, अदालतों को कोई अधिकार ही नहीं रहे। अब तक ४६–४७ से जब से यह मुल्क आजाद हुआ है तब से हर एक पब्लिकमैन और विधान सभा के मेम्बरों की यही आवाज उठी है कि मौके पर जाकर एक्जीक्युटिव आफिसर को कागजात दुरुस्त करने का अधिकार दे दें क्योंकि गरीब किसान मुकद्दमेबाजी में बरबाद हो जाते हैं। यदि किसी पर कोई अत्याचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है तो इसका रिऐक्शन यही होता है कि फौरन उसका इलाज हो। जब गवर्नमेंट की तरफ से जबाव दिया जाता है कि कलेक्टर नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं और डिप्टी कलक्टर नहीं कर सकता है और अदालत जाना ही होगा ताकि दूसरे फरीक को भी अपारच्युनिटी मिल जाय तो हर आदमी यही कहता है और मेरे मित्र भी, सिवाय चकबन्दी की स्पीचेज को छोड़ कर कि साहब कलक्टर से करवा दीजिये, गरीब किसान के पास कहां से पैसा आया कि वह अदालत में जाता फिरे। अभी कल गोरखपुर की एक विधवा लेडी मेरे पास आ गयी। उसके पास कपड़े भी ठीक नहीं थे और उसकी दस बीघे जमीन निकल गई थी। वह रोने लगी और कहने लगी कि मैं कहां जाऊं। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने इतनी ही कोशिश कर दी कि कलक्टर से कह दिया कि इसकी जमीन निकल गयी है अगर कोई तरकीब हो सके तो इसकी मदद कर दो, तुमको जो ऑथोरिटी हो उससे इस बुढ़िया की मदद कर दो। वह अब जब रिपोर्ट करेगा तो जितना हो सकेगा, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहा यही जाता है कि जुडीशियरी में बड़ी देर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कौन जाय, हाई कोर्ट में कौन जाय, आर्डर दे दिया जाय। लेकिन आज जब क्रिटिसिज्म करना है, कुछ कहना है तो आज वही जो रोज रिकमेंड करते हैं और गवर्नमेंट की जुडीशियरी प्रोसेस के खिलाफ शिकायत किया करते हैं और हमसे इधर कहा जाता है कि आपने चकबन्दी के अधिकारियों को इतने ज्यादा अधिकार क्यों दे दिये हैं, सीधे जुडीशियरी में क्यों नहीं भेजते।

अधिष्ठाता महोदय, जिन दोस्तों ने ऐसी बात कही है, उनकी दो मंशा हो सकती हैं। अगर वह अपने कहने का मतलब समझते हैं कि नारमल जुडीशियरी प्रोसेस होना चाहिये तो वह चकबन्दी चाहते नहीं हैं और अगर वह मतलब समझते नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि वह बहुत ही भोले हैं, और क्या कहूं? यह तो मैं नहीं कहता कि वह कुछ और हैं। अब जो पावर्स दी गयी हैं उनमें तो कदम कदम पर कंसोलिडेशन कमेटी बैठी है और हर किसान को कागजात दुरुस्ती के बाद भी, स्टेटमेंट आफ प्रपोजल्स आदि इस तरह से पांच बार ऐतराज करने का मौका है। कदम-कदम पर गांव के रिप्रेजेन्टेटिव्ज का एसोसियेशन और फिर ऐतराज, अपील, निगरानी कलेक्टर के पास और जो प्रोपराइटरी क्वेश्चन्स हैं उनमें सिविल जज की मारफत आरबिट्रेशन। तो ये इसमें एहतियात बरते गये हैं। अगर हम आर्डिनरी जुडिशल प्रोसेसेज को अधिकार दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि फिर चकबन्दी के ऐक्ट को (Rescind) रेसिन्ड कर दें वही बेहतर होगा, चकबन्दी हो नहीं सकती, नामुमकिन है। यह तयशुदा बात है। अगर यह तयशुदा बात है तो फिर देखना यह है कि इस स्कीम में जो पावर्स हमने दी हैं—ठीक हैं—पावर्स बहुत हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर पावर्स भी दी जायं तो, शायद माननीय चन्द्रजीत यादव ने या माननीय गोविन्द सिंह ने, किसी ने कहा कि मैजिस्ट्रेट भेजा जाय। शायद उनका मतलब एस० डी० ओ० से होगा, मतलब यह है कि जो पावर्स हमने कंसालिडेटर को या ए० सी० ओ० को दी हैं, वह प्राविन्शल सिविल सर्विस के आदमी को हों।

बड़ी अच्छी बात है । अधिष्ठाता महोदय, अगर आज कोई प्राविन्शल सिविल सर्विस की बात यहां कहता है तो उस पर भी गौर करना होगा क्योंकि प्राविन्शल सिविल सर्विस की भी बड़ी शिकायत है ? शायद कलक्टर की हैसियत का आदमी रखना होगा । लेकिन कलक्टर न सही तो डिप्टी कलक्टर की हैसियत का आदमी तो हो । तो कहां से यें आदमी आयेंगे ? सारे सूबे में ६०० के करीब ए० सी० ओ० हैं और १,५०० के करीब कंसालिडेटर्स, जबकि कुल प्राविन्शल सिविल सर्विस के आदमियों की तादाद ४५० है और ये सारे आदमी नार्मल ऐडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं । इन सबों को भी अगर ले लिया जाय तो भी वहां काम नहीं चलेगा और नार्मल ऐडमिनिस्ट्रेशन का भी काम ठप्प हो जायगा । लिहाजा फ्रेश यंग मेन कालेजेज से आयेंगे । उनको हम तनख्वाह ज्यादा देंगे और वे काम कम करेंगे । मुझे मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन देखना यह है कि क्या यह मुमकिन होगा और प्राविन्शल सिविल सर्विस के डिप्टी कलक्टर की हैसियत का तो हो ए० सी० ओ० फिर सी० ओ० का क्या होगा ? ए० सी० ओ० के यहां से अपील की जायगी सी० ओ० के यहां । तो सी० ओ० शायद कलक्टर की हैसियत के होंगें । तो २६ कलेक्टर हैं जहां चकबन्दी हो रही है, २८ हैं क्योंकि एक जगह दो हैं । तो २७, २८ कलक्टर इस काम के लिये चाहिये और फिर एस० ओ० सी० कौन होगा ? शायद कमिश्नर होगा । तो सोचना यह है कि जो स्टाफ आज रखा हुआ है उसका बदलाव और किस चीज से हो सकता है । नहीं हो सकता है । हमारे यहां सबसे नीचे लेखपाल या अमीन हैं, उसके ऊपर कंसालिडेटर हैं, उसके ऊपर ए० सी० ओ० उसके ऊपर सी० ओ० फिर एस० ओ० सी०, उसके बाद कलक्टर के यहां निगरानी । ये छै टायर्स (Tires) हैं और लाजिमी यह कर दिया कि ये गांव के अन्दर रहें, अपने-अपने हल्के के अन्दर रहेंगे शहर में या तहसील हेडक्वार्टर पर नहीं रह सकते, सिवाय एस० ओ० सी० के । उसको तो कुल तहसील का काम देखना है । सिवाय चकबन्दी के कुछ नहीं करेंगे, होलटाइम वर्कर्स होंगे और गांव में रहेंगे । इतनी बड़ी तादाद है कि चार-चार सौ, पांच-पांच सौ होते हैं ।

डुमरियागंज थाने में सवा सौ गांवों में चकबन्दी हो रही है । वहां ९०० अफसरान लगे हुए हैं । जाल बिछा दिया है । अधिष्ठाता महोदय, कोई बहुत गैरमुताल्लिक नहीं होगा अगर मैं यह कहूं कि दूसरे देशों से जितने लोग आते हैं, जो हमारे शुभचिन्तक हैं वे हमारे डेवलपमेंट की तारीफ करते हैं । वे एक ही स्नैग बताते हैं और वह यह कि यहां कदम-कदम पर सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर-जनरल मौजूद हैं । किसी का ट्रस्ट हम नहीं करते । हम यह समझते हैं कि कोई आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करेगा । किसी मुल्क में ऐसा नहीं है । हमने तो अपने मुल्क की स्थिति को देख कर यह ६ टायर्स रखे हैं । इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं सूझता लेकिन अगर माननीय दोस्त कुछ बता सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस स्कीम को रिवाइज करने में लेकिन वह प्रैक्टिकल हो ।

एक साहब ने कहा कि जैसे कारखानेदारों और मजदूरों के बीच में एक कंसीलियेशन मशीनरी होती है वैसी यहां किसानों और राज्य कर्मचारियों के बीच में कोई नहीं है । मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि वह दोस्त अब से तीन महीने पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर थे । एम्प्लायर और एम्प्लाईज के बीच कन्फ्लिक्ट होता है लेकिन वैसा कोई कन्फ्लिक्ट राज्य कर्मचारियों और किसानों के बीच में तो होता नहीं है । और अगर ऐसा कोई है तो उसको हटा दें । राज्य कर्मचारी तो सेवक है और अगर गलती करता है तो मुस्तौजिब सजा है लेकिन यह मान लेना कि उसका इंटेरेस्ट किसान से कान्फ्लिक्ट करता है यह गलत बात है और अगर कंसीलियेशन मशीनरी रखी भी जाय तो वह भी तो आदमियों की ही होगी । वह किन लोगों की होगी ? अगर नान-आफिशियल्स की हो तो हर जगह कंसालिडेशन कमेटीज लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्ज की मौजूद हैं । कोई राज्य कर्मचारी तो कंसीलियेशन मशीनरी बन नहीं सकता । अगर नान-आफिशियल हो सकता है तो कंसालिडेशन कमेटी कदम-कदम पर मौजूद है ।

[श्री चरणसिंह]

हमारे एक माननीय मित्र ने यह सजेशन दिया कि साहब पहले कागजात की दुरुस्ती कराइये। इसको सुनकर ही तो मैंने जैसा पहले कहा, बात सही है कि इस स्कीम को या तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ा है तो तकरीर करते वक्त भूल गये। यह बात माननीय झारखंडे राय जी की पार्टी के एक मेम्बर ने फरमाई कि साहब चकबन्दी करने से पहले कागजात की दुरुस्ती होनी चाहिये। मैंने अपने कानों की तरफ देखा कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है कि कोई साहब खड़े तो हों क्रिटिसाइज करने के लिये और सुझाव ऐसे दें। अगर ढाई साल किसी तहसील में लगता है चकबन्दी के काम में तो सवा साल वहां कागज की दुरुस्ती में लगता है। अब मुबारक हो ऐसे सुझावों को। मैंने पढ़ा कि गोरखपुर की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि चकबन्दी की स्कीम बहुत रद्दी है। चकबन्दी करने से पहले कागजात दुरुस्ती होनी चाहिये। मुबारक हो ऐसे प्रस्ताव पास करने वालों को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि १५ महीने, १६ महीने लगते हैं। ऐसे सुझाव और ऐसे क्रिटिसिज्म्स तो स्कीम पर हो ही नहीं सकते अगर स्कीम पढ़कर उनके मेरिट्स पर क्रिटिसिज्म करना चाहते हों तो लेकिन अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां ऐसी भी पार्टियां हैं जो यह समझती हैं। कर कि यह स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आई है लिहाजा इट डिजर्व्स टु बी कंडेम्ड। अगर इस दृष्टिकोण से चलना है तब तो ठीक है।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह कहा जाता है कि बड़ी रिश्वत चल गई है। वह बाद में अर्ज करूंगा लेकिन जो लोगों को डिस्सेटिस-फैक्शन होता है वह एलाटमेंट आफ चक्स के समय होता है। कागजात दुरुस्ती के वक्त तो यह स्कीम बड़ी पापुलर होती है। सेटिलमेंट आफ नम्बर्स जब तक तैयार होते हैं तब तक शिकायत नहीं होती। इससे मैं यह नतीजा निकालने में जस्टीफाइड हूंगा कि इस वक्त रिश्वत नहीं चलती है और अगर है भी तो बहुत कम। जब चक्स बनते हैं तब जिनके अटैचमेंट्स होते हैं, उनको शिकायत हो सकती है। अब शिकायत कितनी जस्टीफाइड है कितनी नहीं, यह दूसरी बात है लेकिन जब तक कागजात की दुरुस्ती की बात रहती है और एलाटमेंट आफ चक्स का वक्त नहीं आता तब तक यह स्कीम पापुलर रहती है तो फिर काहे को नार्मल जुडीशियरी की बात की जाती है? कोई उसकी जरूरत नहीं है।

जैसा कि अब तक यह रिएक्शन था कि एक्जीक्यूटिव आफिसर को मौके पर भेजा जाय तो वह ज्यादा जस्टिस करेगा तो बजाय इसके कि हम मुन्सफी में जायं, हाईकोर्ट में जायं या सुप्रीम कोर्ट में जायं क्योंकि वह मौके पर नहीं जाते। वे रूल्स से बंधे हुए होते हैं। वह मौके को देखते नहीं हैं। इसलिये वे शायद ज्यादा रियलिटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिये हमारा सबका जो यह ख्याल है वह ख्याल चकबन्दी की प्रोसिडिंग से कंफर्म होता है। डेढ़ साल तक कोई शिकायत नहीं हुई लेकिन बाद को जिनको खेतों से मोह हुआ उनको यह शिकायत पैदा होती है।

अधिष्ठाता महोदय, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बात तो मैं कह चुका लेकिन जो एक और बात कही गयी कि डेमोक्रेटिकली एलेक्टेड कमेटी होनी चाहिये, उसके विषय में मेरा निवेदन यह है कि अगर यह कमेटीज डेमोक्रेटिकली एलेक्टेड नहीं हैं तो फिर कौन सी डेमोक्रेटिक कमेटी होंगी? आपका कहना यह है कि गांव की पंचायत जो कंसोलिडेशन कमेटी को चुनती है उसका एलेक्शन बैलेट बाक्स के जरिये से होना चाहिये। शोइंग आफ हैंड्स के जरिये से न हो। हमारे मित्र का कहना यह है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये जिस कमेटी का चुनाव हो, ऐसी चकबन्दी समिति होनी चाहिये। उसके लिये यह कहा गया कि बैलेट बाक्स के जरिये से गांव पंचायत का चुनाव हो और फिर वह गांव पंचायत चकबन्दी समिति का चुनाव करे तब यह जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चुनी हुई समिति कहलायेगी। यह जो बैलेट बाक्स के जरिये से पर्ची डालकर गांव पंचायत के चुने जाने की बात है, यह

बहुत अच्छी बात है इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती और इसमें कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता लेकिन सोचना यह है कि इसके लिये कितना खर्चा होगा। २० आदमी अगर एक गांव पंचायत के लिये चुने जायं और उसके लिये अगर ५० आदमी खड़े होते हैं तो फिर उनके लिये ५० बाक्स आवश्यक होंगे। वहां पर पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से तो उम्मीदवार खड़े होते नहीं। हर आदमी अपने बल पर खड़ा होता है। जब यह ५० आदमी खड़े होंगे तो उनके ५० निशान भी होंगे। जो यह असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं उनमें तो बैल, ऊंट, घोड़ा, साइकिल, बरगद, हंसिया, चिराग वगैरा बहुत से चिन्ह रखे जाते हैं। इसी तरह से ५० चिन्ह वहां गांव वालों के लिये रखे जायेंगे। यह ५० चिन्ह कहां से आयेंगे और फिर आपने गाय भैंस के चिन्ह बना भी दिये तो उसमें कितने उम्मीदवार होंगे यह आप सोचें। ५० उम्मीदवारों के जो चिन्ह होंगे उनमें फर्क करना मुश्किल हो जायगा और फर्क भी कर लें तो उनके लिये ५० बाक्स होंगे तो एक गांव में कितने बाक्स चाहिये ? बस्ती जिले में ७,६४६ गांव हैं और मिला देने के बाद भी वहां पर ३,८०० गांव पंचायत हैं। अगर एक गांव से ५० उम्मीदवार खड़े हुए तो फिर १९,००० बाक्स चाहिये एक ही जिले के अन्दर और फिर उनके लिये यातायात का प्रबन्ध करना, ले जाना, लाना और उठाने का इन्तजाम करना, और इकट्ठा करना। मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन इन चुनावों में अभी भी करोड़ों रुपया खर्च होता है जब कि एक एक चुनाव क्षेत्र में औसतन ४-५ उम्मीदवार से ज्यादा नहीं होते हैं। इसके लिये कई करोड़ रुपया खर्च होगा इसलिये बहुत इरादा रखते हुए भी, बहुत इच्छा होते हुए भी यह गवर्नमेंट गांव पंचायतों के चुनाव जिलों में बैलेट बाक्स के जरिये से नहीं करा सकी और सन्देह है कि आगे भी यह बैलेट बाक्सेज के जरिये चुनाव करा पायेगी। कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिसमें कोई आदमी दूसरे की राय जान सकता हो। यह सरकार इस बात का स्वागत करेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—यह ज्यादा खर्चा होना ही दलील है कि कोई प्रजातांत्रिक पद्धति को न माना जाय ? इसमें तो खर्चा अधिक होगा ही।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं अच्छी तरह से तो समझा नहीं लेकिन मैं इतनी बात अवश्य कहता हूं कि वायस और बैलेट वोट में उतना फर्क नहीं है जितना कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में है। एक बात यह कही गयी कि नामजदगी का अधिकार सरकार ने रखा है, यह नहीं होना चाहिये। यह नहीं है कि हमारे अफसरान को कोई पावर एक्सरसाइज करने का चसका हो। उसमें तो बदनामी होती है। लेकिन यह बात इसलिये रखी गई है कि अगर कोई ऐसा नुक्तेनिगाह रह गया हो जिसकी नुमाइन्दगी चकबन्दी समिति में न हो तो उसे दूर करने के लिये यह नामजदगी का अधिकार रखा है। इसे हमेशा हमारे अफसरान काम में नहीं लाते हैं। कहा गया कि चकबन्दी रिपोर्ट में लिखा है कि बिना लोगों की रजामन्दी के चकबन्दी में और कामयाबी नहीं हुई। मैंने रिपोर्ट मंगाई, मुझे याद नहीं पड़ता था कि ऐसा है या नहीं। गेंदासिंह जी ने ऐसी बात जरूर रखी थी और बाद में वह राजी हो गये थे उनके दस्तखत मौजूद हैं। इसमें सन् १९३९-४० के ऐक्ट चकबन्दी के कामयाबी के साथ चलने के ६,७ कारण दिये हैं। एक यह भी है कि लोकल स्टाफ ने लोकल ओपीनियन कानफीडेन्स में नहीं ली। तो क्या इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि जिस गांव में चकबन्दी शुरू की जाय वहां ७५ या ५१ फीसदी लोगों की रजामन्दी लेली जाय ? स्थानीय लोगों का मश्विरा हम चकबन्दी समिति द्वारा ले रहे हैं।

इसमें यह भी है कि थोड़े से आदमियों को रोड़ा नहीं अटकाने देना चाहिये और बेनीवालैन्ट काम सरकार के काम का की नोट होना चाहिये। यानी अगर यह निश्चित मत है कि इस जगह चकबन्दी होनी चाहिये तो सरकार को वह काम करना चाहिये, इसे बैनीवालेंट कम्पलशन कहा जा सकता है। इस कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ यह ऐक्ट नहीं बनाया है। ७५ फीसदी की बात पर बहुत जोर दिया गया। माननीय गेंदा सिंह जी बहुत रीजनेबिल होने की कोशिश करते हैं। वह बहुत ढूंढ-ढांढ कर यह बात लाये कि अगर ७५ फीसदी की बात

[श्री चरणसिंह]

अटका दी जाय तो स्कीम भी नहीं चलेगी और तुम डेमोक्रेट भी रहोगे। पहली स्कीम में ऐसा ही था। इसमें यह था कि २/३ किसान राजी हो और उनके कब्जे में जमीन का रकबा भी २।३ होना चाहिये तभी चकबन्दी शुरू होगी। इसमें यह हुआ कि अफसरान ने दस्तखत लिये, परन्तु उसके बाद यह दरख्वास्तें आईं कि हमारे दस्तखत तो कोलाबे के लिये लिये गये कि यहां कोलाबा लगाया जायगा हमने चकबन्दी के लिये दस्तखत नहीं किये थे। इसीलिये अगर हम यह भी रख दें तो कोई गजब नहीं होगा, अगर यह कहा जाय कि ७५ फीसदी की रजामन्दी जबरदस्ती ले ली गई थी।

एक सदस्य---ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की रजामन्दी ले ली जाय।

श्री चरणसिंह---इस पर भी कुछ कहा जा सकता है। अभी आप एक मिनट सोचें तो आप कई एतराज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। डंडे के बल से दस्तखत हमारे करा लिये, अथवा प्रस्ताव पास करा लिया। बड़े-बड़े किसानों के बारे में भी एक बार यह बात कही गयी थी, उसके बारे में भी कही जा सकती है। (एक सदस्य---कोशिश करके तो देख लीजिये) मेरा एतराज इसके ऊपर एक और भी है। मान लीजिये शुरू में जब चकबंदी शुरू हुई ७५ फीसदी आदमी फेवर में थे और अब कार्यवाही आगे बढ़ी तो ७४ फीसदी हो गये, तब क्या होगा? क्योंकि मेरा तजुर्बा यह है कि शुरू में ९० फीसदी किसान उसके फेवर में होता है। हो सकता है कि मैं इल्यूजन में होऊं लेकिन अगर माननीय मित्र की बात ही सही मान ली जाय कि ७५ फीसदी पहले लोग माफिक हों और जब आगे कार्यवाही बढ़े और ७३ प्रतिशत रह जायं तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही रोक दी जायगी?

तीसरी बात एक और भी है कि क्या ७५ फीसदी आदमियों को ही इस बात का हक हासिल है कि २५ फीसदी आदमियों को किसी बात के लिये मजबूर करें। यह तो जमीन का मामला है, वोटों का मामला तो है नहीं और अगर ७५ फीसदी हो सकते हैं तो ५१ फीसदी क्यों नहीं हो सकते, इसके लिये क्या तर्क है कि ५१ फीसदी न हों। इसके अलावा अधिष्ठाता महोदय, सोचने की बात यह है कि अगर यह कर दिया जाय कि ७५ फीसदी राजी रहें तो स्कीम चलती ही रहेगी तो राजकर्मचारी बाकी २५ फीसदी की परवाह नहीं करेंगे, ७५ उनके माफिक होने चाहिये, २५ चाहे भाड़ में जायं। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो और हत्तुलइमकान हर एक की ख्वाहिश पूरी हो जाय।

अब यह बात चकबंदी की ही नहीं, हर एक डेवलपमेन्ट के काम में यही होता है। चाहे सड़क बनायें, चाहे नहरें बनायें। अगर कहीं से नहर निकालना चाहते हैं तो जिन किसानों की जमीन उस नहर में पड़ती है, वे नाराज हैं और जिनको पानी मिलेगा वे इतने खुश नहीं हैं जितने कि वे नाराज हैं जिनकी जमीन जा रही है। (एक सदस्य---ऐसे कहने वालों में कांग्रेसी ही ज्यादा हैं)। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यह आपके लिये ही कह रहा हूं। चोर की दाढ़ी में तिनका। (माननीय राज नारायण के कुछ कहने पर) अधिष्ठाता महोदय, दाढ़ी का जिक्र आ गया तो माननीय राज नारायण भी खड़े हो गये। जो पार्टी बरसरे इक्तदार है उसके मेम्बरान की तो यह कोशिश हो सकती है कि इधर को न निकल कर उधर को निकल जाय। ऐसा नहीं कि नहर न बने। वे जानते हैं कि नहर तो बनना ही है। यह नहीं कि नहर न निकले। लेकिन जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है और जिनको हर-दिल-अजीजी हासिल करनी है, अगर उससे उनका दिल डगमगा जाय तो संभव है कि वे ऐसा करने लगें। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं तो लोगों को जमीन निकलने से एतराज होता है।

इसलिये ७५ फीसदी की राय नहीं बल्कि सेंट परसेंट की राय ले लीजिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं ७५ फीसदी स्वीकार नहीं करता हूं। इसके अलावा मैं आपकी इजाजत से कहना

चाहता हूं और वह यह है कि कन्सालिडेशन कमेटी का विधान जितने सूबों के अन्दर चकबंदी हुई है, किसी के अन्दर नहीं है। केवल पंजाब में एक्जिक्यूटिव ओथोरिटीज के जरिये लोकल ओपीनियन को कन्सल्ट करने की बात है। लेकिन जैसा कि डिटेल में कदम कदम पर रूल्स नहीं है। ऐक्ट के सेक्शन के अन्दर हर कदम पर हमें कन्सालिडेशन कमेटी का सहयोग और उसकी ओपीनियन मिलती है।

एक सदस्य—केवल कागजों पर ही।

श्री चरणसिंह—वह तो आपका खयाल है। कागजात के ऊपर भी है और अमली रूप में भी मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कागज पर भी मौजूद है। स्कीम कितनी अच्छी है। मैं तो केवल स्कीम को स्वीकार करता हूं। स्कीम के मुताबिक कन्सालिडेशन कमेटी कदम रखती है और उस पर अमल होता है या नहीं होता, यह तो अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले ही अर्ज करना चाहता था। कागज के ऊपर जो कार्यवाही होती है, वह ठीक ही रहेगी। सब सूबों के मुकाबिले में आपका लेजिस्लेशन लोकल ओपीनियन में कन्सालिडेशन का जितना ख्याल रखता है, वह कहीं नहीं है। बल्कि नहीं के बराबर है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी दूसरे सूबे में नहीं है।

स्टाफ के बारे में यह कहा है कि वह अनट्रेन्ड है, इनएक्सपीरिएन्स्ड है, यह बात कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है। एक्सपीरिएन्स्ड स्टाफ और ट्रेण्ड स्टाफ कहां से आये। जब आप किसी काम को पहले पहल शुरू करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियन्स का स्टाफ कहां से मिल सकता है। उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियन्स कहां से हो सकता है। अगर हम डिप्टी कलेक्टर्स को रखते हैं तो वह भी पहले पहल इनएक्सपीरिएन्स्ड और अनट्रेन्ड होते हैं, उनको एक्सपीरियन्स तो धीरे-धीरे होगा। एक बात यह भी कही गयी, जिसको कि माननीय सुल्तान आलम खां ने कहा कि टेम्पोरेरी स्टाफ है इस कारण उनमें उत्साह नहीं होता है। आपका यह कहना कुछ हद तक मुनासिब भी हो सकता है क्योंकि टेम्पोरेरी स्टाफ में वह फीलिंग्स और वह उत्साह नहीं होता है जो कि परमानेन्ट स्टाफ में होता है। हम यह भी जानते हैं कि इस वजह से हम को इनएक्सपीरियन्स्ड स्टाफ मिलता है जिसके कारण हमको इनएफिशियन्सी की शिकायतें भी मिलती हैं। एक बात मैं यहां पर और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि यदि परमानेन्ट स्टाफ कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी होती है, उसमें काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन एक टेम्पोरेरी स्टाफ के लिये हम गलती करने पर उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि परमानेन्ट स्टाफ होना चाहिये लेकिन जहां तक कंसालिडेशन स्कीम का सवाल है वह तो केवल २० वर्ष ही चलेगी या १५ साल और चल सकती है। इसके लिये जो हम हजारों की तादाद में स्टाफ रखेंगे, इस स्कीम के खत्म हो जाने के बाद उनको कहां ले जायेंगे? टेम्पोरेरी होने से यह होगा कि जो उनमें से अच्छा काम करेंगे, उनको हम परमानेन्ट करके किसी दूसरी जगह काम दे सकते हैं। इसलिये अच्छा काम करने का उन्हें एक उत्साह रहेगा।

इसके अलावा स्टाफ में करप्शन की भी बात कही गयी। जहां तक करेप्शन का सवाल है वह केवल कन्सालिडेशन के सम्बन्ध में जो स्टाफ रखा गया है, उसी के बारे में नहीं कहा जाता है बल्कि सारे राज कर्मचारी जो काम करते हैं, चाहे वह किसी भी विभाग के हों, किसी जगह भी हों, पूरे तौर पर काम्पिटेन्ट नहीं पाये जाते हैं, सेन्ट परसेन्ट क्लीन नहीं होते हैं। सरकार ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया है कि उनमें यह खराबियां नहीं होतीं हैं। कैसे हो? आखिर हमारी सोसाइटी से ही तो वे लोग आते हैं और जब आपकी सोसाइटी ही खुद दावा नहीं कर सकती तो फिर जो आदमी गवर्नमेन्ट सर्विस में हो जाय वह कोई गलती कर नहीं सकता, यह नहीं हो सकता है और न गवर्नमेन्ट की तरफ से यह दावा ही किया गया है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, जहां तक यह बात है कि सेंट परसेंट इनकरप्टिबिलिटी हो जाय, जैसा कि माननीय सदस्यों की स्पीचज को सुनने और पढ़ने से मालूम हुआ वह यह कि मेजारिटी का यही

[श्री चरणसिंह]

मत है कि "देयर इज नथिंग बट करप्शन", इस बात को स्वीकार करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। जितना गवर्नमेन्ट इस सिलसिले में कर सकती है उतना इस करप्शन को मिटाने की वह कोशिश कर रही है ।

अब करप्शन किस तरह से मिटे ? इसके लिये तीन चार तरीके हैं। एक तो यह कि जिस कानून में कोई खराबी हो, जिसकी वजह से करप्शन के होने का इमकान हो, भ्रष्टाचार फैलने का इमकान हो, फौरन उस कानून को तरमीम किया जा सकता है। कई बार कानून में तरमीम की गयी और अब भी यदि गवर्नमेन्ट को कोई सुझाव देगा जिससे करप्शन बिलकुल खत्म हो जाय और यदि खत्म न हो तो रिड्यूस ही हो जाय तो कानून में तरमीम की जा सकती है। एक सज्जन ने पहले कहा था कि साहब जल्दी-जल्दी कानून में तरमीम की जाती है। एक बार मैंने एक मित्र को टोका था कि आप कहते हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी तरमीम की जाती है लेकिन फिर उसके १० मिनट बाद ही उन्होंने कहा कि यह कानून आदमियों के लिये है, आदमी कानून के लिये नहीं है और अगर जरूरत हो तो कानून में जल्दी तरमीम करना चाहिये। मैं तो उनकी बात को कुछ हद तक मान रहा हूं कि अगर जरूरत हो तो जल्दी उसको तरमीम किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि गांव वालों का सहयोग हमें करप्शन के मिटाने में मौजूद हो। माननीय सुल्तान आलम खां ने एक सजेशन दिया कि सरप्राइज चेक किये जायं। तो सरप्राइज चेक तो होता है, इंस्पेक्शन भी बहुत होता रहा है लेकिन अब जो हमारे नये डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन हैं उनकी राय है कि जिस तरीके से इंसपेक्शन अब तक होता रहा है, उनका ढंग अब बदला जाना चाहिये। मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई है और फिर तफसील से बात होगी और हम इंसपेक्शन कहें या उसे चेक कहें, उसका जो तरीका रहा है उसको बदलने की बात सोचेंगे।

एक बात यह कही गयी कि सख्ती की जाय। सख्ती करनी चाहिये, ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने के लिये क्या किया जाय ? क्या सब को निकाल दिया जाय ? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर मेरे माननीय मित्र भ्रष्टाचार की बात कहें तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने माइंड के अन्दर दसों इंसटेंसेज रख लें जब कहें तब तो बात समझ में आती है। यह नहीं कि जब मैं कोई इंस्टेंस देनेके लिये कहूं तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जाय या जवाब भी दिया जाय तो यह कहा जाय कि अच्छा, मैं वहां जाकर लिख कर भेज दूंगा। अगर उसका कोई जवाब न मिले तो वह अनजस्ट हो जाता है उन कर्मचारियों के लिये जिन लोगों के ऊपर कि ज्यादा जिम्मेदारी है। अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस असेम्बली के ७१ मेम्बरों को, जो कि चकबन्दी वाली एरिया से आते हैं, २४ अपोजीशन के तथा ४७ कांग्रेस दल के, इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये बुलाया।

एक सदस्य—बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री चरणसिंह—मैं और बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि २४ अपोजीशन के तथा ४७ कांग्रेस दल के मेम्बरों को मैंने बुलाया और उनसे दरख्वास्त की थी कि वे इस सम्बन्ध में मुझे मशविरा दें....

एक सदस्य—२६ तारीख को आपने हम लोगों को बुलाया और हम लोग वहां हाजिर हुए। पहले मुझे बोलने का मौका मिला तो आप कहने लगे कि आप कैसा भाषण दे रहे हैं। आपने मेरा कहना कुछ नहीं सुना जबकि आपने राय देने के लिये बुलाया था। बहरहाल वहां हम लोगों का टाइम वेस्ट गया।

श्री चरणसिंह—उस रोज ५४-५५ साथी आये थे और ३ बजे से ८ बजे तक ५ घंटे मीटिंग हुई और जब सब की राय हुई तब कमेटी खत्म हुई। मैं यह कह रहा था और मैंने उस रोज आफर किया था और उसे मैं फिर रिपीट करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य जाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों या किसी भी गैर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हों, अगर वह किसी कन्सालिडेशन

एरिया से आते हैं वह अगर खुद तहकीकात करने के बाद किसी मामले में इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फलां कर्मचारी करप्ट है तो मैं इस प्रिजम्पशन पर चलूंगा कि वह करप्ट है, अनलेस इट इज प्रूव्ड टु दि कन्ट्रेरी। तो मैं कयास करूंगा कि वह करप्ट है जबतक कि कोई खास वजुहात उसकी बेगुनाही के हक में नहीं दिये जाते। माननीय पालीवाल जी ने कुछ जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह भी कही कि यह बात ठीक है कि माल मंत्री जी ने ऐसा आफर दिया लेकिन ला आफ जूरिसप्रूडेंस यह कहता है कि जब तक आदमी दोषी साबित न हो जाय वह दोषी नहीं कहा जा सकता, वह दोषी साबित हो जाय और डिटेल्ड प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ चलें जैसे किसी परमानेन्ट गवर्नमेन्ट सर्वेंट के खिलाफ चलती हैं या टेम्पोरेरी कर्मचारी के खिलाफ चलती हैं तो इस मे तो समय लगेगा और देर होगी। एक तरफ तो वह कहते हैं कि तत्काल कार्यवाही की जाय, फौरन की जाय और ज्यादा लोगों को सजा दी जाय लेकिन सारी जिम्मेदारी वह गवर्नमेन्ट पर ही रखना चाहते हैं कि वह खुद ही देखे, तहकीकात करे और सजा दे। हम तो जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रिजम्पशन पर चलने को तैयार हैं लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो माननीय सदस्य जो ऐसा कहते हैं उन को भी लेना चाहिये या यह सारा बोझ सरकार के ऊपर ही है, वह बस इतना ही चाहते हैं कि मिनिस्टर से कह दिया और एक आदमी डिसमिस हो गया। मैं कहता हूं कि आप जिम्मेदारी लें और मेरे सामने केसेज लायें लेकिन आप जिम्मेदारी भी न लें और कहें कि करप्शन है तो 'हाट एण्ड कोल्ड केन नाट गो टुगदर इन दि सेम ब्रेथ'।

जहां तक स्टाफ का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी कमजोरी है, जो सोशल वीकनेस है, जो कैरेक्टर की वीकनेस है उससे हम सफर करते हैं, हमारे बच्चे और हमारी सोसाइटी उससे ऊपर नहीं है। मैं यहां यह भी कहूंगा कि इसके साथ-साथ स्टाफ की क्या कठिनाइयां हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये, उनको गांवों में रहना होता है, वह शहर में आ कर नहीं रह सकते, मकान वहां पर किराये पर नहीं मिल सकते, मुलाजिम वह नहीं रख सकते, अपने बालबच्चों को भी साथ नहीं रख सकते, किसी के घर पर किसी के सहारे ही उन्हें वहां रहना होता है, किसी के कुएं से पानी लेना होता है, रात को किसी के मकान पर सोना पड़ता है लेकिन बावजूद इन सब दिक्कतों के उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया है अधिष्ठाता महोदय, उन की वह ईमानदारी मेहनत और लगन इस बात की हरगिज मुस्तौजिब नहीं है कि उनके लिये ऐसा कहा जाय बल्कि जिस तरह से, जिन कन्डीशन्स में उन्होंने काम किया है उनमें वह मुस्तहिक है हमारी प्रशंसा के, लेकिन यहां तो एक ब्रुश से ही सब को टार किया जाता है। ऐसी हालत में जो ईमानदार हैं, मेहनत से काम करने वाले हैं, उनकी भी हिम्मत टूट जाती है। ज्यादातर टेम्पोरेरी स्टाफ है, देहातों में खेत-खेत पैदल घूमना पड़ता है, धूप में, रात को ११-११ बजे तक वह लोग काम करते हैं, वह लोग अपनी ऐसी नौकरी को छोड़कर भाग जायं तो क्या ताज्जुब है, छोड़ने की बात सोचते हैं लेकिन चूंकि जमाना अनएम्प्लायमेंट का है इसलिये पड़े हैं और जिसको मौका मिलता है वह भागने की सोचता है। तो जहां करप्शन है उसको हमें आप के मशवरे से यथासम्भव रोकना है, केवल कहने से कोई लाभ नहीं, स्कीम एक अच्छी स्कीम है जिसको हमें चलाना है। स्टाफ अच्छा हो स्कीम चाहे खराब हो तो उससे यह मन्शा पूरी नहीं होती।

तीसरी चीज है रिएक्शन आफ दि पीजेंट, किसान की प्रतिक्रिया—वह कंसालिडेशन चाहता है या नहीं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि वह कंसालिडेशन चाहता है। लेकिन साथ-साथ उसके मन के अन्दर यह आशंका बनी रहती है कि तेरे साथ कोई अन्याय तो न हो जायगा। खेत जब उसके बदलेंगे तो खराब खेत तो नहीं मिल जायेंगे। कंसालिडेशन का फर्स्ट रिएक्शन उसके पक्ष में होता है। उसके मन में दूसरी चीज यह आती है कि कोई बेइंसाफी न हो जाय, यह स्वाभाविक है। उसको जमीन से इतना अटैचमेंट है कि जब उसकी चीज उसके कब्जे से निकलती है तो ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे तो ऐसी भी मिसाल मालूम है कि जहां दूसरे किसान से खुद कह दिया कि जैसा चाहो खेत चुन लो अपने खेत के बदले में और जब दूसरा फरीक राजी होता है, वह किसान जिसको आफर दिया जाता है, पंद्रह मिनट के बाद सोचता है कि यह आदमी क्यों राजी हो गया अगर इतनी जल्दी

[श्री चरणसिंह]

राजी हो गया अपने खेत को देने के लिये, अगर्चे च्वायस उसकी थी, फिर भी सोचता है कि तेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है, कहीं तेरा खेत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत मुश्किल काम है और जैसा मैंने अर्ज किया था मेरे मित्र इस बात की मेरी ताईद करेंगे कि जो लोग गांवों से वाकिफ हैं और सबके सब करीब-करीब वाकिफ हैं, यह काम आसान नहीं है । इस सिलसिले में मैं आपकी इजाजत से, एक हमारे डार्लिंग पंजाब के बड़े अच्छे सिविलयन हुए हैं उन्होंने चकबंदी के सिलसिले में एक किताब लिखी है "पंजाब पीजेंट इन प्रासपेरिटी ऐंड डेथ ।" पंजाब का किसान खुशहाली और गरीबी में । बहुत अच्छी किताब लिखी है । उसमें उसने कंसालिडेशन के सम्बन्ध में दो-एक बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं । मैं आपकी इजाजत से उसे सुना देना चाहता हूं ।

"It is easy to chronicle the benificient results of consolidation" (इट इज ईजी टु क्रानिकिल दि बेनीफिशेंट रिजल्ट्स आफ कंसालिडेशन) यह आसान है कि कंसालिडेशन के फायदे क्या हैं उनको गिना देना "but most difficult to produce them" (बट मोस्ट डिफीकल्ट टु प्रोड्यूस देम) लेकिन उन नतीजों को पैदा कर देना बहुत मुश्किल है । "for every one has to be satisfied and all conflicting interests reconciled" (फार एव्री वन हैज टु बी सैटिस्फाइड ऐंड आल कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स रिकंसाइल्ड) क्योंकि हर आदमी की संतुष्टि करनी पड़ती है और परस्पर जो उनके स्वत्व या अधिकार हैं उनमें समन्वय पैदा करना पड़ता है "the ignorants have to be enlightened and the stubborn conciliated" (दि इगनोरेंट्स हैव टु बी एनलाइटेंड ऐंड दि स्टबोर्न कंसीलियेटेड) जो अनभिज्ञ है, भोला किसान है, और जिद्दी है, उसको राजी करना है, उसको समझाना है "the poor, the weak and the speachless have to be as much regarded as the rich, the strong and the vocal" (दि पुअर, दि वीक ऐंड दि स्पीच लेस हैव टु बी ऐज मच रेगार्डेड ऐज दि रिच, दि स्ट्रांग ऐंड दि वोकल) गरीब, कमजोर, बेजबान का उतना ही ख्याल करना है जितना कि मालदार का या मजबूत का और बहुत बोलने वाले का । 'more over technical difficulties abound' (मोरओवर टेक्निकल डिफिकल्टीज अबाउन्ड) इसके अलावा कानूनी दिक्कतें बहुत हैं । कितनी ही अच्छी स्कीम बना लीजिये कितने ही अच्छे नियम बना लीजिये, कितने ही अच्छे इंस्ट्रकशंस भेज दीजिये और कितनी ही अच्छी मैनुअल बना लीजिये, मौके पर इतनी कठिनाइयां आती हैं कि जो अफसरान इस काम को करते हैं वही जानते हैं । अधिष्ठाता महोदय, आगे चलकर वह कहते हैं, "And underlying all is the peasants passionate love of his land with the jealousy of neighbours that passion breads" (ऐंड अंडरलाइंग आल इज दि पीजेंट्स पेशनेट लव आफ हिज लैण्ड विद दि जेलेसी आफ नेबर्स दैट पैशन ब्रीड्स) और इस सब की तह में किसान का अपने खेत का मोह जिससे अपने पड़ोसी के तईं ईर्षा उससे पैदा होती है । "In such circumstances the work must be slow" (इन सच सर्कम्सटैंसेज दि वर्क मस्ट बी स्लो) ऐसी हालत में काम बहुत धीमी रफ्तार से चलेगा । "The marvel is that it is done at all" (दि मार्वेल इज इजदैट इज डन ऐट आल) 'अचरज यह है कि यह हो जाता है । अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि सभी लोग सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि काम बड़ा मुश्किल है । लेकिन यह काम हमीं लोगों को करना है ।

३१ मार्च तक हमारे सूबे के २,०४४ गांवों में चकबन्दी पूरी हो चुकी है । अधिष्ठाता महोदय, यह मिसाल कि मुजफ्फरनगर के कुछ किसान आये, मैं मुजफ्फरनगर की बात तो बाद में अर्ज करूंगा । इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि कुछ लोग असन्तुष्ट हैं और वह शिकायत करते हैं, चाहे वहां, गांव में जायं, चाहे लखनऊ में आ जायं, इससे यह नतीजा

नहीं निकाला जा सकता है कि मैजोरिटी डिस्सेटिस्फाइड है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन शोर है डिस्सेटिस्फाइड लोगों का। १० हजार आदमियों को नहर से ज्यादा फायदा होगा, ५०० को नुकसान होगा जिनकी जमीनें जाती हैं। ५०० वोकल हैं, १०,००० खामोश हैं। इसी तरह से जो लोग चकबंदी से संतुष्ट हैं वह घर पर बैठे हैं और जो असंतुष्ट हैं वह दूसरों को खोजते हैं और दूसरे भी उनको खोज-खोज कर पहुंच जाते हैं, दूसरे सूबे से, शहरों से और दूसरे जिलों से। लेकिन उससे हम यह नतीजा निकालें कि बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है तो मैं कहूंगा कि वह हकबजानिब नहीं होगा क्योंकि सच्चाई, तारीफ, संतोष तो लंगड़ी होती है और बुराई बहुत तेज रफ्तार से चलती है। इस स्कीम से जो लोग असंतुष्ट हैं वह इसकी चर्चा बहुत करते हैं, वह दुगनी, चौगुनी, किसी चीज को फैलाकर कहते हैं, लेकिन जो संतुष्ट हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है प्रचार करने में कि हम संतुष्ट हैं। अधिष्ठाता महोदय, तारीफ करने में ऐसा लगता है किसी चीज की जैसे हमारी जेब से कुछ जा रहा हो और बुराई करने में बड़ा मजा आता है।

मेरे मित्र आचार्य दीपंकर जी की पहले रोज जो तकरीर हुई १६ तारीख को गवर्नर के ऐड्रेस पर तो उन्होंने इस्तीफा देने तक धमकी दे दी। अधिष्ठाता महोदय, मैं उसकी बाबत कुछ कहना नहीं चाहता। बात पर्सनल सी हो जायगी। इसलिये मैं यह तय करके आया था कि कुछ नहीं कहूंगा, कोई फायदा नहीं। इससे बड़ी बहादुरी नहीं टपकती है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस्तीफा देने के बहुत बड़े बड़े मौके उनकी जिन्दगी में आ चुके हैं जब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कब इंकार किया है कि रिश्वत नहीं चली? कहां के लौरेल्स लूटना चाहते हैं मेरे मित्र मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं, कैराना में कहा गया बड़ी रिश्वत चली, ऐक्सेप्टेड। कितनी चली इसमें डाउट है। जिस समय वह तकरीर कर चुके उसके बाद मैंने कहा, माननीय सदस्य मेरे मेहरबान हैं और चकबंदी स्कीम के मुताबिक उनकी क्या राय रही है उसको मैं हाउस में नहीं कहूंगा क्योंकि बाहर की बातें हैं। मैंने उनसे यह कहा कि आपने कैराना की बाबत तो कहा, मैंने माना। लेकिन सरधने में कैसी चल रही है। उन्होंने कहा साहब बहुत ईमानदारी से चल रही है। मैंने कहा आपने जिक्र नहीं किया। तो कहा भूल गया। तो बुरी चीज कह जाते हैं अच्छी चीज भूल जाते हैं। खैर जब याद भी आयी २७ को तो कैसे आयी। फिर आपने १०० लफ्ज इस्तेमाल किये करप्शन के मुताल्लिक कैराना के, तो एक फिकरा केवल एक फिकरा, हां मैं एक बात भूल गया था सरधना की चकबंदी की बाबत और उसकी अच्छाई की बाबत, बस इतना सा, वह फिकरा भी पूरा नहीं। तो अधिष्ठाता महोदय, अगर किसान गांव का जिसको वाकई लगता है कि उसका चक अच्छा नहीं मिला है, अगर वह कहे तो उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन जो हम सब लोग यहां जनसेवक बैठे हैं मैं उनसे यह कहता हूं कि

"Please do condemn where condemnation is due but give this devil due praise where praise is due" (प्लीज डू कंडेम ह्वेयर कंडेमनेशन इज ड्यू बट गिव दिस डेविल प्रेज ह्वयर प्रेज इजड्यू)। लेकिन अब तारीफ कैसे करते? अब तारीफ की बाबत मैं और नहीं कहना चाहता।

सेलेक्ट कमेटी में भेजने के मुताल्लिक कहा गया कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। क्यों? क्या दलील है? माननीय पालीवाल जी ने भी और माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने भी यह कहा कि वहां हम ठंढे दिल से विचार कर सकेंगे। सभी दोस्तों का यही कहना रहा, सेलेक्ट कमेटी के मुताल्लिक। तो मैं यह अर्ज करता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है तो यह तो १७ तारीख को असेम्बली में पेश हो गया था। २७ को इस पर फिर बहस हुई और फिर सात दिन हो गये। तो इसमें कोई ज्यादा गौर करने की बात नहीं है और वह इससे जाहिर होता है अधिष्ठाता महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी कितनी इम्पार्टेंस इसको अटैच करते हैं, कितना महत्व इस बिल को देते हैं, उनकी तकरीर से तो यह जाहिर होता है कि जो उन्होंने २९ को या ३० को तकरीर की कि करोड़ों आदमियों पर इसका असर पड़ेगा। बहुत ठीक है। करोड़ों पर नहीं पड़ेगा तो लाखों पर तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर इतना महत्व इस बिल का है तो अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास जो यह आज का एजेण्डा है उस एजेंडे से जाहिर

[श्री चरणसिंह]

होता है कि तकरीरों के जरिये आप महत्व और इम्पार्टेन्स इसको देते हैं। वह चाहे जितना टपकता हो लेकिन जो अमेंडमेंट्स आये हैं, पांच यहां पार्टियां हैं, पांचों पार्टियों में से किसी भी पार्टी के लीडर ने एक भी अमेंडमेंट नहीं भेजा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय रामनारायण त्रिपाठी डिप्टी, लीडर हैं सोशलिस्ट पार्टी के, यह आपको मालूम है और उनके नाम से अमेंडमेंट है।

श्री चरणसिंह—मैं तो असल में आपको ज्यादा इम्पार्टेंस देता हूं बनिस्बत त्रिपाठी जी के और वह मुझे माफ कर देंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—यह कहां की प्रथा है कि लीडर .....

श्री चरणसिंह—लेकिन माननीय राजनारायण जी का कोई अमेंडमेंट नहीं है, माननीय यादवेन्द्र दत्त जी का कोई अमेंडमेंट नहीं है, माननीय झारखंडे राय जी का कोई अमेंडमेंट नहीं है। बाकी जिन लोगों के, पांच-सात अमेंडमेंट छोटे मोटे हैं मैं उनको किसी लीडर से कम नहीं समझता। लेकिन हां, कांस्टीट्यूशनली जो पार्टी के लीडर हैं वह लीडर होने की हैसियत से अगर कुछ तकलीफ गवारा करते और कोई सजेशन देते तो दूसरी बात थी। वैसे तो कोई भी लकड़ी लेकर गवर्नमेन्ट को पीटा जा सकता है। लेकिन बहुत सीरियस अटेंशन देकर अमेंडमेंट भेजने की तकलीफ गवारा करते, ऐसा किसी लीडर ने नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, आन ए प्वाइन्ट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय माल मंत्री ने यह अभी फरमाया है कि जिन दलों का इस आदरणीय सदन में प्रतिनिधित्व है उन दलों के नेताओं ने कोई संशोधन नहीं भेजा जिससे यह ज्ञात होता है कि उनको विशेष दिलचस्पी जो संशोधन यहां उपस्थित किये गये हैं या इस विधेयक में जो बातें कही गई हैं उससे नहीं है। तो श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं। मैंने तो इस वादविवाद में हिस्सा भी लिया है लेकिन संसदीय प्रथा है और लोकमान्य है कि जो नेता होते हैं मुख्तलिफ दलों के उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न इस आदरणीय सदन के सामने आये उस पर कोई संशोधन दें या अपना मत अवश्य प्रकट करें और इस सिलसिले में मैं सदन की सूचना के लिये और श्रीमन् की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने दल यहां हैं उनमें एक दल के नेता, नेता सदन मुख्य मंत्री भी हैं। वे कितने बिलों पर अपने मत को प्रकट करते हैं। इस प्रकार का लांछन लगाना ज्यादती है।

श्री चरणसिंह—न मैं इसे पर्सनल एक्सप्लेनेशन समझता हूं और जो मैंने कहा न वह लांछन है, न ज्यादती।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह कहा था कि जो बिल बड़ा महत्व रखता था और जिस पर बड़े सुपरलेटिव टर्म्स में बातें कही गईं तो मैं उम्मीद करता था कि इस वक्त कुछ ज्यादा बुनियादी बातें संशोधन में कही जातीं। जबान हर बात का यों तो जवाब दे सकती है लेकिन मैं तो हार्ड फैक्ट कह रहा हूं कि करोड़ों से सम्बन्ध रखने वाले बिल पर किसी माननीय नेता की कोई कसरे-शान नहीं होती अगर वह अपने नाम से संशोधन पेश कर देते।

यह बात ठीक है कि इस पर सिलेक्ट कमेटी में गौर हो सकता है। मोटी सी बात है कि ज्यादा गौर हो जाता सिलेक्ट कमेटी में बनिस्बत बड़े हाउस के लेकिन जैसा अर्ज किया कि इस बिल को जल्दी हमें अधिनियम का रूप देना है, अगर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा तो फिर यह कहीं अगस्त के आखिर तक अधिनियम बन सकेगा और हाईकोर्ट की रूलिंग की वजह से कि कंसोलिडेशन कमेटी का रिजोल्यूशन जब तक यूनेनिमस नहीं होता तब तक कोई जमीन बगैर मुआवजा दिये हुए नहीं ली जा सकती। इससे काफी कंफ्यूजन गांव में पैदा हो गया है। वह रूलिंग नवम्बर में हुई थी और बड़ी मजबूरी थी कि यह रिजोल्यूशन लाना पड़ा है। इसलिये माननीय मित्रों से दरख्वास्त की थी कि इस ऐक्ट को बनाना जरूरी है। मैं तो माननीय मित्रों

को यहां तक छूट देने के लिये तैयार हूं कि अगर वे कोई सुझाव देंगे तो फिर आपस में सलाह मश्विरा करके जो कंसोलिडेशंस मई में होंगे उनके बाद अगर दूसरा बिल लाने की जरूरत होगी तो हम अगस्त के महीने में दूसरा बिल भी ले आयेंगे। लेकिन फिलहाल इस बिल को जल्दी पास होने देना चाहिये जनहित के तकाजे को देखते हुए। इसलिये सेलेक्ट कमेटी में भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दस घंटे, बीस घंटे या जितना समय भी मुमकिन हो उसमें सलाह मश्विरा किया जाय लेकिन इस वक्त इसकी जल्दी है। इसलिये मुझे कोई मिसअंडरस्टैन्ड न करे कि मैं बहस मुबाहिसे का कोई अवसर नहीं देना चाहता। समय का तकाजा है कि बिल जल्दी से पास हो।

दूसरी बात क्रिटिसिज्म के तौर पर माननीय राज नारायण जी ने यह कही कि कम्पलसरी पार्टीशन नहीं होना चाहिये। कम्पलसरी पार्टीशन तो नहीं है अगर सबने चाहा कि न हो लेकिन अगर एक चाहता है तो हो जाना चाहिये। अगर कोई दरख्वास्त न दे तो कंसोलिडेशन अफसर नोटिस दे दे। अगर सब एतराज कर दें तो तकसीम नहीं होगी। अगर एक भी कह देगा कि तकसीम हो जाना चाहिये तो क्यों तकसीम न हो। एक आदमी दस खेतों में हिस्सेदार है तो दस चक बनते हैं। कागजात में मुश्तर्का दस खेतों में उसका हिस्सा है तो दस चक बन जायेंगे मौके पर। इसलिये शिकायत होगी।

श्री राजनारायण—यह प्राविजो कहां लगाया गया है। इसको साफ किया जाय।

श्री चरणसिंह—वह अमेंडमेंट आ रहा है।

श्री राजनारायण—तो ले आइये।

श्री चरणसिंह—आ चुका है।

श्री राजनारायण—हमारे कहने के बाद ही तो आया।

श्री चरणसिंह—मैं आपकी काबलियत का बहुत लोहा मानता हूं। आप अपनी बाबत ऐसा खयाल न कीजिये।

श्री राजनारायण—अगर न कहते तो आता कैसे ?

श्री चरणसिंह—हां, हां मैं तो मान रहा हूं।

श्री भगवती सिंह और माननीय दुबे जी ने दूसरी बात यह कही कि कम्पेनसेशन बहुत थोड़ा है। अधिष्ठाता महोदय, जब विपक्ष की तरफ से यह शिकायत होती है कि मुआविजा बहुत थोड़ा है तो मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। जब यह कहा जाया करता था कि मुआविजे में कमी हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी सदन में पेश नहीं हुए हैं और जो विचाराधीन नहीं हैं, क्या उन पर अभी बहस हो सकती है ? मैंने पहले भी इस तरह का एतराज उठाया था और उस समय जो अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं आज इस वैधानिक प्रश्न को फिर उठाता हूं और आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय माल मंत्री ध्यान रखें।

श्री चरणसिंह—मैं तो समझा नहीं।

एक सदस्य—आप में समझ नहीं है।

श्री चरणसिंह—तो जब मुझ में समझ नहीं है तो बेसमझी से चलने की इजाजत दीजिये।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर । मैं यह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहा हूं कि या तो आप व्यवस्था दें कि माननीय पालीवाल जी ने जो प्रश्न रखा वह वैधानिक नहीं रह गया, क्योंकि उस पर आपने अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं की । मैं राय जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न वैलिड है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—मैंने यह कहा कि उनका आब्जेक्शन ठीक है और इसलिये मैंने माल मंत्री जी से कहा कि आप इस पर बहस न करें ।

श्री चरणसिंह—मैं समझा नहीं कि क्या प्वाइंट आफ आर्डर है, आप व्यवस्था दे चुके तो ठीक है । मैं जो कह रहा था, बिलकुल सही कह रहा था । इस ऐक्ट में जो लफ्ज हैं उनका मंशा यह निकलता है कि कुछ लोग अगर राजी हों तो न किया जाय, अगर सब राजी हों मतलब यह कि खिलाफ न हों तब पार्टीशन कर दिया जाय, लेकिन उस बात को साफ करने के लिये हमने एक अमेंडमेंट का इरादा जरूर किया यह बात मैंने कही थी ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुआविजा तो ठीक है, मुआविजा नहीं है, लेकिन अब मुआविजा जस्टिशियेबिल नहीं रहता है और कंसालिडेशन कमेटी खुद रजामंदी से चाहती है और वह जमीन गांव के परपजेज में आयेगी, गांव की जमीन नहीं होंगी । इसलिये ज्यादा मुआविजा नहीं होगा, क्योंकि वह पब्लिक इंटेरेस्ट में नहीं होगा ।

फिर एक बात कही गयी कि भूमिधर और सीरदार में फर्क नहीं होना चाहिये । तो यह तो मोटी सी बात है कि होना चाहिये, क्योंकि भूमिधर के अधिकार ज्यादा हैं और सीरदार के कम हैं । इसलिये अधिकारों में जब अन्तर है तो मुआविजे में अन्तर लाजमी है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि गरीब किसान को क्यों कष्ट दो, गवर्नमेन्ट को खुद अपने आप खर्चा देना चाहिये । बड़ी खुशी की बात है गवर्नमेन्ट खर्चा दे लेकिन गवर्नमेन्ट के क्या माने होंगे ? खर्चा कहां से आयेगा ? वह भी पेजेंटरी से ही आयेगा, क्योंकि पेजेंटरी ही मासेज हैं । हमारे यहां जो टैक्स आता है वह अधिकतर पेजेंटरी से ही आता है और अगर गवर्नमेन्ट देगी तो अन्ततोगत्वा किसान से ही आयेगा । तो जितना फायदा हुआ है उस पर रेटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन से अगर हिस्सा ले लें तो कोई बेजा बात नहीं है ।

अब अधिष्ठाता महोदय, दो-चार छोटे-मोटे एतराजात और नुक्ताचीनियों के बाद मुजफ्फरनगर के मुताल्लिक भी इस विधेयक पर मेरे विचार करने के प्रस्ताव के सिलसिले में बातें कही गयीं । मैं थोड़ा सा उस पर अर्ज करूंगा, क्योंकि कुछ लोग यहां आये हुए हैं और काफी दोस्तों में गलतफहमी उसके मुताल्लिक है । यह जो कहा गया है कि इर्रेगुलर चक बने हैं मुजफ्फरनगर में, बहुत लम्बे चक बन गये, यह बात ठीक है, लेकिन शुरू में कुछ चक इस तरह के बने, थोड़े गांव में बने, और कुछ किसानों के ऐसे बने, लेकिन जब डायरेक्टर की नोटिस में आया तो उन्होंने आर्डर जारी कर दिया कि इस किस्म के लम्बे चक न बनें और नीचे के सेटिलमेंट अफसर ने यह सफाई दी कि किसान यह खुद चाहते थे कि हमारा वह खेत और फलां खेत और शामिल हो जाय, तो हमने कोशिश की किसानों को खुश करने की ।

इन किसानों को खुश करने की कोशिश में इस तरह के लम्बे चक कुछ गांवों के अन्दर शुरू की स्टेज में बेशक बन गये । लेकिन हमने कहा कि किसान चाहे नाराज हों या खुश हों, लेकिन जहां तक हो सके कम्पैक्ट ब्लाक्स बनाये जायं । इस तरह से ऐवरेज चक कोई खास लम्बे नहीं हैं ।

एक बात यह कही गई कि ८५,००० बीघे जमीन वहां खाली पड़ी है । अधिष्ठाता महोदय, वहां १,७८,००० एकड़ जमीन कुल है और ३१५ किसानों ने रिट फाइल किया है । इनमें से कुछ की खारिज हो गई और कुछ की पेंडिंग है और दूसरे लोगों की बाबत कोई किसी तरह का डिस्पयूट नहीं है । जिन लोगों ने रिट फायल किया है, कब्जा उनका भी मौजूद है । यहां तक कि हमारे कमिश्नरों ने खुद देखा है कि जिन खेतों में बीज छोड़ा गया है, उनमें पिछली फसल की अभी तक जड़ें मौजूद हैं । मैं फर्ज किये लेता हूं कि इन ३००किसानों का कब्जा नहीं

हुआ था तो क्या उनकी ८५,००० एकड़ जमीन हो सकती है ? क्या २८० बीघे जमीन एक किसान के पास हो सकती है ? यह बात अतिशयोक्ति से भरी पड़ी है और इस पर तनिक भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि एक किसान के पास यहां करीब ३४ बीघे जमीन आती है। इससे यह मालूम होता है कि यह बात बिल्कुल गलत है। बाकी जो जी में आया कह दिया गया है। लेकिन जो जांच पड़ताल हुई, वह क्या कहती है ? १७७ गांवों में जनवरी, १९५७ तक कब्जों की अदला-बदली हुई और १,३०,००० एकड़ जमीन उनकी पुराने खेतों की थी। वहां १,३०,००० एकड़ जमीन में चकबंदी हुई और उसमें पुराने किसानों का रकबा ७३,००० एकड़ आया है यानी ५५ फीसदी जमीन उनकी पुरानी है। ५७,००० एकड़ जमीन कुल नई है। अब इसमें जहां ७३,७०० एकड़ जमीन का सवाल है उसमें कब्जे का सवाल नहीं है। कुल ५७,००० एकड़ जमीन में कब्जे की अदला बदली का सवाल होता है। नई का कब्जा किया या नहीं, इससे मालूम होता है, जिनमें कि आज फसल खड़ी है या रबी में जो बोई गई थी। वह १,००,००,५५,२६४ (एक अरब ५५ हजार २६४) एकड़ थी और वहां जो परती जमीन पड़ी है वह है १,८५२ एकड़ और बहुत तफसील के साथ पड़ताल के फिगर्स आये हैं। इससे जाहिर होता है कि बात बढ़ाकर कहने में लोग समझते हैं कि उनका आर्गूमेन्ट प्रबल होता है। फिर इसमें जो चीजें हैं वह सब गलत हैं और माननीय मित्रों की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वह सब सही हैं।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात यह भी कही गई कि पब्लिक परपजेज के लिये जमीन बिलकुल नहीं छोड़ी गयी है। यह बात श्री दीपंकर जी ने कही है। १,७८,००० एकड़ जमीन है, इसमें से १,७०० एकड़ जमीन पब्लिक परपजेज के लिये छोड़ी गई है तो ·९५ परसेंट, वही १ परसेंट का ऐवरेज। हर गांव के अलग अलग फिगर्स मिल जायेंगे। मैंने यह कहा था कि ऐवरेज जो सब जगह १ परसेंट छोड़ने का है—२ फीसदी सिर्फ मथुरा में है—उसी हिसाब से यहां जमीन छोड़ी गयी।

एक बात यह कही गयी कि किसानों के हजारों वर्ष से चक मौजूद थे, सब तोड़ डाले गये, बाग बिखेर दिये गये। बाग कैसे बिखर सकते हैं ? शायद उनके पेड़ बिखर गये। अधिष्ठाता महोदय, इसकी बाबत मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि बाज बात इतनी बड़ी कह दी जाती है कि फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है।

फिर यह तो हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि तीस-तीस हजार रुपये की जमानत ली गयी है जिनकी सौ रुपये की हैसियत नहीं है, उनसे। अधिष्ठाता महोदय, खबर यह फैलाई गयी कि बस, ऐक्ट रद्द हो गया, अपने-अपने खेतों पर कब्जा कर लो। डंडे और भाले लेकर लोग पहुंच गये जबर्दस्ती कब्जा करने। हमने कलेक्टर से कहा कि रोको, डिसआर्डर हो जायगा, अंधेर हो जायगा। तो उनसे जमानत ली गई। दो मुकदमों में दस-दस हजार की जमानत ली गयी उन लोगों ने अपील हाई कोर्ट में की कि मुकदमा हमारा दूसरी अदालत में भेज दिया जाय और जमानत की रकम कम कर दी जाय। हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तों को नामंजूर किया। जो जमानत को कम करने की दरख्वास्तें थीं वे भी नामंजूर की, दो मुकदमों में सात-सात हजार की जमानत ली गयी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जमानत की रकम कम करने की दरख्वास्त दी। डिस्ट्रिक्ट जज ने उनकी हैसियत देख कर उस रकम को कम करना मुनासिब नहीं समझा और आज एक भी आदमी जेलखाने में इस कारण नहीं है कि उसने जमानत नहीं दी। अधिष्ठाता महोदय, माननीय त्रिलोकी सिंह जी कोई बात कहें, माननीय गेंदा सिंह जी कोई बात कहें, मैं कोई बात कह दूं, लेकिन मैं तो अपने को नीचा स्थान देता हूं, मुझे शिकायत उनसे यह है.....

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं नाम दूंगा।

श्री चरणसिंह—उन्होंने अल्फाज कहे हैं कि सौ सौ रुपये की भी हैसियत नहीं थी जिनसे तीस तीस हजार रुपये की जमानत ली गयी।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने यह कहा है कि सौ-सौ दो-दो सौ रुपये की जमानत तो १०७ के मुकदमें में आमतौर से ली जाती है छोटी-छोटी हैसियत के लोगों से। मेरी स्पीच मंगा कर पढ़ लीजिये तब उसका हवाला दीजिये। इतना कष्ट किया करें।

श्री चरणसिंह—स्पीच तो अभी प्रिन्ट हुई नहीं है लिहाजा कष्ट करने का सवाल नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अगर माननीय त्रिलोकी सिंह जी यह कहते हैं कि सौ रुपये की हैसियत वाले किसानों से तीस हजार रुपये की जमानत ली जाती है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन मंशा उनके कहने का यही था कि बेजा लोगों से जमानतें ली गयीं। लेकिन हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला यही था कि बेजा नहीं है बल्कि उनकी हैसियत देखकर ही जमानतें उनसे मांगीं गयी।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय दीपंकर जी ने तो जिस तरह से नुक्ताचीनी की है मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। कल तक उनके जो विचार थे उनके मुताबिक तो इस गवर्नमेन्ट की कोई भी स्कीम कभी भी ठीक नहीं उतरेगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मार्च सन् १९५६ तक जो लोग हाई कोर्ट गये या उसके बाद जो लोग भेजे गये वह लोग कब्जा ले चुके। उनके दस्तखत मौजूद हैं। कम से कम जाब्ते में मौके पर वे कब्जा ले चुके थे। उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें एक हाईकोर्ट के वकील गये और उस मीटिंग में लोगों को मशविरा दिया गया कि जाकर अदालतों में केस फाइल कर दो। कम्युनिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी है जिसके कल तक श्री दीपंकर जी भी मेम्बर थे। उस पार्टी की तरफ से एक मीटिंग हुई थी जिसमें ए०के० गोपालन साहब भी तशरीफ लाये थे पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी गालिबन उनका नाम जगजीत सिंह था और मेरे मित्र की भी तकरीरें हुई। क्या तकरीरें हुई उसी वक्त की यह रिपोर्ट आयी है उसमें से आपकी इजाजत से बहुत थोड़ा सा सुनाऊंगा।

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। संसदीय परम्परा यहां पर यह कायम है कि जो सदस्य यहां नहीं हैं उनका नाम यहां न लिया जाय और उनके बारे में यहां चर्चा न की जाय। माननीय मंत्री जो रिपोर्ट मंगा कर पेश कर रहे हैं वह रिपोर्ट शायद गलत हो या सही और अगर इस तरह से वे अपने भाषण की बुनियाद बनायेंगे तो फिर हम लोगों को भी उसके लिये बहुत सा समय चाहिये।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, यह स्पीच दीपंकर साहब ने की। उसके कुछ शब्दों को मैं आपकी इजाजत से पढ़कर सुनाता हूं:—

"If there would have been unity among the Kisans then when the Director of Consolidation would have visited this District they would have slapped him."

"मतलब यह कि अगर किसानों तुममें मेल होता तो जब कंसालिडेशन का डाइरेक्टर आया था तो तुम उसको चपत लगा देते।" मैं और बातें नहीं कहता केवल इस बात को कहता हूं। बाहर से कम्युनिस्ट पार्टी का आल इंडिया लीडर पंजाब से आया हो, एक और दोस्त आये हों, और मेरठ के एक और दोस्त वहां पहुंचते हैं और किसानों में इस तरह से वहां एक हैजान पैदा करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो कि ट्यूबवेल का इम्प्लायी था वह उनकी लीडर-शिप अख्तियार करता है। एक वकील हाई कोर्ट के आकर तकरीरें करते हैं और वहां के किसानों की अच्छी हालत होने का नाजायज फायदा उठाकर उन किसानों को लुटवाया जाता है। मैंने अर्ज किया कि जितनी अच्छी स्कीम होती है किसान उसकी बाबत उतना ही उसके फायदे के बाबत शंकित रहता है। तो उसके नेचुरल मिसऐप्रिहेंशन का फायदा उठाकर उन किसानों को इस तरह से बरबाद किया गया। मैं यह उम्मीद करता हूं कि उस वक्त माननीय दीपंकरजी

सदन के मेम्बर नहीं थे लेकिन अब तो वे, और ४२९ की तरह से ही जिम्मेदार हैं और अब शायद किसानों को यह न भड़काया जाय कि अगर डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन आये तो उसकी गर्दन पकड़वा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज शायद आगे नहीं होगी।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान कितने असन्तुष्ट हैं। यह इससे जाहिर हो जायगा जो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर २०९ गांव कंसोलिडेशन के अन्दर थे जिनका कुल रकबा २,२१,००० एकड़ था। वहां पर कल्टीवेटेड एरिया १,७८,००० एकड़ है। उसकी खातों की तादाद ५०,००० है। उन तमाम खातों की तादाद तकसीम होने के बाद किसानों की संख्या २९,९१६ हुई। उनमें ९९,००० गलतियां निकलीं जिनको दुरुस्त किया गया। १७०० एकड़ जमीन पब्लिक परपज़ेज के लिये छोड़ी गयी। १७५ मील लम्बी सड़क, चकबंदी के लिये जो नई सड़क बनी उसको छोड़कर, जो दराड़े हैं उन पर इतनी सड़क बनायी गयी। २०९ गांवों में चक के नक्शे तैयार हुये जिन की २,०५५ अपील फाइल की गयीं। जिन गांवों में अपील का फैसला किया गया उनकी संख्या १९४ है। जहां पर कब्जा ट्रांसफर किया गया उनकी तादाद १८० है। ९ गांव ऐसे हैं जहां पर कोई एतराज नहीं हुआ। ३३ गांव ऐसे हैं जहां पर अपील दायर नहीं की गयी और एतराज का फैसला होने पर सन्तुष्ट हो गये।

इससे जाहिर होता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की और कितनी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इतना बड़ा यह एरिया था जहां पर ४२ गांवों में से एक किसान ने भी आपत्ति दायर नहीं की। २,०५५ अपील दायर की गयीं। वह सब खारिज कर दी गयी। ४१ फीसदी अपील मंजूर हुईं। निगरानी जो हुई उनमें से १९ फीसदी निगरानी मंजूर हुईं। इसका मतलब यह है कि ९७ फीसदी किसान अपनी अपील के बाद सन्तुष्ट हो गये। १९४ गांवों की अपील तो वहीं तय हुई है। उसके बाद १५ गांव की निगरानी पेंडिंग में है। कुछ पहले से पेंडिंग हैं। अब तक उससे ९७ फीसदी किसान सन्तुष्ट हो चुके हैं। केवल ३ फीसदी किसान ऐसे हैं जो असन्तुष्ट हैं। उनका असन्तुष्ट होना भी इस वजह से है कि वह चाहते हैं उनका खेत उस चक के बजाय किसी दूसरे चक में मिला दिया जाय। वह ऐसा कर देते तो वे भी सन्तुष्ट हो जाते। तो यह कहना कि चकबंदी से किसान बरबाद हो रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता।

अक्तूबर सन् १९५६ तक गांवों में ट्यूबवेल भी जो लगाये गये हैं उनकी संख्या ५३ है। ९ महीने के अन्दर १७ गांवों में ५३ ट्यूबवेल लगाये गये हैं जो उन्हीं लोगों ने लगाये हैं। हमारी इत्तिला यह है कि उनको अगर और सामान दिया जाता तो वह और भी उन्नति कर सकते थे। लेकिन फिर भी वहां पर लोगों ने ५३ बिजली के कुए बनाये। उसके बाद हमारे कमिश्नर ने वहां पर जाकर इन्सपेक्शन किया। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा तफसील तो नहीं दे सकता लेकिन पालीवाल जी ने जो कहा कि आंकड़े से सब कुछ साबित किया जा सकता है अगर यह बात मान ली जाय तो फिर किसी बात को साबित करने के लिये क्या बेसिस हो? इस बात को वही कह सकते हैं कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी साबित किया जा सकता है और उससे कोशिश की जा सकती है कि किसी सीधे आदमी को बहकाया जाय। लेकिन मैं किसी के बहकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

मैंने बहुत समय लिया, केवल २ मिनट और लूंगा। इस स्कीम में दोष हैं और राजकर्मचारियों में दोष हैं लेकिन फिर भी यह स्कीम किसान के लिये वाइटल और हितकर है। हमें इसे कामयाब बनाना है। यह स्कीम अनपापुलर भी नहीं है। जिन गांवों को पार्टी-बन्दी के कारण या खादर में या नदी नाले के नजदीक होने के कारण हमारे अफसरान ने छोड़ दिया था, नोटीफाई करके भी, वहां के किसान, बस्ती, फतेहपुर से आकर और जहां पहले कोआप-आपरेटिव ऐक्ट के अनुसार चकबंदी हो चुकी थी, मेरठ और बिजनौर में, सब कहते हैं कि हमारे गांव चकबंदी में ले लिये जावें। वे हमारे पास डेपुटेशन लेकर आये। अभी मेरे पास झांसी

[श्री चरणसिंह]

जिला कांग्रेस कमेटी का कल ही प्रस्ताव आया कि उनकी फलां तहसील में जरूर चकबंदी होनी चाहिये। अभी इन्डिपेंडेंट प्रोग्रेसिव पार्टी के भी एक मित्र ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझ से इस बीच में कहा कि उनके गांव में चकबंदी हो।

दो तीन सुझाव भी दिये गये। एक तो यह कि जिला और स्टेट लेबिल पर एडवाइजरी समितियां हों। मैंने जैसा २६ तारीख को भी अपने माननीय मित्रों से कहा था हम इन लाइन्स पर विचार कर रहे हैं। चकबंदी होने वाले क्षेत्रों से नुमाइन्दे लेकर हम स्टेट लेबिल पर कमेटी बनाना चाहते हैं। स्वीकृत सुझावों के मुताबिक इस स्कीम को तरमीम किया जायगा। जिला समिति भी कलेक्टर सब सैटिलमेन्ट आफिसर की इमदाद के लिये वक्तन फवक्तन बैठती रहेगी। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि सब मित्र जो उनमें होंगे अपने सुझाव और सहयोग देंगे।

एक बात मैं अपने विरोधी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं। यह स्कीम कठिन है लेकिन ज्यादा नुक्ताचीनी करने से और कठिन हो सकती है। यदि हम इसे पार्टी रिगिल्स और डिफरेन्सेज से ऊपर रखें तो सूबे के लिये बड़ा हितकर होगा। आसाम और राजस्थान को छोड़कर हमारा सूबा सबसे अधिक किसानों का प्रतिशत रखता है और यह देश ही गरीब है। हमारे देश के कई सूबे हमसे आगे निकल रहे हैं, हमारे यहां ५,६ साल से तो प्राकृतिक आपदायें आती रही हैं। इसलिये जरूरी है कि हमारे यहां खेती की पैदावार फी एकड़ बढ़े, चाहे कोई भी गवर्नमेन्ट हो। थोड़ा बहुत मतभेद होते हुये भी, कहीं कुछ मतभेद हो एक्सपर्ट्स में, लेकिन प्रायः सब इससे मुत्तफिक हैं कि चकबंदी से पैदावार बढ़ रही है। इसलिये मैं माननीय मित्रों से सहयोग की याचना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुझे सहयोग मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—सदन के सामने दो संशोधन मौजूद हैं। एक संशोधन श्री भगवती सिंह जी का है और दूसरा श्री चन्द्रजीत यादव का है। जहां तक भगवती सिंह जी के संशोधन का ताल्लुक है उसको मैं दो हिस्सों में विभाजित करता हूं। पहला हिस्सा इस प्रकार है—

"सदन यह प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७ विचारार्थ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो १५ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।"

प्रस्ताव का दूसरा पोर्शन इस प्रकार है —

"प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार परिधि को भी बढ़ा सके।"

श्री चन्द्रजीत यादव का जो प्रस्ताव है वह कहता है कि इस लेटर पोर्शन को निकाल दिया जाय। अगर दोनों संशोधनों को अलग-अलग लिया जाय तो दो बार राय लेने की जरूरत होगी। लेकिन अगर श्री भगवती सिंह के संशोधन के दोनों भागों को अलग-अलग लिया जाता है और अगर पहला पोर्शन गिर जाता है तो दूसरा अपने आप गिर जायगा और दूसरे पर राय लेने की आवश्यकता न होगी। इस प्रकार दोनों प्रस्तावों का मंशा आ जायगा।

प्रश्न यह है कि सदन यह प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक १९५७, विचारार्थ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो १५ दिन के अन्दर रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९४,
विपक्ष में—१८९)

श्री अधिष्ठाता---अब ऐसी सूरत है कि जो दूसरा भाग श्री भगवती सिंह जी के संशोधन का है, उसको उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री त्रिलोकीसिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अधिष्ठाता की व्यवस्था

श्री अधिष्ठाता---ब्रीच आफ प्रिविलेज का जो प्रश्न उठाया गया था, उसके मुताल्लिक श्री त्रिलोकीसिंह ने यह सवाल उठाया था कि यह सवाल तय किया जाय और मैं बहैसियत अधिष्ठाता के इस बात का निर्णय दूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं हुआ और इस बात पर भी निर्णय दूं कि तुरन्त उस पर कोई सवाल नहीं उठा, उसका उस पर क्या असर हुआ । जहां तक दोनों सवालों का ताल्लुक है, मैं उस पर कोई रूलिंग देना मुनासिब नहीं समझता हूं । इसकी वजह यह है कि यह मामला सदन ने खुद अपनी आंखों से देखा है जो ३० तारीख को हुआ था । दूसरी तरफ के मेम्बरों ने यह कहा था कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ और अपनी तकरीरों में मान और मर्यादा की बहुत सी बातें कहीं । माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने अपनी तकरीर करते हुये कहा कि जो बातें हुई हैं उनको भूल जाना चाहिये और इस के लिये उन्होंने यह शब्द कहे कि "गड़े हुये मुर्दों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है" । ऐसी सूरत में मुझे यह महसूस होता है और मैं यह ठीक समझता हूं कि जब सदन ने एक बार फैसला कर लिया है, तो सदन के फैसले के बाद मेरे लिये यह मुनासिब नहीं है और मुझे यह अख्तियार भी नहीं है, कि अब मैं इस बात पर अपने विचार प्रकट करूं । इसलिये मैं उस पर अपनी कोई राय देना मुनासिब नहीं समझता हूं यही इसके मुतालिक मेरी रूलिंग है । इसलिये जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का ताल्लुक है, यह खत्म होता है और माननीय जगदीश प्रसाद ने जो इसका नोटिस दिया था उसको उन्होंने वापस भी ले लिया है ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७ के खंडों में किये गये संशोधनों पर विचार करके उसे पारित करने के लिये दो घंटे का समय आज सदन का बढ़ा दिया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता जी, यह प्रस्ताव मैं दो कारणों से कर रहा हूं । पहला तो इसलिये कि उस दिन मैंने यह बचन दिया था कि यदि इसको पारित करने के लिये समय बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोग इसको स्वीकार कर लेंगे । दूसरा इसलिये कि जहां तक मुझे मालूम है, सदन के सभी दल इस बात पर सहमत हैं, इसलिये मैं इसको पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से यह स्वीकार होगा ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय पालीवाल जी ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, जैसा कि उन्होंने ३० अप्रैल, को कहा था और आज जिस तरह से सदन में भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, उसके कुछ अनुरूप ही है । मेरे लिये भी पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करना इस समय उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, मगर एक निवेदन के साथ क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने अपने किये हुये वादे को तोड़ा है । आपको याद होगा, माननीय

[श्री राजनारायण]

माल मंत्री जी से पूछा गया था कि वे कितना समय लेंगे तो उन्होंने इस तरह से कहा था कि इस सदन में श्री राजनारायण जी ने जितना समय लिया है मैं उससे दो एक मिनट कम ही लूंगा। मैंने हूबहू उनकी नकल उतार दी है। अब जरा देखा जाय, श्रीमन् कि माननीय मालमंत्री जी ने यह वादा किया था और इस समय उन्होंने साढ़े चार बजे तक का समय लिया। सवा दो बजे शुरू किया और साढ़े चार बजे तक बोलते रहे, और पौन घंटा के करीब पहले बोले थे। सम्भव है कि इस तरह के और भी अमेंडमेंट आवें और कुछ संशोधन आये भी हैं और उसी तरह से ट्रेजरी बेंच के लोग खड़े हो होकर बोलने लगें। तो हो सकता है कि माननीय पालीवाल जी ने जो दो घंटे के लिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है उसमें पूरा न हो पावे। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी पक्ष की ओर से एक आश्वासन होना चाहिये क्योंकि यह नियम और परम्परा भी है कि विरोधी पक्ष को अधिक से अधिक समय मिलना चाहिये। माननीय मंत्री जी को जितनी भी व्यवस्था देनी थी और जो कुछ भी सरकार की ओर से सफाई देनी थी वह तो दे दी और जो कुछ गुण दोष का विवेचन करना था वह भी कर दिया। इसलिये उनकी ओर से विरोधी पक्ष के लिये यह आश्वासन आना चाहिये कि अधिक से अधिक समय विरोधी पक्ष को दिया जायगा। अपनी इस भावना के साथ मैं माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने यह कहा कि पौन घंटा समय मैंने पहले लिया था। उनका यह कहना उतना ही सही है जितना यह कहना कि इस समय मैं साढ़े चार बजे तक बोला हूं।

श्री राजनारायण--क्या आपने देखा नहीं कि साढ़े चार बज चुके हैं?

श्री चरणसिंह--अब जाकर ४ बज कर ३५ मिनट हुये हैं, जब कि मैं अपना भाषण ४ बज कर २० मिनट पर ही खतम कर चुका था। १२ बजकर ५२ मिनट तक श्री गेंदा सिंह बोले, और जिसका मतलब यह था कि २३ मिनट से ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता था, तो उन्होंने २३ मिनट का पौन घंटा किया और २ घंटे का २ १/२ घंटा किया। इस तरह से, जैसा कि उन्होंने कहा, ज्यादा वक्त नहीं लिया। जहां तक कि सरकारी बेंचेज से आश्वासन का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि मैं सभी दोस्तों के विचारों को व्यक्त कर रहा हूं जब मैं यह कहता हूं कि इधर से वक्त लेने का सवाल नहीं है, इधर से बस मैं ही जवाब देता रहूंगा। शायद ही कोई सज्जन बोलें अलावा उनके जिन के संशोधन हैं। संशोधन भी बहुत कम हैं इधर से भी और उधर से भी और मैं समझता हूं कि ६ बजे तक ही उन पर फुल डिबेट हो सकती है। काफी डिबेट फर्स्ट रीडिंग में हो चुकी है और अब ख्याल यह है कि विरोधी पक्ष वाले भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, वैसे ६ बजे तक हो जायेंगे लेकिन अगर ७ बजे तक भी न हुये और संशोधन ज्यादा रह गये तो उस वक्त गिलोटीन लगा दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--तो ७ बजे तक का समय कुल रहा ?

श्री चरणसिंह--जी हां, ७ बजे गिलोटीन कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--वह तो होगा।

प्रश्न यह है कि सदन का समय २ घंटे और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अधिष्ठाता महोदय, मैं नियमावली के नियम १७३ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम के भाग ६ के अनुसार मैं एक प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जरा सदन में शांति कायम रहे और इस प्रस्ताव को माननीय सदस्य जरा हृदयंगम करें क्योंकि यह प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा प्रस्ताव यह है कि

इस समय फिलहाल सदन की कार्यवाही आध घंटे के लिये स्थगित कर दी जाय क्योंकि यहां एक सर्वोपरि, जो मानवता है। उसका प्रश्न है, मुजफ्फरनगर से करीब ६०–७० आदमी माल मंत्री जी के दरवाजे पर सुबह से अन्न जल छोड़ कर बैठे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस समय आध घंटे के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता––आप के प्रस्ताव से पहले अभी सदन नें यह निश्चित कर लिया कि समय २ घंटे बढ़े, तो अब आप का यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राजनारायण––मैं उसको चैलेंज नहीं करता, हम आध घंटे के बाद फिर आकर यहां बिल को पास करेंगे। माल मंत्री जी के यहां सुबह से ५०–६०–१०० आदमी चिलचिलाती धूप में जेठ की दोपहरी में अन्न जल छोड़कर बैठे हैं। इस संबंध में सरकार को या मंत्री जी को कुछ भी कहना हो, लेकिन मानवता का सिद्धांत सर्वोपरि है और हम लोग यहां सदन में जिम्मेदार लोग आये हुए हैं। मुजफ्फरनगर के भी लोग होंगे, मेरठ के भी लोग होंगे और यहां पर जो बातें होंगी उन पर चर्चा बाद को होगी। तो क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं होता, जब ऐसी बात है और तीन सौ, ढाई सौ मील से चल कर लोग आये हैं कि यहां कोई हल निकलेगा, कि आप जाकर उनसे मिलें? और मैं उनकी बात बता रहा हूं। उन्होंने हमसे यह कहा। मैंने उनसे कहा कि आप तोड़ दें भूख हड़ताल, अन्न ग्रहण करें।

श्री अधिष्ठाता––अब आप खामोश रहिये। आपकी बात सुन ली और समझ ली।

श्री राजनारायण––मैं एक मिनट चाहता हूं और एक मिनट मैं इसलिये चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वे मिनिस्टर साहब के यहां गये, डाइरेक्टर साहब के यहां गये, मुख्य मंत्री जी से मिले। जब सब जगह से उनकी केवल यह मांग नहीं पूरी हो रही कि इन्क्वायरी करायी जाय तब वे इस पर बाध्य हो गये हैं। आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि इसका कोई तो समाधान किया जाय। सदन न स्थगित किया जाय। हम लोग खुद ही चले जायं। लेकिन अगर कुछ करना और कहना चाहती है सरकार तो इस प्रस्ताव को मान कर आध घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय और दो घंटे का जो समय लिया गया है, हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। उनको चल कर अन्नजल ग्रहण कराया जाय।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता––मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपने फर्माया है इससे मैं सहमत नहीं हूं। जब हाउस का रिजोल्यूशन यह हो गया कि दो घंटे के लिये समय बढ़ा दिया जाय तो ऐडजर्नमेंट के मानी यह होंगे कि फिर दो घंटे बैठेंगे। तो इसके मानी हो गये कि ढाई घंटे का समय हो गया। इसलिये मैं उससे सहमत नहीं हूं और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४, की धारा ३ का संशोधन।

२––उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है), धारा ३ की उपधारा (२–क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:––

"(२–क) चकबन्दी समिति" का तात्पर्य निम्नलिखित की समिति से है––

(क) धारा ४३ की उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यगण; तथा

(ख) या तो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यगण जिनकी योग्यतायें वह हों

जो नियत की जायं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या पांच से अधिक न हों, अथवा धारा ४३ की उपधारा (१) के अनुसार निर्वाचित सदस्यगण,

अथवा धारा ४३ की उपधारा (१-क) के अधीन नामांकित सदस्यगण।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:—

"खंड २ में प्रस्तावित उपधारा (२-क) के भाग (क) को निकाल दिया जाय"।

अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी कहा। असल में यह संशोधन इस बात से संबंध रखता है कि चकबन्दी समितियों में नामजद सदस्य रखे जायं या न रखे जायं।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, जब एक ग्राम पंचायत होती थी उसमें भूमिप्रबन्धक समितियां कई होतीं थीं क्योंकि कई गांवों की एक गांव पंचायत हुआ करती थी। लेकिन इस पंचायत एलेक्शन से पहले सरकार ने यह व्यवस्था कर दी कि अब भूमि प्रबन्धक समितियां और गांव पंचायतें एक सी होने लगीं और ऐसी हालत में पंचायत में कम से कम १५ और १७ मेम्बर हैं। मैं यह चाहता हूं कि मूल अधिनियम की धारा ४७(ए) के अनुसार गांव पंचायत को अधिकार है कि वही केवल चकबन्दी समिति के सदस्यों का चुनाव कर दे। उसके अलावा यह अधिकार सरकार ले रही है कि चकबन्दी समिति का चुनाव गांव पंचायत के जरिये से होगा ही उसके अलावा जिला चकबन्दी अधिकारी अगर चाहे तो कुछ लोगों को नामजद भी कर सकता है। उन नामजद लोगों को वही अधिकार होगा जो कि गांव पंचायतों द्वारा चुने हुये सदस्यों का होगा। तो इस छोटे से संशोधन से मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिकार को सरकार न ले। अगर चकबन्दी समिति का चुनाव करना है तो चुनी हुई जनता की चुनी हुई एजेंसी से कराया जाय। इसमें आपत्ति इसलिये है कि अभी माननीय सदन के काफी सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज किया कि काफी अधिकार चकबन्दी अधिकारी को दे दिये गये हैं। अगर उसकी रोकथाम के लिये कोई चीज नहीं है तो चकबन्दी समिति और उसके एलेक्शन का भी कुछ अधिकार उनको दे देना चाहें कि कुछ तो गांव पंचायत द्वारा चुने जायं और उसके अलावा जो वह चाहें, खुद अपनी तरफ से नामजद कर दें तो हो सकता है कि चकबन्दी अधिकारी के जहां चकबन्दी समिति असर में न आती हो वहां इस धारा का दुरुपयोग किया जा सकता है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है जहां पर चकबन्दी समिति के मेम्बरों की नामजदगी का सवाल हो। उनके अधिकारी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो जब बहुत कम प्रयोग होती ही है और माननीय मंत्री जी हर स्टेज पर चकबन्दी समिति की सलाह से काम करते हैं तो क्यों सरकार चाहती है कि चकबन्दी समिति में कुछ मेम्बरों को नामजद करके चकबन्दी अधिकारी अपने माफिक बना ले?

इसलिये मुनासिब यह है कि चकबन्दी अधिकारियों को अधिकार न दिया जाय और सिर्फ गांव पंचायतों की तरफ से ही उनके चुनाव का अधिकार रखा जाय। उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, नामजदगी की क्यों जरूरत पड़ सकती है उसके मुताल्लिक मैंने अभी अपने कथन में अर्ज कर दिया था। अगर किसी वजह से किसी वर्ग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष का प्रतिनिधित्व न हो या कोई थोक या मुहल्ला कंसोलिडेशन कमेटी में अपनी नामजदगी न पाये, रह जाय तो कलेक्टर को या एस० ओ० सी० को यह अख्तियार होना चाहिये कि चकबन्दी के बेटर वर्किंग के हित में अगर वह जरूरी समझते हैं तो १ से लेकर ४ तक मेम्बरान अपनी तरफ से उस कमेटी में नामजद कर दें। ५ से ११ मेंम्बर उसमें चुने जायेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इस पर क्या एतराज हो सकता है।

एक बात और है इस पर हम अमल कर रहे हैं और सेक्शन ४३ में दिया हुआ है यह। कोई नयी चीज हम नहीं करने जा रहे हैं। सेक्शन ४३ में से हमने निकाल दिया और कंसोलिडेशन कमेटी की जो डेफ़ीनीशन थी उसको अच्छी बनाने के लिये उसको ४३ के बजाय यहां रखा गया है। तो कोई नयी चीज नहीं हो रही है। उस पर आलरेडी अमल हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें आपत्ति क्या है। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मंत्री जी ने यह कहा था कि इसका प्रयोग भी नहीं हो रहा है और सदन के माननीय सदस्यों की भी यह आपत्ति रही कि चकबन्दी अधिकारियों को अधिकार नहीं देना चाहिये। इसलिये जब उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है तो मेरे संशोधन के स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। फिर अधिकारी भी इस झंझट से बचे रहेंगे। गांव पंचायतों की तरफ से ही चुनाव हो जाय।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन तो वह करेगी ही करेगी। ११ भी चुन सकती है। ५ तो इसलिये हैं कि ५ से कम तो किसी गांव पंचायत में होते ही नहीं, तो ५ तो हमने मिनिमम रखा है। चकबन्दी कमेटी का निर्माण ही चुनाव के जरिये होगा। लेकिन अगर कहीं आवश्यकता हो तब उसके लिये यह रखा है। अगर एस० ओ० सी० और कलेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं जरूरी समझते हैं और वह ऐसा कर दें तो इसमें माननीय सदन के अधिकारों की कोई अवहेलना नहीं होती। हम इतना अविश्वास करके अपने अफसरों पर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आखिर वह लोग भी जिम्मेदार होते हैं। अगर कहीं किसी कमेटी में अनबैलेंस हो गया है तो उसको करेक्ट करने के लिये अगर जरूरी समझें तो ऐसा कर दें। मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें क्या दिक्कत है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित उपधारा (२-क) के भाग (क) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--धारा ३ की उपधारा (८), धारा १२ की उपधारा (२), तथा धारा १४ की उपधारा (२) और (३) में शब्द "भूमि-प्रबन्धक समिति" के स्थान पर शब्द "चकबन्दी समिति" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३, १२ तथा १४ का संशोधन।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १०—क का संशोधन ।

४—मूल अधिनियम की धारा १०—क की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३) और (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"(३) एक ही चकबन्दी योजना के अधीन विभिन्न संयुक्त खातों में खातेदार अथवा खातेदारों के किसी समूह के अंशों को चकबद्ध करने के विचार से, चकबन्दी अधिकारी किसी भी समय स्वतः उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नियत रीति से सूचना देने के पश्चात् उन खातेदारों के अंशों को विभाजित कर सकता है ।

(४) उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि इस संबंध में निर्णय, किसी उस आज्ञा के जो धारा १२ के अधीन पारित की जाय, अधीन रहते हुये, अंतिम होगा ।"

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १०—क की उपधारा (३) की पंक्ति ६ के अन्त में विराम के पूर्व अर्द्धविराम का चिन्ह रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"यदि उन्हें ऐसा किये जाने में आपत्ति न हो ।"

श्रीमान् जी, गांव में जहां चकबन्दी योजना चल रही है वहां अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बहुत से संयुक्त खाते होते हैं जिनके खातेदार या खातेदारों के समूह अपने निजी आलस्य के कारण या किसी कठिनाई के कारण अपने हिस्से को चकबद्ध कराने की दृष्टि से अपने हिस्से को विभाजित कराने के लिये प्रार्थनापत्र देने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग भी चकबन्दी की योजना से लाभ उठा सकें इसलिये यह व्यवस्था करना ठीक ही है कि ऐसी हालत में भी उनके हिस्से का विभाजन हो सके। इसलिये १०(३) के संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि चकबन्दी अधिकारी को यह अधिकार रहे कि वह स्वतः ऐसी दशा में जब कि संयुक्त खातों के खातेदार प्रार्थनापत्र देकर अपने हिस्से को विभाजित कराने को तैयार नहीं हैं तो वह स्वयं उनको पूर्व सूचना देने के पश्चात् उनके खातों का बटवारा कर दे जिससे कि उनको चकबन्दी का लाभ हो सके। इस संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस अधिकार का कहीं दुरुपयोग न हो जाय, कहीं ऐसी सम्भावना न हो जाय कि इस अधिकार के कारण संयुक्त खातों के खातेदार इससे कोई हानि उठा जायं, इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि इस अधिकार पर कोई मर्यादा बांध दी जाय और मर्यादा बांधने की दृष्टि से ही यह संशोधन मैंने उपस्थित किया है कि चकबन्दी अधिकारी तभी उनके खाते को विभाजित कर सकेगा जब कि ऐसा किये जाने में उन्हें आपत्ति न हो। क्योंकि ऐसा संभव है कि गांव में ऐसे खाते हों जिनके खातेदार संयुक्त रूप से खेती करते हों और आगे भी उसी तरह से खेती करना चाहते हों, ऐसी दशा में अगर उनके खाते बगैर यह देखे कि उनको कोई आपत्ति है या नहीं बांट दियेजाते हैं तो यह संभावना है कि संयुक्त रूप से उनके खेती करने में कोई कठिनाई पैदा हो जाय और उन्हें हानि पहुंचे। मिसाल के तौर पर, अगर कहीं संयुक्त खाते में एक जगह २० बीघा आराजी मौजूद है तो जब तक वह खाता संयुक्त है तब तक चकबन्दी योजना के अन्तर्गत उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर उसका बटवारा कर दिया जाय और हर खातेदार को दस बीघे से कम आराजी मिल जाय तो चकबन्दी करते वक्त वह डिस्टर्ब हो सकता है और अगर डिस्टर्ब हो गया तो संयुक्त रूप से खाता रहने के कारण उनके खेत जो संयुक्त

थे वह बिखर जायेंगे। इससे उनको हानि पहुंच सकती है। इसलिए उनको हानि न पहुंचे इस दृष्टि से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि चकबन्दी अधिकारी को इस तरह से विभाजन करने का अधिकार तभी हो सकेगा जब कि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को उसमें आपत्ति न हो। मैं समझता हूं कि ऐसा संशोधन हो जाने से यह संभावना दूर हो जायगी।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। कारण यह है कि माननीय जयराम जी वर्मा का संशोधन अगर स्वीकार कर लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि जब तक सभी राजी नहीं होंगे तब तक तकसीम नहीं हो सकती। मान लें सात खातेदार हैं और एक या दो खातेदार अपनी तकसीम चाहते हैं; तो नहीं हो सकती। इससे तो मतलब यह हुआ कि अपनी मरजी के खिलाफ हम जबरदस्ती किसी खातेदार को शरीक रखना चाहते हैं जब कि जनरल ला यह है कि जितने भी कोपार्टनर्स या कोशेयर्स किसी प्रापरटी में हों उनमें से एक भी अगर चाहता है तो तकसीम करा सकता है। कंसिडरेशन के मोशन पर जब मैंने अर्ज किया था तो उस समय गुजारिश जो की थी उसमें मेरा मतलब यह था कि अगर सारे लोग यह कहें कि हम नहीं चाहते तकसीम तो ठीक है। इस तरह का एक संशोधन लाने की बात पर हम विचार कर रहे थे। लेकिन मालूम होता है भेजा नहीं गया जिस पर कि प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया था। खैर, उसके भेजे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपने आफिसर्स को एक्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि सब को आपत्ति हो तो मत तकसीम करो लेकिन एक या दो भी चाहते हैं तो तकसीम कर दो। माननीय वर्मा जी का संशोधन उसके विपरीत पड़ता है। इससे कठिनाई होगी। उनको जो आशंका है कि सवा ६ एकड़ वाले भी तकसीम हो जायेंगे; तो सवा ६ एकड़ वाले आज भी तकसीम हो सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। सवा ६ एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है वह कंसोलिडेशन से बाहर रक्खी जायगी लेकिन अगर स्कीम के इंट्रेस्ट में डिस्टर्ब करना जरूरी है तो हो सकता है। मैं माननीय मित्र का मतलब पूरे तौर से समझ नहीं पाया हूं लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं उससे मैं सहमत नहीं हूं और इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे।

*श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं वर्मा जी की बात को समझ पाया, लेकिन राजस्व मंत्री जी की बात मैं समझ नहीं पाया हूं। हमको जहां तक याद है इस बात पर आग्रह करने के बावजूद भी कि ३ १/८ एकड़ से कम के खातों को तकसीम करने का अख्तियार काश्तकारों को दिया जाय इसको सरकार ने उस मौके पर नहीं माना।

श्री चरणसिंह—इसमें पहले से ही मान लिया है। इस संशोधन विधेयक के जरिये ही नहीं, पहले भी ऐसा हो सकता था; जहां जहां कंसोलिडेशन हो गया है वहां कोई तकसीम कराना चाहे तो हो सकता था। ३ १/८ एकड़ जमीन के तकसीम न होने की कैद नान-कंसोलिडेटेड एरियाज के लिये थी, कंसोलिटेटेड एरियाज के लिये वह कैद हटा दी गई है।

श्री गेंदासिंह—असली बात यह है कि इस तरह वे अख्तियार को देने की जरूरत क्या पड़ी है। वर्मा जी का कहना यह है कि यह भी ऐसा अख्तियार हम राज्य कर्मचारियों को दे रहे हैं जिससे यह डर लगता है कि वे इसमें ज्यादती न कर जायं। तो राजस्व मंत्री जी यह नहीं समझ पाते हैं। आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी यह समझने की बात है। वर्मा जी के समझाने के बाद राजस्व मंत्री जी की बात समझ में नहीं आई।

श्री चरणसिंह—मैं नहीं समझ सका कि काहे की आवश्यकता पड़ी।

श्री गेंदासिंह—इस तरह का अख्तियार इस कानून में देना कि किसी भी खाते को बांट देने का अख्तियार उसको अपने आप हो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वे चाहते तो उनके खाते का बटवारा हो जाता लेकिन अपने आप वह बांट देगा इसकी क्या आवश्यकता पड़ी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामलखनमिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्यों के समक्ष इस संशोधन का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अब तक चकबन्दी विधान में धारा ९ के अन्तर्गत केवल १५ दिन के भीतर ही कोई खातेदार अपने खाते के बंटवारे का प्रार्थना-पत्र दे सकता था। लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा वह काल बंधन जो है तोड़ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि वह अपने खाते का बंटवारा करना चाहे तो बंटवारा हो सकता है। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बंटवारा नहीं चाहेगा तो खाता अपने आप बांटा जायगा।

श्री जयराम वर्मा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वापस लेने से तो इनकार नहीं करता, वापस ले ही लूंगा---लेकिन मैं माननीय मंत्री से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रार्थना-पत्र देकर अपना हिस्सा बटवारा करने की बात है उसकी १०-क में व्यवस्था है। अगर कोई एक हिस्सेदार बंटवारा कराना चाहता है तो प्रार्थना-पत्र देकर बंटवारा करा सकता है। लेकिन अगर किसी की मरजी है कि हमारा हिस्सा बंट जाय तो प्रार्थना-पत्र खुद देगा, इस बात का इन्तजार क्यों करेगा कि स्वतः चकबन्दी अफसर करे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, दिक्कत यह पड़ती है कि बहुत से किसान वक्त के अन्दर अपनी ऐप्लीकेशन बंटवारे की नहीं देते हैं। मैंने सुबह गुजारिश की थी कि वक्त निकल जाता है और बाद में कहते हैं कि हमारे इतने चक हो गये। जितने उनके खाते हैं वह कागजात में तो शरीक होते हैं, लेकिन मौके पर अलहदा होते हैं तो फिर शिकायत होती है कि ५ चक बन गये और ६ बन गये। वह अगर वाकिफकार होता, किसान पढ़ा लिखा होता, समझदार होता, कानून को समझता तो उसी वक्त तकसीम की दरख्वास्त देता। लेकिन जब चक बन जाते हैं तो शिकायत होती है कि इतने चक बन गये इसलिये उस कांटिन्जेंसी को प्रोवाइड करने के लिये जिससे शिकायत न रहे, कंसालिडेशन अफसर अजखुद किसी भी वक्त तकसीम कर सकता है। यह हम उनके लिये आर्डर्स जारी कर देंगे कि अगर एक मत के हों कि तकसीम नहीं चाहते तो तकसीम न हो, लेकिन अगर एक भी चाहता हो तो तकसीम तो होनी ही चाहिये। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वर्मा जी को क्या एतराज है। यह तो सिविल ला में मौजूद है कि अगर कोई तकसीम करना चाहता है तो तकसीम होनी चाहिये लेकिन अगर सारे अपोज्ड हैं कि तकसीम नहीं होनी चाहिये तो नहीं होगी। तो "सुओ मोटो" (*suo moto*) रखने से चकबन्दी में आसानी होगी क्योंकि तीन बड़ी-बड़ी शिकायतें थीं। एक तो यह कि स्टेटमेंट आफ प्रिंसिपिल्स में "ऐज फार ऐज पासिबिल" है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, वह तो रहेगा। दूसरे यह कि तकसीम का वक्त निकल गया तो बाद में शिकायत होती है, इसके अलावा एक आध और है। यह एक बड़ी कठिनाई थी, जिसको दूर किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय जयराम वर्मा, क्या इस संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरा संशोधन जो है वह भी उसी खंड के संबंध में है, जैसा कि वर्मा जी का संशोधन था। मेरे और उनके संशोधन का मंतव्य वही है कि कहीं चकबन्दी अधिकारियों को कोई ऐसा अस्त्र न मिल जाय कि वह उसका मनमाना प्रयोग करने लग जायं।

श्री अधिष्ठाता---अभी आपने संशोधन पेश नहीं किया, कृपया उसे उपस्थित कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं उसे उपस्थित कर रहा हूं—

"खंड ४ में प्रस्तावित धारा १०—क की उपधारा (३) को निकाल दिया जाय।"

मेरा पहला संशोधन यह है और दूसरा संशोधन भी 'अधिष्ठाता महोदय' यदि आप आज्ञा दें तो उपस्थित कर दूं, क्योंकि वह भी उसी से संबंधित है।

श्री अधिष्ठाता—पहले आप इसी को खत्म कर दें।

श्री चन्द्रजीत यादव—इस संशोधन विधेयक का यह मंतव्य है कि चकबन्दी अधिकारी अगर ऐसे हिस्सेदार राजी न हों तब भी वह बंटवारा कर दे, अगर इस प्रकार का अधिकार उसको मिल जायगा तो संभावना इस बात की होती है कि वह उसका दुरुपयोग करने लग जायगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने यह संकेत किया है कि वह इस प्रकार का एक संशोधन स्वयं उपस्थित करना चाहते थे कि अगर उसमें से जब तक सब राजी न हों तो वह ऐसा न करे, अगर वह संशोधन आ गया होता तो जो मंतव्य मेरे संशोधन का था वह पूरा हो जाता और मुझे संशोधन उपस्थित करने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन चूंकि माल मंत्री जी का यह संशोधन सदन के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिये मैं यह उपस्थित कर रहा हूं। यह संशोधन नितान्त आवश्यक है। इसके पहले जो मूल धारा थी उसमें यह व्यवस्था थी कि उन हिस्सेदारों में से अगर कोई हिस्सेदार प्रार्थनापत्र दे कि वह अपने खाते का बटवारा कराना चाहता है तो उसी हालत में चकबन्दी अधिकारी को अधिकार प्राप्त था लेकिन इसमें उसे स्वयं अधिकार प्राप्त हो गया है। मैं अपने संशोधन को सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं।

श्री चरणसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसके विषय में दो बातें कही हैं। एक तो यह कि यदि इस तरह का अधिकार चकबन्दी अधिकारी को दे दिया जायगा तो उसके दुरुपयोग होने की आशंका है। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आशंका नहीं है। इससे भी बड़े बड़े अधिकार ऐक्ट में मिले हुये हैं उनका भी दुरुपयोग हो सकता है, यह तो सारे ऐक्ट के लिये कहा जा सकता है।

दूसरी बात यह कि वह इस झंझट में क्यों पड़े कि चक को तकसीम करे और फिर चक बनाये। उसके तो वैसे ही चक बनाने में आसानी है। लेकिन बाद में किसान बहुत शिकायत करता है कि मेरे कई चक हो गये। यदि तकसीम नहीं होते हैं तो जिनका हिस्सा है उतने ही चक बनेंगे। अगर मियाद के अन्दर किसान १५ दिन में एप्लाई नहीं करता है, वैसे उसे अपील करने का राइट है, लेकिन लापरवाही में नहीं करता है और बाद में पछताता है। इसलिये हम उसे डिसक्रीशन दे रहे हैं कि जहां किसान चाहे वहां पार्टीशन कर दिया जाय। सैक्शन में जो शब्द हैं उनसे भी ऐसी बात नहीं टपकती है। वह यह हैं कि:—"with a view to consolidate the share of a tenure holder or a group of tenure holders." अगर चक बनाने के लिये वह ठीक समझता है तो नोटिस देकर तकसीम कर दे; यह बिल्कुल सहूलियत पैदा करने के लिये है। सब को नोटिस देगा। अगर सबके सब ऐतराज करेंगे तो नहीं करेगा। इससे कोई हानि नहीं होती है बल्कि सहूलियत ही पैदा की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—यदि ऐसी हिदायतें दी जा रही हैं कि जब तक सब हिस्सेदार राजी नहीं होंगे तब तक वह स्वयं तकसीम नहीं करेगा तो इसकी जरूरत नहीं रहती है।

श्री चरणसिंह—मैंने तो अर्ज किया कि ऐसी बात है ही।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १०—क की उपधारा (३) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ के अन्तर्गत धारा १०—क में प्रस्तावित उपधारा (४) की पंक्ति ५ में शब्द "किसी" से लेकर पंक्ति ६ में शब्द "रहते हुये" तक के स्थान पर शब्द "उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गयी है" रख दिये जायं।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन का स्वरूप बहुत ही संकुचित है। इसमें स्पष्ट यह कह दिया गया है कि धारा १२ के अन्तर्गत जो आज्ञा होगी वह पूर्णत्व को प्राप्त हो जायगी और उसके अन्तर्गत ही आधार मान लिया गया है। ऐसा मालूम होता है कि यह भ्रम से हुआ है या फिर विचार में नहीं आया है। चकबन्दी के ऐक्ट की इस धारा १२ के अन्तर्गत सब चीजें पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होती हैं। कुछ तो आर्बीट्रेशन के लिये चली जाती हैं और कुछ अपील में जाती हैं और वहां पूर्णत्व को प्राप्त होती हैं। ऐक्ट की धारा ४८ के अन्दर पूर्णत्व को प्राप्त होती हैं, कुछ धारा ३८ के अन्दर पूर्णत्व को प्राप्त होती हैं। कुछ धारा ४ के अन्तर्गत जो फाइनल हो जाते हैं, वह पूर्णत्व को प्राप्त होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की तरह से स्पष्ट है इसलिये इसे उन्हें स्वीकार करना चाहिये। वर्ना इसका स्वरूप ही संकुचित हो जायगा और उसके अन्दर एक अल्प भ्रष्टाचार का भी समावेश रहेगा।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, जब सूर्य के प्रकाश की तरह इस संशोधन की मन्शा रौशन है तो फिर मुझे सूर्य के प्रकाश से क्या इन्कार हो सकता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्तर्गत धारा १०—क में प्रस्तावित उपधारा (४) की पंक्ति ५ में शब्द "किसी" से लेकर पंक्ति ६ में शब्द "रहते हुये" तक के स्थान पर शब्द "उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी अन्य प्रकार से की गयी है" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १२ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (५) में शब्द "आगम (title) का प्रश्न" के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"अथवा यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है या नहीं।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ५ (अ)

*श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय पद्माकर लाल जी ने मुझे इस संशोधन को पेश करने का अधिकार दिया है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—पेश करिये ।

श्री रामशरण यादव—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के आगे एक नया खंड ५ (अ) इस प्रकार जोड़ दिया जाय:—

५ (अ)—मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (५) के आगे एक नयी उपधारा ५ (अ) इस प्रकार जोड़ दी जाय :

"५-(अ) उपधारा ४ के अनुसार पंच निर्णय (arbitration) हेतु किसी प्रश्न के भेजे जाने पर उक्त प्रश्न से सम्बन्धित खातों अथवा भू-खंडों से सम्बद्ध चकबन्दी योजना हेतु हो रही समस्त कार्यवाही पंच अभिनिर्णय हो जाने तक स्थगित कर दी जायगी ।"

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आ रहा है क्योंकि इसके पहले टाइटिल का जो सवाल था वह केवल भूमिधरी तक ही निहित था । लेकिन इस संशोधन विधेयक में जो प्रस्ताव आगे आने वाला है उसमें सीरदारी, अधिवासी और असामी का भी पहले स्टेज पर टाइटिल का प्रश्न रख दिया गया है । तो ऐसी सूरत में जो मूल अधिनियम है उसकी धारा ११ (सी) जो है उसमें लिस्ट आफ आल प्लाट्स आफ ईच टेनेन्सी होल्डर्स दिया हुआ है यानी जो स्टेटमेंट आफ प्रपोजल्स बनेंगे उसमें ऐसा होता है कि जो खातेदार होते हैं उन्हीं के नाम से चक बनाया जाता है । खाते या तो भूमिधर के होंगे या सीरदार के होंगे और जब पंच निर्णय के लिये टाइटिल का मामला जायगा तो उसमें यदि कहीं आर्बिट्रेशन यह फैसला दे दे कि यह सीरदार है, अधिवासी या असामी नहीं है तो उस सूरत में वह एक नया खातेदार पैदा हो जायगा । और यदि उस वक्त यह कार्यवाही चलती रही तो उस खातेदार के नाम फिर चक न बन सकेगा और अगर चक कम बनायें जायेंगे तो उस समय बहुत सी अपीलें होंगी और बहुत सा स्टाफ का काम बढ़ जायगा । उसमें सरकार का खर्चा भी काफी होगा और वक्त भी काफी लगेगा ।

मूल अधिनियम की धारा १२ के ५ बी के अनुसार जो मुकदमें अदालतों में चलते हैं अपीलेट कोर्ट्स में और रीजनल कोर्ट्स में उनको स्थगित करने का प्राविजन है । तो ऐसी सूरत में चकबन्दी का काम भी अगर वहां स्टे कर दिया जायगा तो वह भी बेहतर होगा । और यह किसानों के ही हित में नहीं है बल्कि स्टाफ की भी सहूलियत हो जायगी जिसके लिये माननीय माल मन्त्री जी बहुत जोर देते हैं कि उनके काम को कम किया जाय । तो ऐसी सूरत में इसके महत्व को देखते हुये मैं माननीय माल मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि जहां वे सीरदार के टाइटिल का सवाल बना रहे हैं तो दोबारा उनको मेहनत न करनी पड़े चक बैठाने में इसीलिये उनको यह मेरा संशोधन जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूं । चकबन्दी की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी जाय इसकी कोई जरूरत नहीं है । आर्बिट्रेशन को बहुत ही कम केसेज जाते हैं । आर्बिट्रेशन के रहते जो एंन्ट्री हो जाय तो वह प्राविजनल रहेगी और उधर आर्बिट्रेशन चलता रहेगा और इधर कंसालिडेशन चलता रहेगा । आगे चल कर मेरे मित्र देखेंगे कि एक खंड २६ (क) हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं । उनकी जो आपत्ति है वह उसके बाद नहीं रहेगी और उस खंड के रहने से दिक्कत नहीं होगी । अगर हमने सब कंसालिडेशन की प्रोसीडिंग्ज ही रोक दीं तो जहां दो आदमियों का झगड़ा है वह भी स्टे हो जायगा । अब तक यह प्रैक्टिस रही है कि उन दो आदमियों के चक एक दूसरे से एडज्वाइनिंग बना दिये । मान लिया कि १०० किसान हैं और उनमें से ९८ आदमियों को एतराज नहीं है और उनका मामला आर्बिट्रेशन में नहीं है लेकिन २ आदमियों में झगड़ा है तो हम उन दो का मिला हुआ चक बना देंगे । अब चाहे जो फैसला हाईकोर्ट में हो जाय उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता और उन ९८ आदमियों का चक डिस्टर्ब नहीं होता । इसी मंशा से २६ (क) इंट्रोड्यूस किया गया है । जब तक आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स तय न हों तब तक कुछ कार्यवाही न की जाय इससे बड़ी रुकावट होगी ।

श्री उग्रसेन---माननीय अधिष्ठाता महोदय, चकबन्दी योजना से पीड़ित प्रदेश के पांच सौ किसान कौंसिल हाउस के सामने आये हुये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा उनकी हालत को देख लें और उनकी बातों को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता---इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

*श्री रामशरण यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मैंने माननीय माल मंत्री जी की तकरीर सुनी मैं समझता हूं कि उन्होंने इस संशोधन पर गौर नहीं किया है। मैं तो उन्हीं की, उनके स्टाफ की सहूलियत के लिये ही यह संशोधन ला रहा था। यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे यह कहते हैं कि आर्बिट्रेशन के लिये बहुत ही कम केसेज गये हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने केसेज भेजने के लिये किसानों को अभी कोई मौका नहीं था क्योंकि अब तक तो केवल भूमिधर का ही सवाल था। सीरदार, अधिवासी और असामी का कोई सवाल नहीं था। इस संशोधन विधेयक के द्वारा सीरदार, अधिवासी और असामी के लिये भी वह बात आने वाली है। हमारे माननीय माल मंत्री जी इस बात को अनुभव करेंगे और देखेंगे कि कितने केसेज आर्बिट्रेशन के पास उपस्थित होते हैं और कितने न्यायाधीश के सामने जाते हैं। यह सन्देह मुझे मालूम पड़ता है। अगर किसी प्रकार से किसानों को जबरदस्ती कहीं बीच में दबा दिया गया और उनके केसेज रेफर नहीं हुये तो उनको परेशानी होगी। सीरदारी का बड़ा व्यापक प्रश्न है। जब यह आगम का अधिकार दे दिया जायगा तो यह काफी तादाद में किये जायंगे, उस समय उनको बड़ी परेशानी होगी चाहे इस वक्त माननीय मन्त्री जी इसको महसूस न करते हों, लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन के आ जाने से उनके स्टाफ का ही काफी वक्त बच जायगा और उनकी मेहनत बच जायगी। इसलिए यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को जरूर ही स्वीकार करें।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्र की भावनाओं का बहुत आदर करता हूं कि वह मेरी कठिनाइयों को दूर करना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और उनके बीच में कुछ गलतफहमी है।

जहां तक उन्होंने यह फरमाया कि आरबिट्रेशन को सब केसेज नहीं भेजे जाते, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। वाकया यह है कि कागजात की दुरुस्ती सेक्शन १२ तक के अन्तर्गत होती है। उसमें किसानों की शिकायत बहुत कम होती हैं और यह बात इससे जाहिर है कि आर्बीट्रेशन को रेफरेन्स बहुत कम होता है। वह स्कीम जब इस दर्जे तक रहती है तो बहुत अच्छी है लेकिन जब वह चकबन्दी के स्टेज पर पहुंचती है और खेतों की अदला-बदली होने लगती है तो किसानों को शंका पैदा होने लगती है। इसलिये जब कि हम सीरदार के क्वेश्चन को क्वेश्चन आफ टाइटिल नहीं मानते तो उसके आर्बीट्रेशन में जाने की आवश्यकता बहुत कम होगी। इसलिये केवल इस क्वैश्चन की वजह से सारी कार्यवाही रुकी रहे यह मेरी समझ में नहीं आता। सवाल सिर्फ इतना है कि वह मामला वहां जाने की वजह से प्रोसीडिंग क्यों रुकी रहे। यह एन्टरी का सवाल तो केवल प्राविजनल है। जिसके हक में फैसला हो जायगा उसी के चक में उसकी जमीन को मिला दिया जायगा। चकबन्दी अधिकारियों को इसमें सहूलियत नहीं होती है कि काम रुका रहे। उनका काम तो तभी ठीक चलता है जब कि काम बराबर चलता रहे। लेकिन चूंकि अभी तक इसके लिये कोई लीगल कवर नहीं था इसलिये अब इसको लीगल कवर दे दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ के आगे एक नया खंड ५ (अ) इस प्रकार जोड़ दिया जाय:--

५ (अ)--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (५) के आगे एक नयी उपधारा ५ (अ) इस प्रकार जोड़ दी जाय:

"५ (अ)--उपधारा ४ के अनुसार पंच निर्णय (arbitration) हेतु किसी प्रश्न के भेजे जाने पर उक्त प्रश्न से सम्बन्धित खातों अथवा भूखंडों से सम्बद्ध चकबन्दी योजना हेतु हो रही समस्त कार्यवाही पंच अभिनिर्णय हो जाने तक स्थगित कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) में--

(१) खंड (घ) में शब्द "और अन्य सामान्य उपयोग" निकाल दिया जाय,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १४ का संशोधन।

(२) खंड (घघ) में शब्द "सामान्य उपयोग के प्रयोजन" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक प्रयोजनों" रख दिया जाय।

***श्री रामनारायण त्रिपाठी**--मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १४ में निम्नलिखित उपधारा (गग) के रूप में रख दी जाय:--

"(गग) नहर, नलकूप योजनाओं में काम में आने वाली भूमि"

अधिष्ठाता महोदय, इस मूल अधिनियम में यह लिखा है कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे चलकर सिद्धान्तों का विवरण कहा गया है) जिसमें वह सिद्धान्त लिखित होंगे जिनका अनुसरण चकबन्दी योजना बनाने में किया जायगा। विवरण में गांव के प्रस्तावित पुनर्मापन तथा विन्साय की स्थूल रूपरेखा निम्नलिखित ब्यौरे सहित दिखायी जायगी। वर्तमान और प्रस्तावित गमनागमन के साधन का उसमें प्राविजन होगा। आबादी के लिये नियत किये जाने वाले क्षेत्र के आगे मैं यह रखना चाहता हूं कि जो जमीन नहर या नल कूप की योजना में हो उसकी व्यवस्था की जाय। पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में नहर और नलकूप बहुत बड़ी मात्रा में बन रहे हैं और यदि किसान के लिये यह सुविधा हो जायगी तो वह उनका विरोध नहीं करेगा। तो चकबन्दी की जगह नहर और नलकूप भी बन रहे हों, तो जिसकी जमीन इसके लिये ली जाय उसे सबकी जमीन से निकाल कर हिस्सा रसदी बांटा जाय। इस पर आपत्ति हो सकती थी कि हम उनको प्रतिकर नहीं देते थे लेकिन वर्तमान विधेयक में तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अतः आवश्यकता को देखते हुये उनको प्रतिकर देकर भी जमीन ली जा सकती है। बहुत से जिलों में अभी यह योजना लागू होने वाली है। वहां के किसानों को मेरे संशोधन से लाभ होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि इस संशोधन का विरोध करने जा रहा हूं। रामनारायण जी के आशय की भावना से मैं सहमत हूं। इस पर हमने विचार भी किया था। जब संशोधन विधेयक बन रहा था उस समय कई मित्रों ने यह सुझाव दिया और हमने अपने कानूनी सलाहकार से सलाह ली और वह सुझाव नहीं माना गया। त्रिपाठी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

जी कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना में जहां नहर और नलकूप बन रहे हों वह जमीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये ली हुई समझी जानी चाहिये। ४ साल में कहां नहर और नलकूप बनेंगे, यह निश्चित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जिला निश्चित हो सकता है या गांव भी हुआ तो उसमें कहां नहर या नलकूप बनेंगे, यह निश्चित नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हम अपनी योजना के अनुसार मान लो फैजाबाद में नहर या नलकूप नहीं बना सकें तो बड़ी अनसरटेन हालत है। तीसरी बात यह है कि जो नहर और नलकूप बनेंगे क्या उनके लिये भी जमीन निकाली जाय? चौथी बात यह है कि नहर और ट्यूबवेल सारे गांव को तो फायदा पहुंचाता नहीं है, तो फिर सारे गांव के लोगों से क्यों उसका हिस्सा रसदी लिया जाय? ऐसी नहरें बहुत कम हैं जिनसे सारे गांव को लाभ पहुंचेगा। अंशतः पहुंचता है। तो जिनके खेतों को आबपाशी नहीं होगी उनका कन्ट्रीब्यूशन उसमें क्यों हो?

एक बात यह भी है कि इसका मतलब यह होगा कि मान लो किसी गांव में १० किसानों की जमीन ४० बीघे तक आती है। तो इस समय जो हम सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जमीन ले रहे हैं वह मान लीजिये १०० बीघा है तो अब १४० बीघा लेनी पड़ेगी। अब उस जमीन की हिस्सा रसदी होगी। साढ़े तीन बीघा किसी को मिली। हम उसको सवा तीन बीघा देते हैं और चौथाई बीघा कंपेन्सेशन में मान लें। मतलब यह हुआ कि जमीन के बदले में जमीन दी गयी। जब जमीन एक्वायर हुई लेकिन उसका मुआविजा रुपये की शक्ल में न देकर हम जमीन के बदले में जमीन देते हैं तो यह ला के खिलाफ पड़ता है। मुआविजा नकद ही हो सकता है। लेकिन इसमें त्रिपाठी जी की मंशा यह है कि उनको जमीन मिले। नकद मुआविजा तो अब भी मिलता है। लेकि न जमीन के बदले में जमीन मिलना कांस्टीट्यूशन के विरोध में जाता है। जितनी जमीन हम ले रहे हैं, उससे ही लोगों की नाराजगी है। अगर हम और जमीन लेंगे तो और भी ज्यादा नाराजगी हो जायगी। लोग कहेंगे कि जिसकी जमीन जाती है वह मुआविजा ले, हम अपनी जमीन में से क्यों कटायें। इन सब कंसीडरेशन्स को सामने रखते हुये हमारे सलाहकार इसके लिये तैयार नहीं हुए और मैं समझता हूं कि सही तैयार नहीं हुए। मैं उनकी उस राय से सहमत हूं और इन्हीं ग्राउन्ड्स पर त्रिपाठी जी का संशोधन मानने से मजबूर हूं। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी इस कठिनाई को समझेंगे और अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कठिनाई बतायीं उनके बारे में मैं चुनाव की एक बात बता देना चाहता हूं। जिस हल्के में मैं रहता हूं, उसमें नहरें काफी संख्या में बनी हुई हैं। विरोधियों ने वहां पर यह कह दिया कि पिछले पांच सालों में ये वहां के मेम्बर थे, उन्होंने नहरें बनवा दीं, इनको वोट न दीं। क्योंकि यहां की सरकार तो वहां यही थे। इसका जबाव गांव वालों को मैंने यह दिया की तीन साल पहले माननीय मंत्री जी को मैंने एक निजी पत्र लिखा था कि नहरों और नलकूपों के लिए चकबन्दी में इस प्रकार का प्रान्जिन कर दिया जाय और उन्होंने मुझे यही कानूनी सलाहकारों वाली बात लिख कर मजबूरी जाहिर की थी। यही बात किसानों से कही गयी। किसानों ने कहा कि हम सब लोग एक मत से तैयार हैं कि हम सब मिल कर थोड़ा थोड़ा सह लेंगे, १०-२० किसानों को एकदम से नष्ट कर देना ठीक नहीं है। यह एक ऐसा मसला है जिस पर किसान एकमत हैं।

पंचवर्षीय योजना की बात कही गयी। कहा गया कि हम अभी यह नहीं बता सकते कि कहां नहर निकालनी है, किस सेक्शन में ट्यूबवेल लगेगा। मगर सरकार के पास तो बहुत से मुलाजिमान हैं। वह उनसे कह सकती है कि जहां जहां चकबन्दी हो रही है वहां के लिये इंजीनियर लोग यह बता दें कि वह कहां-कहां बनाये जायंगे। यह काम कोई मुश्किल नहीं है।

दूसरी बात यह उठायी गयी कि जिन स्थानों में ये बन चुके हैं और जिनकी जमीन ले ली गयी है उनका क्या होगा। नियम में ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि अगर १-२ साल हुआ हो तो उसका प्रबन्ध कर दिया जाय, लेकिन अगर १०-२० साल पहले जमीन ली जा चुकी है और उसका मुआवजा दिया जा चुका है तो उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

एक बात यह भी कही गयी कि जमीन के बदले में जमीन देना विधान के प्रतिकूल हो जायगा और यह मुआविजे की डैफीनीशन में नहीं आयेगा। लेकिन उनके पास कानूनी सलाहकार इतने हैं कि वे इसके लिये कोई न कोई रास्ता निकाल ही सकते हैं। जो जमीन की कीमत लेना चाहते हैं, उसको रख लीजिये और जो जमीन की कीमत देना चाहते हैं उसको रख लीजिये, उसके बाद मूल्य को ले कर, मूल्य के बदले ऐसी व्यवस्था निकाली जा सकती है कि मूल्य के बदले जमीन मिल जाये। मैं तो समझता हूं कि कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को सहूलियत ही होगी और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह अनपापुलर हो जायगी। मेरे पास तो ऐसी मिसालें हैं कि हर गांव में किसानों को कठिनाई है। मैं तो समझता हूं कि इस संशोधन को मान लेने में माननीय माल मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इसलिए माननीय माल मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करके इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि वे अपने सलाहकारों की वजह से विवश हैं तो मैं चाहता हूं कि जरा वे इस पर फिर विचार करें और इसको स्वीकार कर लें।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या बतलाऊं हमारे माननीय मित्र जितने भी संशोधन पेश करते हैं, वे सब मेरी सहूलियत के लिये ही पेश करते हैं, लेकिन मैं इतना नाशुक्रगुजार आदमी हूं कि मैं उनको मानता नहीं हूं! क्या बताऊं यह मेरी मजबूरी है। हमारे जो सलाहकार हैं और जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि प्रापर्टी के बदले प्रापर्टी का कम्पेन्सशेन नहीं हो सकता है। अपने यहां के ला के मुताबिक और दूसरे देशों के कांस्टीट्युशनल ला के मुताबिक आज हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर फिर कभी इस में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो देखा जायेगा। यदि इस समय माननीय सदस्य हमें कोई रास्ता ऐसा दिखायें जिससे हम इसको स्वीकार कर सकें तो मैं इसको मान सकता हूं। वे अपने किसी लीगल एडवाइजर से सलाह लें और हमें बतायें, तो मैं कुछ कर भी सकता हूं। इस समय हमारे लीगल एडवाइजर इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि इससे सारे गांव को फायदा नहीं होगा, बहुत से गांव ऐसे रह जायेंगे कि जिनमें सिंचाई नहीं हो सकेगी, इसलिये इसमें इस प्रकार की बहुत सी कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता हूं। यही वजह है कि अब मैं अपनी राय बदल नहीं सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १४ में निम्नलिखित उपधारा (ग ग) के रूप में रख दी जाय:

"(ग ग) नहर, नलकूप योजनाओं में काम आने वाली भूमि"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७—८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा १९ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (३) में शब्द "या सामान्य" निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०, १९५४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २० में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "पड़ने की संभावना हो" के स्थान पर शब्द "पड़ता हो" रख दिया जाय।

(ख) शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय

(२) उपधारा (३) में—

(क) शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "सकेगा" रख दिया जाय।

(ख) शब्द "स्वत्व या अधिकार का प्रकार" के पश्चात् "और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के संबंध में ब्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुये" निकाल दिये जायं तथा इनके स्थान पर शब्द "बतलाते हुये" रख दिये जायं।

(ग) प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी लगभग २० संशोधन बाकी है और सदन का समय केवल ८० मिनट ही रह गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि हर एक संशोधन पर ४ मिनट या उससे कुछ और अधिक समय बोलने के लिये दिया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो सब संशोधन सदन में पेश नहीं हो सकेंगे। इसलिये या तो आप सदन का समय एक घंटा बढ़ाने की स्वीकृति लें या भाषणों के लिये समय निश्चित कर दें जिससे प्रत्येक संशोधन पर बोलने के लिये माननीय सदस्यों को बराबर समय मिल सके।

श्री अधिष्ठाता—इस बिधेयक के संबंध में भाषण के लिये कोई समय निश्चित करना बहुत ही अनुचित होगा। यह प्रस्ताव पहले हो चुका है कि यह सदन ७ बजे तक बैठेगा, इसलिये इस समय मैं मजबूर हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस पर बोलने के लिये समय और बढ़ा दिया जाय तो जिस वक्त इस सदन का समय खतम हो, उस समय आप घंटे या आधे घंटे के लिये सदन के समय को और बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकते हैं। मैं इस बात को उचित नहीं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य बोल रहे हों उनके बोलने में किसी प्रकार की रुकावट डालूं।

खंड ९

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा २२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा २२ में —

(१) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "उपधारा (१) के अधीन अभिदेश किये जाने पर" के स्थान पर शब्द "धारा २० की उपधारा

(१) के अधीन प्रस्तावों का विवरण प्रकाशित होने पर" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "आगम का प्रश्न" के पश्चात् शब्द "अथवा यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति सीरदार अधिवासी, अथवा आसामी है या नहीं "रख दिये जायं।

(२) निम्नलिखित नयी उपधारा (४) के रूप में रख दिया जाय:

"धारा २० की उपधारा (१) के अधीन प्रकाशित प्रस्तावों के विवरण में उल्लिखित किसी गाटे के संबंध में आगम का प्रश्न, जिसे धारा २० के अधीन उठाया जा सकता था तथा उठाया जाना चाहिए था, किन्तु जिसे उठाया नहीं गया, धारा ३४ की उपधारा (१) के अधीन प्रस्तुत किसी भी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—मूल अधिनियम की धारा २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५,१९५४ की धारा २३ का संशोधन।

"२३(१) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) यदि धारा २० में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है, अथवा जब ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत की जा[illegible] तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो धारा २१ के अधीन पारित आज्ञाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक हों, प्रस्तावों के विवरण को पुष्ट करेगा।

(२) इस प्रकार पुष्ट विवरण प्रकाशित किया जायगा तथा वहां तक छोड़ कर जहां तक उसका सम्बन्ध ऐसी भूमि में हो जो सिविल जज के पास किये गये ऐसे अभिदेशों का विषय हो जो तब तक निस्तारित न किये गये हों, अंतिम होगा।"

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने संशोधन को थोड़े से संशोधित रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह इस प्रकार है:—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा २३ की उपधारा (२) की पंक्ति १ के अन्त में शब्द "तथा" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिया जाय तथा पंक्ति २ में शब्द "में" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

यह तो सिर्फ शाब्दिक संशोधन है। मैं समझता हूं कि यह स्वीकृत हो जायगा।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १० के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा २३ की उपधारा (२) की पंक्ति १ के अन्त में शब्द "तथा" के स्थान पर शब्द "जो" रख दिया जाय तथा पंक्ति २ में शब्द "में" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २४ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

योजना के प्रचलित होने का दिनांक।

"२४—चकबन्दी योजना उस दिनांक से प्रचलित होगी जिस दिनांक पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ने धारा २३ की उपधारा (१) के अधीन उसे पुष्ट किया हो।"

*श्री रामशरण यादव—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा २४ की पंक्ति ३ में शब्द "अधीन" के पश्चात् शब्द "चकबन्दी समिति द्वारा बहुमत से स्वीकृत होने पर" रख दिये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स की पूरी स्कीम देखने के बाद, पूरे ढांचे को देखने के बाद, ऐसा मालूम होता है और ऐसा है भी कि ऐक्ट में चकबन्दी कमेटी को केवल इतना अधिकार है कि उसके व्यूज मांगे जायेंगे—उसकी केवल राय मांगी जायगी। किस प्रकार से राय मांगी जायगी, यह कुछ मालूम नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैंने देखा कि मेरे मोहनलालगंज की तहसील में ऐसा होता है कि चकबन्दी कमेटी के चेयरमैन का दस्तखत ले लिया जाता है। पता नहीं उस वक्त पूरी चकबन्दी कमेटी मौजूद रहती है या नहीं, उनको बुलाया जाता है या नहीं, या एक एक चकबन्दी कमेटी के सदस्य को बुला बुला कर उनके व्यूज ले लिये जाते हैं और या ऐसे ही उनका बहुमत मान लिया जाता है। मैंने अपने यहां महसूस किया और देखा और चकबन्दी कमेटी के सदस्यों की ओर से यह शिकायत भी की गयी कि हमको उसका इल्म भी नहीं होता और इस प्रकार से हमारी राय ली हुई मान ली जाती है। ऐसी सूरत में, यद्यपि चकबन्दी कमेटी की राय पूरे तौर पर लेनी चाहिये, वह नहीं ली जाती है तो हमने यह संशोधन रखा है कि उसको पूरा मौका दिया जाय कि व्यावहारिक रूप से चकबन्दी कमेटी जिस मंशा को पूरा नहीं कर पाती है उसको पूरा कर सके ताकि आम जनता को और आम किसानों को फायदा उठाने का मौका मिले। आम तरीके से अगर पूरे किसानों को मौका न दिया जाय तो जो प्रतिनिधि उनके चुनाव के जरिये से आये हैं या नामिनेशन से आये हैं उन सब सदस्यों की राय ली जावे और बहुमत से काम किया जावे और ऐसा करने से जो हमसे शिकायत होती है और माननीय माल मंत्री जी कहते हैं हमारे लिये कि हम शिकायत करने के आदी हैं, शायद ऐसा मौका न आये, क्योंकि बहुत कम मुझे कहना है।

यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इसीलिये मैंने इसको पेश किया। जिस वक्त कन्सालिडेशन आफिसर उस स्कीम को फाइनल करें, उसके बाद कोई भी अपील का मौका नहीं रह जाता और अगर कोई प्राविजन अपील का किया भी जायगा तो ऐसे बहुत कम मौके होते हैं, कभी काश्तकार नहीं जाते कभी कुछ हो जाता है। इस तरह से काश्तकारों को समझने का पूरा मौका मिल सकता है, चकबन्दी समिति के सदस्य ही उस स्कीम का पूरा-पूरा मंशा समझ लें और यह भी समझ लें कि उनकी स्कीम किस प्रकार की है। मैंने तो यह महसूस किया कि काश्तकारों को जो चक दिये जाते हैं तो ट्रांसफर की पूरी कार्यवाही हो जाती है, लेकिन काश्तकारों की ऐसी शिकायत है कि उनको मालूम ही नहीं होता कि उनके २४–२५ के नक्शों में क्या है, उनको पर्चा ही नहीं मिला और जिनके खेत ट्रांसफर हुये हैं वह काबिज हैं। जब कन्सालिडेशन आफिसर को या चकबन्दी अधिकारी को शिकायत की जाती है तो वह भी ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि हमारी ड्यूटी तो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसफर और २५ के नक्शे का काम हो चुका है। मैंने २६ तारीख की मीटिंग में अपनी तहसील के एक मौजे सीफतपुर का जिक्र भी किया था कि २५ के नक्शे के बाद कब्जा हो चुका है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस गरीब को जिसको खेत मिलना है और जिसका दिला दिया गया अभी तक कब्जा नहीं मिला है। आज तक कई प्रार्थनापत्र सेटिलमेंट आफिसर को दिये गये लेकिन कुछ नहीं हुआ, कम से कम १४५ की कार्यवाही ही हो जाय, बेचारे काश्तकार बहुत परेशान हैं। मैं इसकी जो उपयोगिता है उस पर बोल रहा हूं और अगर मैं इसकी उपयोगिता नहीं बताता हूं तो अपने फर्ज से कासिर रहता हूं। ऐसी सूरत में मैंने यहां यह संशोधन रखा है कि कम से कम चकबन्दी समिति के सामने उनके कारनामे पेश हो जायेंगे तो केवल इतना ही नहीं होगा कि वह काश्तकारों को बतला सकेंगे कि नकशा इस तरह से बना है और फलां चक इस तरह से बनाया गया है बल्कि इससे अधिकारियों को भी सहूलियत हो जायगी।

इस तरह से चकबन्दी समिति की ब्यूज जो अभी तक नहीं ली जाती हैं वह भी आ जायगी। यदि अतिशयोक्ति न हो तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक उसकी ब्यूज नहीं ली जाती हैं और अगर ली जाती हैं तो वे केवल फार्मेलिटी आब्जर्व करने के लिये ही ली जाती हैं और चेयरमैन के दस्तखत करा कर केवल कागजी कार्यवाही हो जाती है। इस संशोधन के द्वारा चकों के बनाते समय कन्सालिडेशन आफिसर चकबन्दी समिति के बहुमत की आवश्यकता समझेंगे तो कम से कम चकबन्दी समिति के द्वारा काश्तकारों को मालूम तो हो जाया करेगा, केवल इस दृष्टि से ही मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है और मेरा निवेदन है कि माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की महान् कृपा करेंगे।

विधान भवन के सिंहद्वार के बन्द रहने के कारण सदस्यों के बाहर न जा सकने पर श्री राजनारायण की आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सदन के सम्मान का प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं अभी जब बाहर जा रहा था तो हमारे साथ माननीय दीपंकर जी भी थे। अब तक इस सदन में हमेशा यह व्यवस्था रही है कि यदि कभी कोई उत्तेजना का वातावरण रहा है तो साधारणतया फाटक बन्द हो जाते थे, लेकिन जब सदन का कोई सम्मानित सदस्य जाता रहा है तो फाटक खुल जाते रहे हैं।

अभी हम लोग सामने के गेट से बाहर जा रहे थे। सामने का गेट बन्द था। मैंने कहा कि मेरे बाहर जाने के लिये गेट खोल दो। वहां पर कह दिया गया कि नहीं, सरकार का आदेश आया है कि आज यह दरवाजा बन्द रहेगा और यह खोला नहीं जायगा। मैंने पूछा, क्यों नहीं खोला जायगा? आखिर हम लोग कहां से आयेंगे और जायेंगे? वहां बराबर रिक्शे खड़े रहते हैं। इस गेट से हम लोग आते जाते हैं। बार-बार इस तरह से रोका जाय और सदन के सम्मानित सदस्यों को ह्युमिलिएट किया जाय, बराबर पुलिस के अधिकारी रोब गालिब करें, यह असहनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों और किस हुकूमत के, किस सरकारी विभाग के, हुक्म से सामने का गेट बन्द किया गया है। मैंने उनसे कहा कि हमको बाहर जाने दो। हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी से बातचीत हो रही थी।

श्री अधिष्ठाता—मैं मतलब समझ गया।

श्री राजनारायण—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार द्वारा इस तरह के जो कार्य होते हैं, वह निन्दनीय हैं। इस पर अंकुश होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—मैं अभी सेक्रेटरी महोदय से इस सिलसिले में बातचीत करता हूं और उनसे स्थिति की जांच कराने के लिये कहता हूं और यह भी कहता हूं कि वे आज्ञा दे दें कि जो माननीय सदस्य जाना चाहते हों उनको कोई रोके टोके नहीं।

(कुछ रुक कर)

शायद फाटक खुल गया है। और माननीय सदस्यों के लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री राजनारायण—तो हमारी नोटिस ले ली जाय और जिस पुलिस के अधिकारी ने रोका है उसके विरुद्ध में ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न लाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा।

उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७—(क्रमागत)

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रामशरण जी यादव का संशोधन स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। उनका कहना यह है कि कंसालिडेशन कमेटी क्या है, उसमें सीधे सादे लोग होते हैं। उनके यों ही दस्तखत करा लेते हैं। कहीं उनकी तरफ से उनके चेयरमैन के दस्तखत करा लिये जाते हैं। इतने सीधे सादे वह हैं और इस स्टेज से पहले दस बार उनके दस्तखत हो चुके और कार्यवाही में शामिल हो चुके और फिर भी उनको कोई इल्म नहीं हुआ और वह भोले बने रहे, फिर भी उनकी मर्जी के खिलाफ दस्तखत होते रहे और परवाह नहीं की; तो क्या गारंटी है कि ग्यारहवीं बार जब होगा तो जरूर उनकी रजामन्दी हो जायगी ? अधिष्ठाता महोदय, मालूम नहीं हम अपने आप को कैसी स्थिति में ला कर रखें। चकबन्दी कमेटी का जिक्र आता है। वह कुछ नहीं जानते, धोखे में दस्तखत हो जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो सकता, जो चकबन्दी के चेयरमैन हैं बड़े बेईमान हैं। कहां जाकर टिकेगी नइया ? आखिर किसका विश्वास होगा ? अब सारी कार्यवाही होने जा रही है। स्कीम भी फाइनल हो गयी। उस पर सिर्फ नोटिफिकेशन करने की डेट का सवाल है। उस पर माननीय रामशरण जी यादव की तजवीज है कि उसमें भी चकबन्दी कमेटी के मशविरे से नोटिफिकेशन की डेट मुकर्रर की जाय। चकबन्दी कमेटी ने इतना काम किया तब तसल्ली नहीं हुई। तो इस काम से क्या होगा ? और खामखा अफसरान के ऊपर एक बोझ पड़ता है। पंद्रह जगह हमने चकबन्दी कमेटी को रखा है, मैं नहीं समझता कि १६ वीं जगह रखने से क्या मजबूती आ जायगी। मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निहायत मशकूर हूं कि मुझे इस अमेंडमेंट पर बोलने का मौका मिला। मैं इस बिल पर कई रोज से बोलना चाहता था। मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो चीज भी अपोजीशन बेंचेज से जाती हैं उसको हमारे माल मन्त्री जी जरा कम ध्यान से देखते हैं। जहां तक कंसालीडेशन कमेटी का ताल्लुक है, मैंने इसको शुरू से आखिर तक देखा है, ऐक्ट और रूल दोनों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अमेंडमेंट को भी देखा। मुझे यही नहीं पता चला कि कंसालीडेशन कमेटी के अधिकार क्या हैं ? जहां आपने ए० सी० ओ०, सी० ओ० और कंसालीडेटर के अख्तियारात बताये हैं धारा ३ में, वहां आपने इस कमेटी के अख्तियारात को कहीं पर वाजेह नहीं किया। कंसालीडेशन कमेटी के वही अख्तियार हैं जिस तरह सेशन के मुकदमें में एसेसर्स के होते हैं। मैं आपके जरिये मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त इस पर गौर करें तो यह बात भी देख लें कि कंसालीडेशन कमेटी के कोई अख्तियारात नहीं हैं, न इस कमेटी की कोई बात किसी अफसर पर बाइंडिंग है। यह जो अमेंडमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। जिस वक्त प्रोपोजल्स फाइनल हो जाते हैं और स्टेटमेंट बन जाते हैं कि कौन से टन्योर होल्डर को कौन सी जमीन दी जाय तो शुरू से लेकर आखिर तक, जैसा मैंने अर्ज किया, अगर मैं तफसील में जाता तो सिद्ध कर देता कि कंसोलीडेशन कमेटी के कोई अधिकार नहीं हैं।

जिस वक्त हम इस स्कीम को नाफिज करना चाहते हैं तो अच्छा होता कम से कम सेटिलमेंट आफिसर के बजाय चकबन्दी समिति के बहुमत से तय करते कि किस दिन से ऐनफोर्स किया जाय। वर्ना हर चीज हमने ए० सी० ओ०, सी० ओ० और एस० ओ० सी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के ऊपर छोड़ दी है। हम कंसालीडेशन कमेटी तो बना कर रख दें नाम के लिये, लेकिन उसके अधिकार कुछ न हों, यह अजीब सी बात है। इस पर भी कंसालीडेशन कमेटी का फारमेशन अजीब है। ४ आदमी डी० एम० के भी हो सकते हैं और कुछ चुने हुए लोग भी हैं और उस पर भी उस कमेटी की राय को न मानना, मैं समझता हूं उसके अस्तित्व को कम करना है, उसकी वैल्यु कुछ नहीं है। कंसालीडेशन कमेटी की वजह से १९३९ का कानून पास न हो सका। मुझे मौका नहीं मिला। १९२८ से, ऐग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट से लेकर और उसके बाद १९३९ में जो कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स हमारे यहां कायम हुआ, और उसके बाद १९४० में ऐग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट हुई, १९४५ में हुई, लेकिन यह स्कीम एक दम फेल हुई। उसका कारण यह है कि देहात के लोगों की राय नहीं ली गई। कहने को कह दिया कि हमने कंसालीडेशन कमेटी बना रखी है जिसको पब्लिक ने मुन्तखिब किया है और-और लोग भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कंसालीडेशन कमेटी का कोई अस्तित्व इस ऐक्ट में नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक हो कंसालीडेशन कमेटी के बहुमत से ही तय करने के बाद इस ऐक्ट का ऐनफोर्समेंट होना चाहिये, वरना इस कमेटी को बिल्कुल निकाल दिया जाय। मैं फिर आपकी इजाजत से यह बात जोर देकर कहता हूं कि चकबन्दी कमेटी के मेम्बर्स के बहुमत से ही उसका ऐनफोर्समेंट होना चाहिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। अभी चकबन्दी के सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से तकरीर की और बहुत ही उन्होंने उसको सार्थक सिद्ध करने की चेष्टा की। मगर कितनी वास्तविकता है यह जरा विचार करने वाली बात है।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया संशोधन पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं उसी पर बोल रहा हूं। मगर साथ ही साथ जो हमारे माल मंत्री जी ने कहा था कि जो भी सुझाव देना चाहें दे सकते हैं.....

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं। इस वक्त जो संशोधन प्रस्तुत है उसी पर आप बोलिये। खंड ११ में जो श्री रामशरण यादव का संशोधन है उसी पर बोलिये।

श्री बंशीधर शुक्ल---तो उन्हीं के संशोधन के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री चरणसिंह---आप मुझको सुझाव बाद में दे दीजिएगा।

श्री बंशीधर शुक्ल---हमारा जो सुझाव है उसको सुन लीजिये। हमारा सुझाव है कि जमीन के सम्बन्ध में जब तक कि आप जमीन की किस्मों को नहीं छांट देते...

श्री चरणसिंह---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय रामशरण यादव का जो संशोधन है कि स्कीम के प्रचलित करने के सिलसिले में जो फैसला हो उसमें भी कंसालीडेशन कमेटी की मंजूरी हो तो उस पर मेरे दोस्त को बोलना चाहिए और मुझ पर जो वह दया करना चाहते हैं सुझाव के लिए, वह बाद के लिए महफज रखें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता---मैं तो पहले ही से कह रहा था कि माननीय सदस्य माननीय रामशरण यादव के संशोधन पर ही बोलें और अगर सुझाव देना चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी को लिख कर भेज दें।

*श्री रामशरण यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने हमारे संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रगट की है। मैं उनसे एक बार फिर नम्र निवेदन करूंगा कि जहां आपने सारे ऐक्ट में कदम-कदम पर चकबन्दी कमेटी का आह्वान किया है उसका सहयोग चाहा है, उसको जब इतना महत्व दिया है तो मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामशरण यादव]

यह नहीं समझता हूं कि जिस वक्त स्कीम फाइनल हो और उस स्कीम के लागू होने की तारीख निश्चित हो उस वक्त आप इसे क्यों नहीं रखना चाहते हैं ? जिसे आप बहुत छोटी सी बात समझते हैं, जहां पर चकबन्दी समिति की स्वीकृति होना न होना बिलकुल नहीं के बराबर है जिसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है वहां आप चकबन्दी समिति को रखने को तैयार क्यों नहीं होते हैं ? यह तो केवल तारीख तय करने की बात है अगर यहां भी आपने चकबन्दी समिति को नहीं लिया तो मैं यह समझता हूं और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि हमारे माल मन्त्री महोदय कथनी और करनी में बहुत अन्तर रखते हैं और हृदय में और हृदय के बाहर दो कदम रखते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जहां पर कि चकबन्दी कमेटी की बहुत बड़ी जरूरत है, जहां पर उसके विचारों की, उसकी आलोचना समालोचना की आवश्यकता है वहां पर तो आप केवल चकबन्दी समिति के चेयरमैन के दस्तखत फर्जी बनवाने की बात करते हैं, कागज पर खानापूरी करने के लिए उसकी फार्मेलिटी आबजर्व करने के लिए ; लेकिन मैंने जो यह एक छोटी सी बात रखी उसको भी आप नहीं मानते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं और अगर अनपार्लियामेंट्री न माना जाय तो आदरणीय अधिष्ठाता महोदय की इजाजत से मैं इस बात को कहने का साहस करूंगा कि हमारी इस छोटी सी बात को भी अगर आप नहीं मानते हैं, उसको ठुकराते हैं तो इसके मानी यह हैं कि आप हमारा किसी किस्म का कोई भी सुझाव नहीं मानना चाहते।

मैंने यह देखा कि अगर कांग्रेस की तरफ से यह आया होता तो इसका महत्व आपकी नजरों में बढ़ जाता लेकिन चूंकि यह आपोजीशन से आया है इसलिए आप इसको कोई महत्व नहीं देते हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि मैंने तो उनके टेस्ट के लिए यह बात कही थी और यह संशोधन रखा था कि आप चकबन्दी कमेटी को इतना भी ध्यान म रखते हैं या नहीं कि जिस वक्त तारीख निश्चित की जाय उस वक्त आप उसकी स्वीकृति लेने को तैयार हैं या नहीं ? क्योंकि माल मन्त्री महोदय ने २६ तारीख की मीटिंग में इस बात को स्वीकार किया था कि हो सकता है कि कहीं-कहीं पर मुनादी न की गई हो या मुनादी करने की कार्यवाही फर्जी की गई हो। तो जब इतना स्वीकार करने को तैयार हैं कि मुनादी होने और न होने में शक कर सकते हैं तो जहां तारीख की बात है और चकबन्दी स्कीम के लागू होने की बात है वहां अगर वह तारीख कम से कम चकबन्दी समिति को ही बता दी जाय और उसके सामने बहुमत से निश्चित हो जाय तो उसमें क्या हर्ज हो जायगा और इससे लिमिटेशन एरिया की जो शिकायतें हैं वह भी न हो सकेंगी और माननीय माल मन्त्री को काफी मौका मिलेगा अपना स्पष्टीकरण देने का। केवल सरकार की परीक्षा लेने के लिये यह छोटा सा संशोधन मैंने चकबन्दी समिति के सिलसिले में पेश किया कि आया इसे भी वह स्वीकार करती है या नहीं। मैंने देखा कि जब सरकार इतने छोटे से संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि वह किसी भी प्रकार से किसी भी सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है, और न सहयोग लेने के लिये ही तैयार है। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पुनः इस संशोधन पर विचार करें और इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरणसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं माननीय रामशरण जी यादव के इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। उन्होंने तो जोश-खरोश के साथ इस छोटी सी बात पर ही सारे मामले को तोल दिया। अभी तो इश्क की इब्तिदा है। धीरे-धीरे अभी उन्हें बहुत सब्र करना होगा। उनके बहुत से संशोधन आगे नहीं माने जायेंगे और केवल एक आध ही संशोधन माना जायगा। इसी एक को उन्होंने अपनी कसौटी मान ली और इसके अस्वीकार होने पर ये नाराज हो गये। तो मेरे बस की उनकी नाराजगी को बर्दाश्त करना नहीं है। इतनी जल्दी वे नाराज न हुआ करें।

कंसालिडेशन कमेटी का प्रस्ताव पास कराने की क्या जरूरत है, तारीख मुकर्रर करने की क्या जरूरत है ? काहे में अपील होगी ? तारीख कौन सी हो, इसकी इत्तिला

उन्हें दे दी जायगी । उन्हें पजेशन दे दिया जायगा, उन्हें मालूम हो जायगा । उसके बाद कोई अपील नहीं होती । जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हैं कागजात की दुरुस्ती, किस्म जमीन का तबादला, उज्रदारी में राय, कर्ज चकबन्दी में मश्विरा और अनेक-अनेक मश्विरे, सब में दस्तखत, लिये जायंगे, लेकिन उन सबको नजरन्दाज कर दिया गया ।

श्री गेंदासिंह—अगर मंजूर नहीं करना है तो जल्दी कीजिये ।

श्री चरणसिंह—एक मेरे नये मित्र आये हैं । उन्होंने यह कहा कि इसमें क्या हकीकत है । जितनी ये कार्यवाहियां हुई हैं अगर उनमें हकीकत नहीं है तो अब एक और कार्यवाही होने से क्या हकीकत हो जायगी ? यह कोई दलील नहीं है । यह तो बड़ी छोटी बात है । इसमें उनके मश्विरे की कोई जरूरत नहीं है । एक डेट केवल मुकर्रर करना है और बाकी सब काम हो चुके हैं । इसलिये मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११ में प्रस्तावित धारा २४ की पंक्ति ३ में शब्द "अधीन" के पश्चात् शब्द "चकबन्दी समिति द्वारा बहुमत से स्वीकृत होने पर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२

१२—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २६ का संशोधन ।

कब्जा करने का दिनांक ।

"उपधारा २६—ए के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खातेदार अपने को प्रदिष्ट खेतों पर चकबन्दी योजना की पुष्टि के दिनांक के पश्चात् के उस दिनांक से या उसके पश्चात् जिसे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) निश्चित करे, कब्जा पाने के अधिकारी होंगे ।"

श्री जयराम वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा २६ की पंक्ति १ में अंक और अक्षर "उपधारा २६—ए" के स्थान पर शब्द अंक और अक्षर "धारा २६—क" तथा शब्द "अपने को" के स्थान पर "अपने" रख दिया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन से भाषा में सुधार हो जाता है और केवल एक शाब्दिक संशोधन है । मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा ।

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं कि इसमें "ए" की जगह "क" और "अपने को" में से "को" निकाल दिया जाय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा २६ की पंक्ति १ में शब्द अंक और अक्षर "उपधारा २६—ए" के स्थान पर शब्द अंक और अक्षर "धारा २६—क" तथा शब्द "अपने को" के स्थान पर शब्द "अपनें" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २६ की पंक्ति ३ में शब्द "से" के स्थान पर शब्द "को" और पंक्ति ५ में शब्द "पाने" के स्थान पर शब्द "करने" रख दिया जाय ।

श्री चरणसिंह—स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १२ के अन्तर्गत प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २६ की पंक्ति ३ में शब्द "से" के स्थान पर शब्द "को" और पंक्ति ५ में शब्द "पाने" के स्थान पर शब्द "करने" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ में धारा धारा २६—क का बढ़ाया जाना ।

१३—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित एक नयी धारा २६—क के रूप में बढ़ा दी जायः—

अन्तरिम कब्जा

"२६—क (१) धारा २७ तथा धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी, खातेदार को प्रदिष्ट भूमि पर उसका धारा २६ के अधीन कब्जा करने का अधिकार अन्तरिम होगा। जब वह उस भूमि के सम्बन्ध में हो जिसके लिये प्रस्तावों का विवरण अन्तिम धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन (final) न हुआ हो ।

(२) पुष्टीकरण के दिनांक पर विचाराधीन किसी भी अभिदेश पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय के ३० दिन के भीतर कोई भी सम्बद्ध पक्ष चकबन्दी अधिकारी के पास, अथवा यदि धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित हो चुकी हो, तो तहसीलदार के पास प्रस्तावों के विवरण की अन्तरिम प्रविष्टियों को हटाने तथा प्रभावित चकों की पुनर्प्रदिष्टि के सम्बन्ध में यथावश्यक आज्ञा पारित करने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है । निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन-पत्र पाने पर, यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार, यथावश्यक आज्ञायें प्रचारित करेगा ।

(३) कोई भी व्यक्ति जो चकबन्दी अधिकारी अथवा तहसीलदार की आज्ञा से क्षुब्ध हो वह, यथास्थिति बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा परगने के इन्चार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पास अपील प्रस्तुत कर सकता है । इस उपधारा के अधीन दी गयी आज्ञा अंतिम होगी ।"

(४) यथास्थिति चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार पुनर्प्रदिष्ट चकों का वास्तविक कब्जा ऐसे पक्ष को दिलाएगा जिसके सम्बन्ध में उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन अंतिम आज्ञा की अपेक्षा हो तथा ऐसा करने के लिये उसे समस्त वे अधिकार, जिनके अन्तर्गत अवमान (contempt) प्रतिरोध (resistence) तथा तत्सदृश्य अन्य विषयों के अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगें, जो अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के निमित्त डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होते हैं ।"

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव संशोधन के रूप में प्रस्तुत करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६–क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) धारा २७ तथा धारा ३० में किसी बात के होते हुए भी उस भूमि के सम्बन्ध में जिसके लिए प्रस्तावों का विवरण धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन अन्तिम न हुआ हो, नक्शे तथा अभिलेख और खातेदार का अधिकार अन्तरिम (Provisional) रहेंगे।"

श्री अधिष्ठाता—अगर माननीय मंत्री को यह मंजूर हो तो इस पर भाषण करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है ।

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन से मतलब है उस संशोधन से जो अभी कुछ देर पहले एक महोदय ने पेश किया था और यह कहा कि जब तक पंच निर्णय के पास मामला रहे तब तक कोई कार्यवाही चकबन्दी की न की जाय । अब वह तो हम नहीं मान सके, लेकिन इस वक्त इसको यह कह रहे हैं कि वह कार्यवाही कच्ची रहे तब तक । यानी उसको करने की इजाजत तो दे दी कि चलती रहे, यानी जब तक पंच निर्णय का फैसला न हो जाय तब तक चकबन्दी चलती रहे, लेकिन इस संशोधन के द्वारा वह कच्ची रहे ।

श्री चरणसिंह—हां, यह तो मैंने कहा था ।

श्री गेंदासिंह—तो मैं समझता हूं कि यह जरूर है कि हम आगे जरूर चले आयेंगे, लेकिन इसके माने यह हैं कि यह कार्यवाही कच्ची रहेगी और इसके स्थान पर दूसरी कार्यवाही हो सकती है । तो कच्ची मानने से मिश्र जी यह तो बताएं कि इसको कच्ची क्यों माना जाय ।

अब मैं इसकी याद राजस्व मंत्री जी को दिलाऊंगा कि उस समय उन्होंने नहीं माना और कहा कि सारी कार्यवाही चलती रहेगी। तो इस वक्त कच्ची नहीं पक्की रहेगी।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, संशोधन का संदर्भ स्पष्ट न करने के कारण यह कठिनाई माननीय गेंदा सिंह जी को उपस्थित हुई । यह आवश्यक है भी कि किसी भी संशोधन का संदर्भ स्पष्ट हो जाना चाहिये जिससे उसका आशय समझ में आ जाया करे । इसमें मूल बात यह कही गई है कि जो इन्दराज में छपी हुई है और अगर किसी कारण से अध्यक्ष के पास भेज दी गई है, आरबीट्रेशन में चली गई है तो जो नई व्यवस्था इस संशोधित, विधेयक के द्वारा की गई है, वह स्थगित न की जाय बल्कि जो प्राविजनल स्वत्व हैं वह रेखांकित करके रख दिये जायं, लेकिन वह अस्थायी तरीके से रहेंगे । कच्ची पक्की, यह तो व्यवसाय में प्रयोग होते हैं, यहां नहीं हुआ करते हैं । इस तरह से ऐसा मेरा विश्वास है कि माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन के भाव को समझ गये होंगे । यह बड़ा उद्देश्यपूर्वक है और जैसे ही मध्यस्थ का निर्णय हो जायगा तो घटाव-बढ़ाव की चीजें आपस में ही ठीक हो जायंगी । यह सिद्धांत का दोष है, मैं समझता हूं कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है ।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:---

"(१) धारा २७ तथा धारा ३० में किसी बात के होते हुये भी उस भूमि के संबंध में जिसके लिये प्रस्तावों का विवरण धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन अंतिम न हुआ हो, नक्शे तथा अभिलेख और खातेदार का अधिकार अंतरिम (Provisional) रहेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री रामशरण यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६-क की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "मध्यस्थ" के स्थान पर शब्द "जुडीशयल आफीसर सम्बद्ध" रख दिये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि मुझे एक वकील की हैसियत से कुछ अनुभव है, क्योंकि मैंने चकबन्दी में काम किया है और यूं भी यह पुराना कानून रहा है, इसको देखकर इस बात की सख्त जरूरत पड़ी कि जो स्टाफ भरती होकर आया है, असिस्टेंट सी० ओ० तथा सी० ओ० उनको बहुत जबरदस्त अधिकार हैं जिनका ताल्लुक करोड़ों नहीं तो लाखों किसानों से है और उनकी रोजी और रोटी का सवाल आ जाता है। यह कहा जाता है कि अधिवासी और आसामी का सवाल ऐसा नहीं है जिसकी महत्ता हो। किसान खुद ही इस बात को समझते हैं कि यह कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट की स्कीम है। लेकिन इसकी जो पालिसी है उसके असरात पड़ते हैं। जो लोग इस पर विचार करते हैं वह इसको महसूस करते होंगे। जिस वक्त सी० ओ० का आर्डर अधिवासी या सीरदार करार देने के संबंध में हो, लेकिन हमारे माल मंत्री जी जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के प्राविजन्स को याद करेंगे तो उसमें यह है कि सन् ५६ में जो खसरा और खतौनी में रेकार्डेड है काश्तकार, वह अधिवासी हो गया। दूसरा प्राविजन यह है कि १३५९ फसली में वह खसरा खतौनी में रेकारडेड या अनरेकारडेड नहीं भी है लेकिन ऐक्चुअल पजेशन में रहा है जमींदारी एबालीशन कानून के वैस्ट होने के ठीक पहले तो वह अधिवासी करार दिया गया। जो ऐक्ट पहली अक्तूबर सन् १९५४ को लागू हुआ उस समय अधिवासी स्कीम लगाई गयी उसमें जो उस वक्त अधिवासी थे उनको सीरदार करार दिया गया।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य बड़ी लम्बी-चौड़ी स्पीच दे रहे हैं। उनको यह मालूम होना चाहिये कि ठीक छः बजे गिलोटिन शुरू हो जायगा।

श्री रामशरणयादव---मैं तो जो संशोधन का दृष्टिकोण है उसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप केवल इतनी ही इजाजत दें कि संशोधन ही पेश करूं तो वह तो पेश हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता---मेरा मतलब यह है कि लम्बी-चौड़ी स्पीच नहीं होनी चाहिये।

श्री रामशरण यादव---मेरे कहने का मतलब यह है कि सी० ओ० और ए०सी० ओ० को जो अधिकार दिये गये हैं उनका बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। जो सी० ओ० या कोआपरेटिव इंस्पेक्टर्स हैं उनका कानून से वास्ता नहीं पड़ा है। उनका जजमेंट लिखने का तरीका भी बड़ा इनएफिशेंट है। आर्डर में भले ही कहीं मालूम पड़ जाय। इसकी वजह से बहुत से रिवीजन्स होते हैं। और काश्तकरों को फैसला कराने में बहुत कास्टली पड़ता है। कहा गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि वह टेम्पोरेरी स्टाफ है। इसलिये वह ज्यादा इंडिपेंडेंट फैसला नहीं दे सकता है। लिहाजा अगर जुडिशल आफिसर्स रख दिये जायं जो ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं तो अच्छा हो। आर्बिट्रेटर की जगह बहुत से एस० डी० एम्स नियुक्त हुये हैं। मेरे यहां स्वयं ही एक एस० डी० एम० महोदय आर्बिट्रेटर नियुक्त हुये। माल मंत्री जी स्वयं समझते हैं कि एस०डी०एम० कहां तक इंडिपेंडेंट फैसला दे सकेंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है। जुडिशल आफिसर जल्दी कर सकेंगे और उनका फैसला भी ठीक होगा। उम्मीद है कि माल मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि वह महसूस भी करते हैं।

श्री रामलखन मिश्र---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे दुःख है कि मुझे अपने माननीय मित्र श्री रामशरण जी के संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। मुझे विशेष कर दुःख इस बात के लिये है कि कानून में जब शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्द रखने पड़ते हैं तो उसके पीछे कुछ विचार अवश्य रखना पड़ता है और उसके पीछे इतिहास रहता है, पारिभाषिक शब्द रहते हैं और उसकी अपील और रिवीजन का अधिकार रहता है। "मध्यस्थ" शब्द आर्बिट्रेटर की हिन्दी है। मध्यस्थ के आगे अपील नहीं होती है। जुडिशल आफिसर की परिभाषा है। उससे एक अपील होती है और उससे जो किरणे निकलती हैं उससे हमें प्रकाश मिलता है। राज्य सरकार किसी को भी मध्यस्थ नियुक्त कर सकती है और उसके अन्दर मुन्सिफ भी आता है। इस कारण चकबंदी कानून के अन्तर्गत "मध्यस्थ" शब्द आधारशिला है। मध्यस्थ की जगह जुडिशल अफसर या और कोई शब्दों को लाकर हम उसको बड़े विस्तृत दायरे में कर देंगे। ऐसा मेरा अनुमान है कि इसके पीछे कोई वैधानिक विचार भी नहीं है। इसलिये किसी भी अर्थ की दृष्टि से यह एक क्षण के लिये भी स्वीकार नहीं हो सकता।

*श्री गेंदासिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ और नहीं कहना है। माननीय मिश्र जी ने जो अभी जुडिशियल आफिसर को घसीटा है उसी पर कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जुडिशियल आफिसर मध्यस्थ नहीं हो सकेगा, यह मैं नहीं समझ पाया। रामशरण जी का जो कहना है वह यही है कि जुडीशियल आफिसर वहां मध्यस्थ की हैसियत से काम करता है जो कानून में उसको हैसियत मिलेगी। वह मध्यस्थ जाब्ता फौजदारी और सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक नहीं होगा बल्कि इस चकबंदी कानून के मुताबिक मध्यस्थ होगा और जब उसके मुताबिक वह जुडीशियल आफिसर है लेकिन जब वह मध्यस्थ भी होगा तब उसको गाइड होना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जो कानून की स्कीम है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि संशोधन माना जाय या न माना जाय, लेकिन, बात जैसी हो वैसी कही जाय, तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, यह आर्बिट्रेटर कई जगह इस ऐक्ट में आया है कि आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है। धारा ३७ में दिया हुआ है कि कोई सिविल जुडीशियल आफिसर, मुन्सिफ, सिविल जज या असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास जिसका पांच साल का तजुर्बा हो वह आर्बिट्रेटर हो सकता है। तो आर्बिट्रेटर शब्द जब कई जगह आया है वह सब जगह न हो कर केवल इसी जगह पर उसको निकाल दें और जुडिशियल आफिसर कर दें तो बेमानी बात होगी।

इसके अलावा इसमें लिखा है कि आर्बिट्रेटर के यहां केसेज पेंडिंग हों और अगर यहां जुडीशियल आफिसर रख दिया तो एक वकील इस तरह का आइसोलेटेड अमेंडमेंट पेश करे और एक किसान उसको सपोर्ट कर दे तो बिलकुल गुड़गोबर हो जायगा। मैं इसका आपोजीशन करता हूं और उन सब दलीलों की बिना पर अपोज करता हूं जो माननीय राम लखन जी मिश्र ने सदन के सामने अभी दी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामशरण यादव—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन के पक्ष में जो कुछ मुझे कहना था वह कह चुका हूं लेकिन अभी माननीय माल मंत्री महोदय ने अपनी तकरीर में एक बात कही है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा है कि यह वकील की हैसियत से जुडीशियल आफिसर की बात जो कही गयी है वह ऐसी बात नहीं है बल्कि तजुर्बे यह बताते हैं कि जिसका जुडीशियल दिमाग हो वही होना चाहिये। मैं तो नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की बात है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६–क की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द 'मध्यस्थ' के स्थान पर शब्द "जुडीशियल आफिसर सम्बद्ध" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं गिलोटीन ऐप्लाई करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६–क की उपधारा (२) के अन्तिम वाक्यांश के शब्द "यथावश्यक आज्ञायें प्रचारित करेगा" के पश्चात् और "पूर्ण विराम" के बीच में शब्द "जो अन्तरिम स्थिति को अन्तिम (final) करने के लिये धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन दिये गये मध्यस्थ निर्णय के कारण आवश्यक हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा २६–क की उपधारा (३) में शब्द "पास" और शब्द "अपील" के बीच में शब्द "उक्त आज्ञा के १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा २६–क की उपधारा (४) की पंक्ति २,३ और ४ के शब्द "जिसके सम्बन्ध में उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन अन्तिम आज्ञा की अपेक्षा हो" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं:

"जिसको उपधारा (२) अथवा (३) के अधीन अन्तिम आज्ञा के अनुसार मिलना चाहिये।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा २९–ख का रखा जाना।

१४—मूल अधिनियम की धारा २९–क के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा २९–ख के रूप में रख दिया जाय तथा उसे सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय:—

सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा ली गयी भूमि के लिये प्रतिकर।

"२९—ख (१) अध्याय ३ के अधीन निर्मित चकबंदी योजना के अधीन तथा अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई अथवा दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में, नियत रीति से तथा नकदी में खातेदार को प्रतिकर दिया जायगा जो निम्नलिखित धनराशि के बराबर होगा:—

(क) भूमिधर द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में, तदर्थ लागू मौरूसी दरों के हिसाब से अवधारित मूल्य का चार गुना, तथा

(ख) सीरदार द्वारा अधिकृत भूमि की दशा में ऐसे मूल्य का दो गुना ।

(२) जब कोई भूमि जिसके सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाय अथवा किये जाने को हो, किसी असामी के कब्जे में हो, तब यथास्थिति भूमिधर अथवा सीरदार को देय प्रतिकर में से उसकी पांच प्रतिशत धनराशि असामी को उसमें उसके अधिकार, आगम तथा स्वत्व के सम्बन्ध में दी जायगी ।

(३) राज्य सरकार, उपधारा (१) तथा (२) के अधीन देय प्रतिकर के भुगतान किये जाने की रीति तथा समय की व्यवस्था करने के निमित्त, नियम बना सकती है ।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा २९-ख- की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (४) के रूप में रख दी जाय :—

"(४) अध्याय ३ के अधीन निर्मित चकबंदी योजना के अधीन तथा अनुसरण में सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातों को दी गई अथवा दी जाने वाली भूमि सभी खातेदारों द्वारा अपने-अपने खातों की भूमि के खंड ११ उपखंड १ (४) द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुपात में दी गई अथवा दी जाने वाली समझी जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १५

वैधीकरण

१५—(१) शंकाओं के समाधान के निमित्त यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम के द्वारा संशोधित होने के पूर्व था उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसरण में प्रदत्त समस्त आज्ञायें, सम्पादित कार्य अथवा कार्यवाहियां, अथवा प्रचारित निदेश अथवा प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र विधि की दृष्टि में उसी प्रकार वैध तथा ठीक समझे जायेंगे मानों कि समस्त महत्वपूर्ण दिनांकों पर धारा १४ प्रवृत्त रही हो ।

(२) जब इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रख्यापन प्रकाशित हो गया हो तथा चाहे चकबंदी की कार्यवाहियां जारी हों अथवा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति निकल गई हो, तब किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आज्ञा अथवा निदेश के होते हुये भी, खातेदार को उसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई अथवा दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उस दर तथा रीति से प्रतिकर दिया जायगा जिसकी धारा १४ में अथवा उसके अधीन व्यवस्था की गयी है ।

(३) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व जब किसी न्यायालय ने किसी चकबंदी योजना अथवा उसके किसी अंश को, केवल इस आधार पर कि मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) का खंड (ङङ) भारत का संविधान के अनुच्छेद ३१ से अधिकारातीत है निरस्त कर दिया हो अथवा प्रदिष्टि की आज्ञा (allotment order) को रद्द कर दिया हो, किसी न्यायालय द्वारा प्रदत्त अथवा प्रचारित किसी निर्णय, डिग्री, निदेश अथवा अन्य आज्ञा के होते हुये भी उपर्युक्त योजना विधि की दृष्टि में वैध तथा ठीक समझी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) की पंक्ति ४ में शब्द "से अधिकारातीत" के स्थान पर शब्द "के प्रतिकूल" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन ।

१६--मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(१) राज्य सरकार चकबंदी के व्यय की धनराशि निश्चित करेगी तथा इस प्रकार निश्चित धनराशि नियत रीति से प्रभावित व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जायगी ।"

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि उपधारा (१) की पंक्ति १ व २ में "निश्चित" शब्द के आगे "नहीं" तथा शब्द "तथा" के आगे "न" बढ़ा दिये जायं तथा अन्त के शब्द "कर दी जायगी" के स्थान पर "की जायगी" लिखा जावे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १६ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३३ में प्रस्तावित उपधारा (१) में शब्द "तथा इस प्रकार से निश्चित धनराशि नियत रीति से प्रभावित व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जायेगी" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२५
विपक्ष में --११३ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ३४ का संशोधन ।

१७--मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (१) में शब्द "कर सकता है" के स्थान पर शब्द "करेगा" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १८

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ में एक नयी धारा ३६-क का रखा जाना ।

१८--मूल अधिनियम की धारा ३६ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३६-क के रूप में रख दिया जाय :--

आगम का प्रश्न

"३६-क यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में आगम का यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति किसी भूमि का सीरदार, अधिवासी अथवा असामी है, अथवा किसी विशेष दिनांक पर था तो इसे आगम (title) का प्रश्न नहीं समझा जायगा ।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६-क की पंक्ति ३ में शब्द "सीरदार" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६-क की पंक्ति ५ में शब्द "प्रश्न" और शब्द "समझा" के बीच का शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६-क की पंक्ति ५ में प्रयुक्त शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १९

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ की उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (५) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन ।

"(५) जब इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा अधिकारों का प्रयोग अथवा कर्तव्यों का अनुपालन होना हो, तब ऐसे अधिकार अथवा कर्त्तव्य उन अधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त अथवा अनुपालित किये जा सकते हैं जो उपधारा (१) में क्रमात् उसके पश्चात् वर्णित हैं ।"

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

२०—मूल अधिनियम की धारा ४३ में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५४ की धारा ४३ में संशोधन ।

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(१) जब १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबंध समिति में निर्धारित योग्यताओं वाले सदस्य ५ से अधिक हों, तो वह अपने उक्त योग्यताओं वाले सदस्यों में से ५ अथवा ऐसी वृहत्तर संख्या में ११ से अनधिक सदस्य, जैसा कि चकबंदी संचालक निश्चित करे, निर्वाचित करेगी :

चकबंदी समिति

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसे क्षेत्र के लिये चकबंदी योजना तैयार करनी हो जिसमें वे गांव पड़ते हों जो विभिन्न भूमि प्रबंधक समितियों के मंडलों के अन्तर्गत हों, तो ये समितियां नियत रीति से अपने में से इतनी संख्या में उक्त योग्यता वाले सदस्य निर्वाचित करेगी जिसे चकबंदी संचालक निश्चित करें ।

(२) उपधारा (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१-क) किसी उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जिस पर, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम

की धारा ११७—क की उपधारा (२) प्रवृत्त होती हो कलेक्टर सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् सम्बद्ध क्षेत्र के निवासियों में से ऐसी संख्या में योग्यता वाले सदस्य जो संख्या में कम से कम ५ अथवा अधिक से अधिक ११ होंगे, जैसा कि चकबंदी संचालक निश्चित करे, नामांकित करेगा ।"

(३) उपधारा (२) में से शब्द "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के वे सब अधिकार और दायित्व होंगे जो समिति के सदस्यों के होते हों," निकाल दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २० में मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में "गांव" और शब्द "पड़ते हों" के बीच में शब्द "या उनके भाग" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २० में उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "चकबंदी अधिकारी चुनाव" रख दिये जांय तथा उक्त उपधारा में अंतिम पंक्ति में शब्द "नामांकित" के स्थान पर "चुनाव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

कतिपय कार्यवाहियों आदि के अपवाद ।

२१—धारा १८ में कोई भी बात पहल से की गई अथवा हुई किसी भी बात की वैधता, अवैधता अथवा प्रभाव (effect) अथवा परिणाम (consequence) पर, अथवा पहले से अर्जित (acquired) किसी अधिकार (right) अथवा सुत आगम (accrued title), उपगत आभार (obligation incurred) अथवा दायित्व (liability) पर, अथवा पहले से प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालेगी, तथा इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व किसी सिविल जज को अभिदिष्ट (refe red) कोई कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकारी (appropriate authority) द्वारा सुनी जाती रहेगी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१ की पंक्ति ६ में शब्द "पर" के पश्चात् शब्द "यदि इस विधेयक के प्रचलित दिनांक को निर्दिष्ट समय है" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१ की पंक्ति ६ में शब्द "नहीं" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

त्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १ में निम्नलिखित उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय:—

(३) "यह सदैव से ही प्रचलित हुआ समझा जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक, इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरण सिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७ को जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४७ मिनट पर सोमवार, ६ मई, १९५७, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
४ मई, १९५७ ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३९ एल० ए०—१९५७—७९६ ।